

परिचायक टिप्पणी

इस दस्तावेज को दो भागों; भाग क-प्राप्तियाँ और भाग ख-परिसंपत्ति एवं देयता विवरणों में संगठित किया गया है।

भाग क में सभी प्रकार की प्राप्तियों के ब्यौरे एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ-साथ उनका सार दिया गया है। इसमें कर, कर-भिन्न राजस्व और पूंजीगत (ऋण एवं ऋण-भिन्न) प्राप्तियों से संबंधित विवरण हैं। केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से के रूप में उन्हें अंतरित संसाधनों की बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए, बजट अनुमान (2020-21), संशोधित अनुमान (2019-2020) और वास्तविक (2018-2019) के अंतरण के राज्यवार अनुमान क्रमशः अनुबंध 4, 4क और 4ख में दिए गए हैं। ये विवरण मोटे तौर पर राज्यों को अपने वित्त साधनों की योजना बनाने व नकदी प्रबंधन में भी बहुत सहायता करते हैं।

भाग ख में सरकार की समग्र वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करने के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों के विवरण सन्निहित हैं। वार्षिकी परियोजनाओं, कर-भिन्न राजस्व के बकायों, जुटाए गए परन्तु वसूल न किए गए कर राजस्व, परिसंपत्तियों और गारंटियों संबंधी विवरण एफआरबीएम अधिनियम, 2004 के अंतर्गत अधिदेशित हैं। ये विवरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

भारत सरकार की ऋण रूपरेखा के विभिन्न आयाम भाग-ख में परिसंपत्तियों और देनदारियों संबंधी विवरणों द्वारा दर्शाए गए हैं। ये विवरण सरकार की ऋण देनदारी की मात्रा और संरचना का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं।

2018-19 के वास्तविक आंकड़े अनंतिम हैं।

प्राप्तियों का सार

	वास्तविक 2018-2019	बजट अनुमान 2019-2020	संशोधित अनुमान 2019-2020	बजट अनुमान 2020-2021
(₹ करोड़)				
राजस्व प्राप्तियां				
1. कर राजस्व				
सकल कर राजस्व	2080465.43	2461194.93	2163423.00	2423020.00
निगम कर	663571.62	766000.00	610500.00	681000.00
आय कर	473002.86	569000.00	559500.00	638000.00
धन कर	40.86
सीमा शुल्क	117812.85	155904.00	125000.00	138000.00
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	231981.90	300000.00	248012.00	267000.00
सेवा कर	6903.62	...	1200.00	1020.00
माल और सेवा कर (जीएसटी)#	581559.30	663343.00	612327.00	690500.00
संघ राज्य क्षेत्रों के कर	5592.42	6947.93	6884.00	7500.00
घटाइए - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी	1800.16	2480.00	2790.00	2930.00
घटाइए - राज्यों का हिस्सा	761454.15	809133.02	656046.07	784180.87
केन्द्र का निवल कर राजस्व	1317211.12	1649581.91	1504586.93	1635909.13
2. कर-भिन्न राजस्व				
ब्याज प्राप्तियां	12144.59	13711.23	11027.08	11042.04
लाभांश तथा लाभ	113420.51	163528.44	199892.92	155395.47
अन्य कर-भिन्न राजस्व	108249.75	133790.45	132499.28	216277.23
संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां	1889.53	2149.00	2094.16	2302.56
जोड़ कर-भिन्न राजस्व	235704.38	313179.12	345513.44	385017.30
I. जोड़ राजस्व प्राप्तियां	1552915.50	1962761.03	1850100.37	2020926.43
3. पूंजी प्राप्तियां				
क. ऋण-भिन्न प्राप्तियां				
1. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां@	18052.20	14827.72	16604.49	14966.67
2. विविध पूंजी प्राप्तियां	94726.87	105000.00	65000.00	210000.00
जोड़	112779.07	119827.72	81604.49	224966.67
ख. ऋण प्राप्तियां *				
1. बाजार ऋण (निवल)	422734.61	473122.01	473972.01	544869.62
2. अदायगी के लिए बाजार ऋण	148265.39	236877.99	236027.99	235130.38
3. वापसी खरीद के लिए बाजार ऋण	...	50000.00	...	30000.00
4. स्विचिंग हेतु बाजार ऋण	28591.26	50000.00	165000.00	270000.00
5. घटाइए स्विचिंग हेतु भुगतान	-28058.99	-50000.00	-165000.00	-270000.00
6. बाजार ऋण (सकल) (1+2+3)	571000.00	760000.00	710000.00	810000.00
7. अल्पावधिक/रा. हुंडी उधार	6896.58	25000.00	25000.00	25000.00
8. विदेशी ऋण (निवल)	5519.28	-2952.05	4933.12	4621.65
9. अल्प बचतों के लिए जारी प्रतिभूतियां	124999.95	130000.00	240000.00	240000.00
10. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	16059.05	18000.00	18000.00	18000.00
11. अन्य प्राप्तियां (निवल)^	73997.43	59531.61	4940.87	50848.54
12. जोड़ ऋण प्राप्तियां (1-3+4+5+7+8+9+10+11)	650739.17	652701.57	766846.00	849339.81
II. जोड़ पूंजी प्राप्तियां (क+ख12)	763518.24	772529.29	848450.49	1074306.48
4. नकदी शेष में आहरण से कमी	-1321.12	51059.13	...	-53002.81
जोड़ प्राप्तियां (I+II)	2316433.74	2735290.32	2698550.86	3095232.91
एमएसएस के अधीन प्राप्तियां (निवल)

@ राज्यों से अल्पावधिक ऋण और अग्रिम, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋणों की वसूलियां शामिल नहीं हैं।

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल हैं।

* प्राप्तियां भुगतान को घटाकर

^ आरक्षित निधियों, जमा राशि और अग्रिम आदि से प्राप्तियां शामिल हैं।

कर राजस्व

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2018-2019	बजट 2019-2020	संशोधित 2019-2020	(₹ करोड़) बजट 2020-2021
कर राजस्व						
1. निगम कर						
1.01.	संग्रहण	0020	580045.10	657312.00	528317.31	589326.92
1.02.	अधिभार	0020	58004.54	73950.00	58701.92	65480.77
1.03.	शिक्षा उपकर/स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0020	25521.98	34738.00	23480.77	26192.31
1.04.	शास्तियां	0020
1.05.	व्याज वसूलियां	0020
1.06.	घरेलू कम्पनियों के वितरित लाभों पर कर	0020
1.07.	यूनिटधारकों को वितरित आय पर कर	0020
1.08.	विविध प्राप्तियां	0020
जोड़-निगम कर			663571.62	766000.00	610500.00	681000.00
2. आय पर कर						
2.01.	संग्रहण	0021	399211.83	495191.00	473365.38	540865.38
2.02.	अधिभार	0021	44482.63	39618.00	52596.16	60096.16
2.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0021	17793.05	21391.00	21038.46	24038.46
2.04.	शास्तियां	0021
2.05.	व्याज वसूलियां	0021
2.06.	काले धन के तहत कर	0021
2.07.	विविध प्राप्तियां	0021
2.08.	बैंकिंग लेन देन कर (बीसीटीटी)	0036
2.09.	प्रतिभूति लेन देन कर	0034	11527.50	12800.00	12500.00	13000.00
2.10.	होटल प्राप्ति कर	0023	0.44
2.11.	व्याज कर	0024	3.19
2.12.	अनुपंगी लाभ कर	0026	-31.59
2.13.	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0028	15.81
जोड़-आय पर कर			473002.86	569000.00	559500.00	638000.00
3. संपदा कर						
3.01.	संपदा शुल्क	0031	1.12
3.02.	धन पर कर	0032	39.74
जोड़-संपदा कर			40.86
4. सीमा शुल्क						
4.01.	आयात शुल्क					
4.01.01.	बुनियादी शुल्क	0037	104783.26	142940.00	110445.00	124000.00
4.01.02.	सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	1835.31	...	3000.00	...
4.01.03.	विशेष सीवी शुल्क	0037	78.07
4.01.04.	हाई स्पीड डीजल तेल पर सीमा शुल्क की अतिरिक्त शुल्क	0037	3.00
4.01.05.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क	0037	2.36	545.00	890.00	930.00
4.01.06.	शिक्षा उपकर	0037	75.94
4.01.07.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	23.46
4.01.08.	समाज कल्याण अधिभार	0037	8864.80	10080.00	9000.00	10200.00
जोड़-आयात शुल्क			115666.20	153565.00	123335.00	135130.00
4.02.	निर्यात शुल्क	0037	-891.70	224.00	-935.00	220.00
4.03.	निर्यात पर उपकर	0037	1536.00	315.00	1550.00	1600.00
4.04.	अन्य प्राप्तियां	0037	1502.35	1800.00	1050.00	1050.00
जोड़-सीमा शुल्क			117812.85	155904.00	125000.00	138000.00
5. केंद्रीय उत्पाद शुल्क						

		(₹ करोड़)				
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2018-2019	बजट 2019-2020	संशोधित 2019-2020	बजट 2020-2021	
5.01.	बुनियादी उत्पाद शुल्क	0038	69351.86	109046.00	75080.00	82390.00
5.02.	मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	15307.79
5.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	44272.66
5.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	1797.80	1935.00	1900.00	2000.00
5.05.	मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	31177.59	41000.00	37500.00	40500.00
5.06.	पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	0038	0.20
5.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
5.07.01.	शिक्षा उपकर	0038	3.59
5.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	1.86
5.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	17814.23	21000.00	15000.00	16500.00
5.07.04.	बीड़ी पर उपकर	0038	-0.03
5.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	13.40
5.07.06.	ऑटोमोबाइल पर उपकर	0038	0.08
5.07.07.	अन्य	0038	-27.49
5.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर (पूर्व में स्वच्छ ऊर्जा उपकर)	0038	4.88	...	20.00	...
5.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	6.36
5.07.10.	मोटर स्प्रिट और उच्च गति वाले डीजल तेल (सड़क और आवसंरचना उपकर) पर सीमा शुल्क	0038	51266.03	127019.00	118500.00	125610.00
जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर			69082.91	148019.00	133520.00	142110.00
5.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
5.08.01.	कोयला और कोक	0038	1.78
5.08.02.	रबड़	0038
5.08.03.	प्रदूषण (वायु और जल) निवारण और नियंत्रण	0045	7.00	...	12.00	...
5.08.03.01.	1-घटाएं- व्यय के प्रति रसीदे प्राप्त निवल	0045
			7.00	...	12.00	...
5.08.04.	अनुसंधान और विकास	0045	45.34
5.08.05.	बीड़ी निधि	0038
5.08.06.	वस्त्र और वस्त्र मशीनरी पर संग्रहित उपकर	0038
निवल-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर			54.12	...	12.00	...
निवल-केंद्रीय उत्पाद शुल्क			231044.93	300000.00	248012.00	267000.00
6. सेवा कर						
6.01.	संग्रहण	0044	6493.24	...	1166.80	1020.00
6.02.	शिक्षा उपकर	0044	17.72	...	3.50	...
6.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	8.85	...	1.70	...
6.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	215.74	...	16.00	...
6.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	168.07	...	12.00	...
जोड़-सेवा कर			6903.62	...	1200.00	1020.00
7. वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क						
7.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040
7.02.	अन्य कर	0045	936.97
जोड़-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क			936.97
8. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)						
8.01.	केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	0005	457534.01	526000.00	514000.00	580000.00
8.02.	समेकित माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	0008	28944.58	28000.00
8.03.	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर	0009	95080.71	109343.00	98327.00	110500.00
जोड़-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)			581559.30	663343.00	612327.00	690500.00
9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर						

			(₹ करोड़)			
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2018-2019	बजट 2019-2020	संशोधित 2019-2020	बजट 2020-2021	
9.01.	भू राजस्व	0710	9.88	53.21	42.56	43.21
9.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	218.93	305.72	290.72	315.67
9.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	1077.21	1523.00	1341.50	1420.03
9.04.	बिक्री कर	0710	1080.30	1898.00	1513.50	1589.95
9.05.	वाहनों पर कर	0710	218.90	333.00	323.52	327.27
9.06.	सामान और यात्रियों पर कर	0710	13.51	17.00	18.89	21.25
9.07.	विजली पर कर और शुल्क	0710	31.09	50.00	50.00	55.00
9.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	164.40	...	599.31	727.62
9.09.	संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी)	0007	2778.20	2768.00	2704.00	3000.00
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर			5592.42	6947.93	6884.00	7500.00
10. घटाइए-राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि को अंतरित एनसीसीडी						
10.01.	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0037	-2.36	-545.00	-890.00	-930.00
10.02.	एनसीसीडी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-1797.80	-1935.00	-1900.00	-2000.00
निवल-घटाइए-राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि को अंतरित एनसीसीडी			-1800.16	-2480.00	-2790.00	-2930.00
11. घटाइए-राज्यों का हिस्सा						
11.	घटाइए-राज्यों का हिस्सा	0710	-761454.15	-809133.02	-714889.49	-784180.87
12. घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन						
जोड़-कर राजस्व			1317211.12	1649581.91	1504586.93	1635909.13
कुल जोड़			1317211.12	1649581.91	1504586.93	1635909.13

1. **निगम कर :** यह कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2019-2020 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 7,66,000.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 6,10,500.00 करोड़ रुपए है। 2020-2021 का बजट अनुमान 6,81,000.00 करोड़ रुपए है।

2. **आय पर कर :** यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों से भिन्न, व्यक्तियों, फर्मों आदि पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर शामिल है जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में स्टॉक एक्सचेंजों में और म्यूचुअल फंडों की यूनितों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2019-2020 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, 5,56,200.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 5,47,000.00 करोड़ रुपए है। 2020-2021 के लिए बजट अनुमान 6,25,000.00 करोड़ रुपए है।

वित्त वर्ष 2018-19 के बाद आय कर की @ 4 प्रतिशत 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर' (अभिभार सहित) लगाया गया है।

3. **धन कर:** धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता था। वर्ष 2018-19 के लिए धन कर का वास्तविक संग्रहण 40.86 करोड़ रुपए था। वर्ष 2016-17 से इस कर को हटा दिया गया है।

4. **सीमा शुल्क:** 2019-2020 के लिए सीमा शुल्क का सं.अ. 1,25,000.00 करोड़ रुपए है जबकि ब.अ. 1,55,904.00 करोड़ रुपए हैं। 2020-2021 के लिए बजट अनुमान 1,38,000.00 करोड़ रुपए है।

4.01.01. **बुनियादी शुल्क :** सीमा शुल्क का मूलभूत शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित माल पर उग्रहणीय है।

4.01.02. **सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी) :** सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत उग्रहणीय है जो घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पादों पर उग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समकक्ष है। इस शुल्क को 01 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित (कुछ पेट्रोलियम उत्पादों, जो जीएसटी से बाहर हैं को छोड़कर) कर लिया गया है।

4.01.05. **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क :** वित्त अधिनियम, 2001 के तहत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क कुछ विनिर्दिष्ट तम्बाकु उत्पादों पर लगाया जाता है तथा वित्त अधिनियम, 2003 के तहत कूड पेट्रोलियम पर लगाया जाता है। अन्य वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।

4.02. **निर्यात शुल्क:** कुछ विनिर्दिष्ट मर्दों जैसे अयस्कों और लोहा और क्रोमियम के सान्द्रणों आदि के निर्यात पर शुल्क लगाया जाता है।

5. **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क** : 2019-2020 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान 2,48,012.00 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 3,00,000 करोड़ रुपए है। 2020-2021 के लिए ब.अ. 2,67,000.00 करोड़ रुपए है।

5.01. **बुनियादी उत्पाद शुल्क** : केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। इसी शुल्क को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर जो जीएसटी के बाहर है) के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।

5.02. **मोटर स्पिंट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क**: मोटर स्पिंट पर उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा लगाया जाता है। इसे सड़क और अवसंरचना उपकर के रूप में बदल दिया गया है।

5.04. **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क**: राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर वित्त अधिनियम, 2001 के तहत लगाया जाता है तथा वित्त अधिनियम 2003 के तहत कूड पेट्रोलियम पर। अन्य मदों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी में सम्मिलित कर लिया गया है।

5.05. **मोटर स्पिंट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क**: मोटर स्पिंट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

5.07.10 **मोटर स्पिंट तथा उच्च गति वाले डीजल तेल पर उत्पाद शुल्क (सड़क एवं अवसंरचना उपकर)** : उच्च गति वाले डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के तहत लगाया जाता है। इसी शुल्क को सड़क एवं अवसंरचना उपकर के रूप में बदल दिया गया है।

6. **सेवा कर** : सेवा कर को 01 जुलाई 2017 से जीएसटी में मिला दिया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए सेवा कर अवशिष्ट (बकाया) 1,200 करोड़ रुपए है। वर्ष 2020-21 के लिए सेवा कर अवशिष्ट (बकाया) हेतु बजट अनुमान 1,020 करोड़ रुपए है।

8. **वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)**: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई, 2017 से प्रभाव में आया। जीएसटी मानव उपभोग के एल्कोहल युक्त शराब की आपूर्ति को छोड़कर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सीजीएसटी और आईजीएसटी के संशोधित अनुमान क्रमशः 5,14,000 करोड़ रुपए और 'शून्य' हैं जबकि उनके ब.अ. क्रमशः 5,26,000 करोड़ रुपए और 28,000 करोड़ रुपए हैं। सीजीएसटी और आईजीएसटी के वित्त वर्ष 2020-21 के ब.अ. क्रमशः 5,80,000 करोड़ रुपए और शून्य हैं। आईजीएसटी राजस्व ऋणों के प्रति-उपयोग के परिणामस्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच समानुपात विभाजन और निधि के निपटारे के अधीन है। जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से संबंधित संशोधित अनुमान तथा बजट अनुमान क्रमशः 98,327 करोड़ रुपए तथा 1,10,500 करोड़ रुपए है।

कर भिन्न राजस्व

कर राजस्व			वास्तविक	बजट	संशोधित	(₹ करोड़)
मुख्य शीर्ष			2018-2019	2019-2020	2019-2020	बजट
						2020-2021
ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ						
1. ब्याज प्राप्तियां						
1.01.	राज्य	0049	7362.66	5494.94	4610.63	5313.20
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल युक्त)	0049	39.91	365.40	60.02	60.02
1.03.	अन्य ब्याज प्राप्तियां	0049	19741.11	22150.89	45849.68	31968.82
1.03.01.	घटाइए व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्तियां	0049	-14999.09	-14300.00	-39493.25	-26300.00
<i>निवल-ब्याज प्राप्तियां</i>			<i>12144.59</i>	<i>13711.23</i>	<i>11027.08</i>	<i>11042.04</i>
2. लाभांश और लाभ						
2.01.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	43052.10	57486.88	48256.41	65746.96
2.02.	भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश/अधिशेष लाभ	0050	70368.41	106041.56	151636.51	89648.51
<i>जोड़-लाभांश और लाभ</i>			<i>113420.51</i>	<i>163528.44</i>	<i>199892.92</i>	<i>155395.47</i>
जोड़-ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ			125565.10	177239.67	210920.00	166437.51
राजकोषीय सेवाएं						
3. राजकोषीय सेवाएं						
3.01.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ)	0046	514.49	300.00	530.00	560.00
3.02.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	229.22	125.50	173.65	190.80
<i>जोड़-राजकोषीय सेवाएं</i>			<i>743.71</i>	<i>425.50</i>	<i>703.65</i>	<i>750.80</i>
जोड़-राजकोषीय सेवाएं सामान्य सेवाएं			743.71	425.50	703.65	750.80
4. सामान्य सेवाएं						
4.01.	प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01.	लोक सेवा आयोग	0051	84.06	103.50	87.00	92.00
4.01.02.	पुलिस	0055	8280.72	10366.10	8610.70	9260.75
4.01.03.	पूर्ति और निपटान	0057	0.28	0.05
4.01.04.	लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	47.04	29.54	15.47	15.59
4.01.05.	लोक निर्माण कार्य	0059	302.47	373.03	583.03	595.03
4.01.06.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	6935.86	7786.43	6708.78	7246.91
4.01.07.	जेलें	0056	0.02
<i>जोड़-प्रशासनिक सेवाएं</i>			<i>15650.45</i>	<i>18658.65</i>	<i>16004.98</i>	<i>17210.28</i>
4.02.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां					
4.02.01.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0071	1613.28	2712.93	2633.29	2609.98
4.02.02.	घटाइए प्राप्तियां	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
<i>निवल-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां</i>			<i>1613.28</i>	<i>1712.93</i>	<i>1633.29</i>	<i>1609.98</i>
4.03.	विविध सामान्य सेवाएं					
4.03.01.	विविध सामान्य सेवाएं	0075	21748.08	21527.76	23795.26	23008.56
4.03.02.	घटाइए वाणिज्यिक विभाग कैंटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्तियां	0075	-19469.67	-18450.00	-19703.00	-20208.00
<i>निवल-विविध सामान्य सेवाएं</i>			<i>2278.41</i>	<i>3077.76</i>	<i>4092.26</i>	<i>2800.56</i>
4.04.	रक्षा सेवाएं					
4.04.01.	रक्षा सेवाएं सेना	0076	3544.51	2879.76	3882.75	3616.40
4.04.01.01.	प्राप्तियां घटाइए	0076	-3544.51	-2879.76	-3882.75	-3616.40
<i>निवल</i>			<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
4.04.02.	रक्षा सेवाएं नौसेना	0077	882.64	500.00	700.00	600.00
4.04.02.01.	प्राप्तियां घटाइए	0077	-882.64	-500.00	-700.00	-600.00
<i>निवल</i>			<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2018-2019	बजट 2019-2020	संशोधित 2019-2020	(₹ करोड़) बजट 2020-2021
4.04.03.	रक्षा सेवाएं वायु सेना	0078	1079.29	1000.00	1300.00	1300.00
4.04.03.01.	प्राप्तियां घटाइए	0078	-1079.29	-1000.00	-1300.00	-1300.00
	<i>निवल</i>	
4.04.04.	रक्षा सेवाएं आयुध कारखाने	0079	2191.49	2581.19	3012.50	3233.08
4.04.04.01.	प्राप्तियां घटाइए	0079	-2191.49	-2581.19	-3012.50	-3233.08
	<i>निवल</i>	
4.04.05.	रक्षा सेवाएं अनुसंधान और विकास	0080	613.06	400.00	400.00	300.00
4.04.05.01.	प्राप्तियां घटाइए	0080	-613.06	-400.00	-400.00	-300.00
	<i>निवल</i>	
	<i>निवल-रक्षा सेवाएं</i>	
	<i>निवल-सामान्य सेवाएं</i>		19542.14	23449.34	21730.53	21620.82
	जोड़-सामान्य सेवाएं		19542.14	23449.34	21730.53	21620.82
	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं					
5.	सामाजिक सेवाएं					
5.01.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	342.19	347.19	386.11	406.64
5.02.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	677.65	678.08	896.53	896.25
5.03.	परिवार कल्याण	0211	12.89	15.08	17.12	17.12
5.04.	आवास	0216	235.58	279.59	322.87	333.31
5.05.	शहरी विकास	0217	...	0.01
5.06.	सूचना और प्रचार प्रसार	0220	57.53	59.35	55.33	47.55
5.07.	प्रसारण	0221	1319.80	2766.67	1371.25	1962.25
5.08.	श्रम और रोजगार	0230	33.67	34.08	605.39	604.83
5.09.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	1.87	0.36	0.58	0.64
5.10.	अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	398.72
5.10.01.	घटाइए-प्राप्तियां	0250	-81.62
	<i>निवल-सामाजिक सेवाएं</i>		2998.28	4180.41	3655.18	4268.59
	जोड़-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं		2998.28	4180.41	3655.18	4268.59
	आर्थिक सेवाएं					
6.	आर्थिक सेवाएं					
6.01.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप					
6.01.01.	फसल कार्य	0401	430.03	614.55	602.90	623.90
6.01.02.	पशु पालन	0403	33.43	20.97	24.35	25.91
6.01.03.	डेयरी विकास	0404	359.24	410.80	390.54	415.40
6.01.03.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - दिल्ली दुग्ध योजना	0404	-359.20	-410.40	-390.27	-415.00
	<i>निवल</i>		0.04	0.40	0.27	0.40
6.01.04.	मात्स्यिकी	0405	3.08	4.00	3.91	4.21
6.01.05.	वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	33.24	38.00	51.98	52.38
6.01.05.01.	प्राप्तियां घटाइए	0406	-5.92	-8.00	-9.38	-9.78
	<i>निवल</i>		27.32	30.00	42.60	42.60
6.01.06.	खाद्य भंडारण और भांडागार	0408	540.53	6.91	600.22	660.25
6.01.06.01.	प्राप्तियां घटाइए	0408	-95.62
	<i>निवल</i>		444.91	6.91	600.22	660.25
6.01.07.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415	...	0.02
6.01.08.	अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	22.27	23.55	19.50	19.50
6.01.09.	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	0552	3.45
	<i>निवल-कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप</i>		964.53	700.40	1293.75	1376.77
6.02.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01.	वृहत और मध्यम सिंचाई	0701	27.48	42.00	41.00	42.00

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2018-2019	बजट 2019-2020	संशोधित 2019-2020	(₹ करोड़) बजट 2020-2021
6.02.02.	लघु सिंचाई	0702	2.97	1.80	2.20	2.50
	जोड़-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		30.45	43.80	43.20	44.50
6.03.	ऊर्जा					
6.03.01.	विद्युत	0801	3651.31	4270.48	3447.64	3681.20
6.03.01.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - ईंधन	0801	-2420.54	-2373.06	-2416.67	-2534.97
	माल सूची					
	निवल		1230.77	1897.42	1030.97	1146.23
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	14197.38	16930.27	12060.89	14075.14
6.03.03.	कोयला और लिग्नाइट	0803	104.38	3197.85	3202.30	3203.85
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0810	0.04	0.12	0.06	0.06
	निवल-ऊर्जा		15532.57	22025.66	16294.22	18425.28
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	89.91	23.18	25.83	25.83
6.04.02.	उद्योग	0852	2068.71	2557.87	2728.04	3411.39
6.04.02.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - ईंधन	0852	-868.71	-2286.29	-2286.29	-2977.95
	फैब्रिकेशन सुविधाएं					
6.04.02.03.	सेक्टर में अन्य प्राप्तियां घटाइए	0852	-983.18
	निवल		216.82	271.58	441.75	433.44
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0853	287.55	377.29	570.92	510.92
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	155.69	150.00	150.00	150.00
6.04.04.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए -	0875	-155.69	-150.00	-150.00	-150.00
	अफीम और क्षारोद निर्माणियां					
	निवल	
	निवल-उद्योग और खनिज		594.28	672.05	1038.50	970.19
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और दीपस्तंभ	1051	307.14	320.00	320.00	320.00
6.05.01.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए -	1051	-293.98	-320.00	-320.00	-320.00
	प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत					
	निवल		13.16
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	98.41	121.29	138.26	142.15
6.05.03.	नागर विमानन	1053	133.54	115.51	420.05	473.05
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	19866.00	20339.64	21588.61	25160.66
6.05.05.	अंतर्देशीय जल परिवहन	1056	24.72
6.05.06.	डाक प्राप्तियां	1201	13195.68	19203.29	19203.29	18710.05
6.05.06.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - डाक	1201	-13195.68	-19203.29	-19203.29	-18710.05
	निवल	
	निवल-परिवहन		20135.83	20576.44	22146.92	25775.86
6.06.	संचार					
6.06.01.	अन्य संचार सेवाएं	1275	40815.73	50519.81	58989.64	133027.20
6.07.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	115.16	99.06	103.38	99.14
6.07.02.	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	1605.16	2208.99	1414.36	1547.28
	जोड़-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण		1720.32	2308.05	1517.74	1646.42
6.08.	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01.	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	313.38	252.90	344.87	344.87
6.08.02.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	3776.51	7619.94	3761.96	7208.81
6.08.03.	पर्यटन	1452	18.73	10.00	5.00	5.00
6.08.04.	नागरिक आपूर्ति	1456	0.10	0.15	0.12	0.12
	जोड़-सामान्य आर्थिक सेवाएं		4108.72	7882.99	4111.95	7558.80
	निवल-आर्थिक सेवाएं		83902.43	104729.20	105435.92	188825.02

			(₹ करोड़)			
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2018-2019	बजट 2019-2020	संशोधित 2019-2020	बजट 2020-2021	
7. रेल राजस्व						
7.01.	भारतीय रेलवे विविध प्राप्तियां	1001	600.79	260.00	436.00	300.00
7.01.01.	घटाइए विविध प्राप्तियां	1001	-600.79	-260.00	-436.00	-300.00
7.02.	भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनें	1002	187738.49	214590.13	203734.90	223397.37
7.02.01.	घटाइए प्राप्तियां	1002	-187738.49	-214590.13	-203734.90	-223397.37
7.03.	भारतीय रेलवे सामरिक लाइनें	1003	2168.08	2084.87	2098.10	2215.63
7.03.01.	घटाइए प्राप्तियां	1003	-2168.08	-2084.87	-2098.10	-2215.63
<i>निवल- रेल राजस्व</i>		
जोड़-आर्थिक सेवाएं		83902.43	104729.20	105435.92	188825.02	
सहायता-अनुदान तथा अंशदान						
8. सहायता अनुदान और अंशदान						
8.01.	विदेश अनुदान सहायता					
8.01.01.	बहुपक्षीय					
8.01.01.01.	एशियाई विकास बैंक	1605	16.08	14.00	15.00	10.00
8.01.01.02.	अंतर्राष्ट्रीय कृषि निधि	1605	0.04	1.00	10.00	10.00
8.01.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1605	86.45	82.00	40.00	35.00
8.01.01.04.	यूरोपीयन यूनियन	1605
<i>जोड़-बहुपक्षीय</i>			<i>102.57</i>	<i>97.00</i>	<i>65.00</i>	<i>55.00</i>
8.01.02.	द्विपक्षीय					
8.01.02.01.	फ्रांस	1605	6.49
8.01.02.02.	जर्मनी	1605	5.76	10.00	16.00	10.00
8.01.02.03.	जापान	1605	46.75	33.00	20.00	25.00
<i>जोड़-द्विपक्षीय</i>			<i>59.00</i>	<i>43.00</i>	<i>36.00</i>	<i>35.00</i>
8.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय					
8.01.03.01.	वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	646.54	500.00	250.00	300.00
8.01.03.02.	यूएनडीपी	1605	25.09	10.00	10.00	10.00
<i>जोड़-अंतर्राष्ट्रीय निकाय</i>			<i>671.63</i>	<i>510.00</i>	<i>260.00</i>	<i>310.00</i>
<i>जोड़-विदेश अनुदान सहायता</i>			<i>833.20</i>	<i>650.00</i>	<i>361.00</i>	<i>400.00</i>
8.02.	सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	229.99	356.00	613.00	412.00
<i>जोड़-सहायता अनुदान और अंशदान</i>			<i>1063.19</i>	<i>1006.00</i>	<i>974.00</i>	<i>812.00</i>
जोड़-सहायता-अनुदान तथा अंशदान		1063.19	1006.00	974.00	812.00	
संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व						
9. संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व	1710	1889.53	2149.00	2094.16	2302.56	
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व		1889.53	2149.00	2094.16	2302.56	
कुल जोड़		235704.38	313179.12	345513.44	385017.30	

1.1 राज्य : राज्यों को जारी किए गए ऋणों पर ब्याज प्राप्तियों में निम्नलिखित पर ब्याज-प्राप्तियां शामिल हैं:

- (क) योजनेतर स्कीम (बाढ़ नियंत्रण) के अंतर्गत विभिन्न समयावधि के दौरान पश्चिम बंगाल, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों को संवितरित ऋण;
- (ख) वित्त मंत्रालय द्वारा ब्याज की विभिन्न दरों पर राज्यों को संवितरित किए गए पुराने ऋणों पर अब ब्याज की एक समान दर निर्धारित की गई है;
- (ग) 20 वर्ष की परिपक्वता वाली राज्य योजना स्कीमों की सहायता के लिए संवितरित ऋण;
- (घ) राज्यों को पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए संवितरित ऋण। इसमें ब्लॉक ऋण, अन्य देशों से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों का पुनर्वास और संसाधनों के अंतराल को पाटने के लिए ऋण आदि भी शामिल हैं।

1.2. संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) : संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) को दिए गए ऋण पर ब्याज।

1.3. अन्य ब्याज प्राप्तियां: "अन्य ब्याज प्राप्तियों" के तहत अनुमान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए अग्रिम ऋणों पर ब्याज के सम्बन्ध में और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर पूंजी परिव्यय हैं। इन अनुमानों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज भी शामिल है।

- 2. लाभांश और लाभ:** इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।
- 3.2. अन्य राजकोषीय सेवाएं:** ये प्राप्तियां मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभार, आईएमएफ से प्राप्त पारिश्रमिक आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि के अंशदानों से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.01. लोक सेवा आयोग :** "लोक सेवा आयोग" की प्राप्तियां मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्क आदि को प्रदर्शित करती हैं।
- 4.01.02. पुलिस :** "पुलिस" की प्राप्तियां राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षकारों को सप्लाई किए गए केन्द्रीय पुलिस बल के कारण हैं। इन प्राप्तियों में दिल्ली पुलिस की प्राप्तियां भी शामिल हैं।
- 4.01.03. पूर्ति तथा निपटान :** "पूर्ति तथा निपटान" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः भण्डारों की खरीद तथा निरीक्षण हेतु शुल्कों, और अधिशेष और बेकार पड़े भण्डारों के पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिए निपटान की विक्री आय से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.04. स्टेशनरी तथा मुद्रण :** "स्टेशनरी तथा मुद्रण" के अन्तर्गत प्राप्तियां सरकारी मुद्रणालयों की स्टेशनरी, राजपत्र तथा सरकारी प्रकाशनों की विक्री आदि से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं :** "अन्य प्रशासनिक सेवाएं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः लेखा परीक्षा शुल्क, पासपोर्ट एवं वीजा शुल्क आदि से सम्बद्ध हैं।
- 4.03.02. घटाइए वाणिज्यिक विभाग कैंटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्तियां:** वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां रक्षा सेवा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्य विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता है।
- 5.01. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति:** "शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित हैं।
- 5.02. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** "चिकित्सा" प्राप्तियों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औषधालयों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्तियों में सेवा शुल्क, सेरा तथा वेक्सिन की विक्री की प्राप्तियां आदि शामिल हैं।
- 5.03. परिवार कल्याण:** "परिवार कल्याण" प्राप्तियां मुख्यतः सामग्रियों तथा आपूर्ति की विक्री प्राप्तियों से सम्बन्धित हैं।
- 5.04. आवास:** "आवासन" प्राप्तियां मुख्यतः सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से सम्बद्ध हैं।
- 5.06. सूचना और प्रचार प्रसार:** "सूचना तथा प्रचार" प्राप्तियों में रोजगार समाचार-पत्र और अन्य प्रकाशनों, फिल्म प्रभाग निदेशालय और आऊटरीच और संचार ब्यूरो (पहले डीएवीपी) से प्राप्तियां शामिल हैं।
- 5.07. प्रसारण :** इनमें डीटीएच ऑपरेटर्स, वाणिज्यिक सेवाओं (टीवी), वाणिज्यिक सेवाओं (एफएम) से लाइसेंस शुल्क और अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।
- 5.08. श्रम और रोजगार:** "श्रम और रोजगार" प्राप्तियां मुख्यतः श्रम कानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों से संबंधित हैं।
- 5.09. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" प्राप्तियां मुख्यतया केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित हैं।
- 6.01. कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप:** इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। दूसरे देशों और विदेशी संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की विक्री आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।
- 6.02. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:** इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्तियां आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।
- 6.03. ऊर्जा:** इस शीर्ष के अधीन "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न सेक्शनो से प्राप्त प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।
- 6.03.01 "विद्युत" शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियां दर्ज होती हैं।**

6.03.02 पेट्रोलियम : "पेट्रोलियम" शीर्ष के अधीन अनुमानों में अपतटीय कच्चे तेल और गैस उत्पादन लाभ पेट्रोलियम पर रॉयल्टी और किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की अनन्य खोज के अधिकार के लिए लाइसेंस शुल्क से प्राप्तियां शामिल हैं।

(क) रॉयल्टी : खनिज तेल पर रॉयल्टी समय समय पर यथा संशोधित, आयलफिल्ड (विनियमन और विकास) अधिनियम 1948 की धारा 6क, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 द्वारा विनियमित की जाती है। पी एंड एनजी नियमावली 1959 के नियम 14 के तहत रॉयल्टी कच्चे तेल, कन्डन्सेट और प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर देय है। ऑनलैंड क्षेत्रों से उत्पादन पर रॉयल्टी संबंधित राज्य सरकारों तथा अपतटीय क्षेत्रों से उत्पादन पर केंद्र सरकार को देय है। कच्चे तेल सहित किसी भी खनिज तेल के संबंध में रॉयल्टी की दर आयल फिल्ड अथवा वेल हेड पर जैसा भी मामला हो, खनिज तेल के बिक्री मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ख) लाभ पेट्रोलियम : लाभ पेट्रोलियम संविदागत क्षेत्र से उत्पादित और बचाए गए पेट्रोलियम के कुल मूल्य में से लागत पेट्रोलियम घटाने पर मिलता है और इसका निर्धारण और सरकार के साथ इसकी हिस्सेदारी तत्संबंधी करार/संविदा के अनुसार होती है। राष्ट्रीय तेल कम्पनियों को दिए गए नामित ब्लॉकों पर कोई लाभ पेट्रोलियम देय नहीं है।

(ग) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) शुल्क : किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस के अन्य अन्वेषण के लिए सरकार द्वारा दिए गए अधिकार के प्रतिफल के रूप में लाइसेंसधारक द्वारा पीईएल शुल्क का भुगतान किया जाता है। लाइसेंस शुल्क सामान्यतः क्षेत्र और लाइसेंस की अवधि से जुड़ा है और समय-समय पर संशोधित की गई पी एंड एनजी नियमावली 1959 के अनुसार लाइसेंसधारकों द्वारा देय है। अपतट फील्डों के मामले में, पीईएल शुल्क केंद्र सरकार के पास जाता है जबकि अभितट फील्डों के मामले में यह संबंधित राज्य सरकार को देय है।

(घ) उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी) : इसका अर्थ है कोल बेड मीथेन ब्लॉकों में तत्संबंधी संविदा/करार के अनुसार एक निश्चित उत्पादन स्तर हासिल करने के बाद भारत सरकार को देय भुगतान।

6.04.01. ग्राम और लघु उद्योग: ग्रामीण और लघु उद्योग शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु, हकथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती है।

6.04.02. उद्योग: उद्योग के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

6.04.03. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग: अलौह अयस्क खनन और धात्विक उद्योग शीर्ष में मुख्यतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के मद में प्राप्तियों को समायोजित किया जाता है।

6.05.02. पोत परिवहन: पोत परिवहन शीर्ष में जहाजों और नौका सेवाओं के सर्वेक्षण और पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

6.05.04. सड़क और पुल: सड़क और पुल: शीर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग के मद में प्राप्तियां शामिल हैं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों, स्थाई पुलों के प्रयोग हेतु शुल्क तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए राज्य सरकार तथा अन्य निकायों से वसूले गए विभागीय प्रभार भी शामिल हैं।

6.06.01. अन्य संचार सेवाएं: अन्य संचार सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्यतः दूरसंचार प्रचालकों से प्राप्त लाइसेंस शुल्कों और स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभारों के एवज में प्राप्त प्राप्तियों से संबंधित हैं। दूरसंचार विभाग इसके द्वारा प्रदत्त लाइसेंस वाले विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से आवर्ती लाइसेंस शुल्क संग्रहित करता है। लाइसेंस शुल्क समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की 8 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है जो दी गई कटौतियों जैसे पब्लिक स्विचड टेलीकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन) प्रभार पात्र/हकदार सेवा प्रदाताओं को मिले रोमिंग प्रभार और राज्य/केंद्र सरकार को मिले बिक्री कर/सेवा कर को उक्त कंपनी के लेखापरीक्षित खातों में दर्शाए गए कुल राजस्व के आंकड़ों में से घटाकर आकलित किया जाता है।

कैप्टिव प्रयोग और कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (सीएमआरटीएस) लाइसेंसों के लिए लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार नेटवर्कों के लिए लाइसेंस शुल्क टर्मिनलों, चैनलों की संख्या, और/या नेटवर्कों की पूंजीगत लागत के आधार पर निर्धारित की गई दरों पर उगाहा जाता है। इसके अलावा नए ऑपरेटरों से एक बारगी प्रविष्टि शुल्क भी संग्रहित किया जाता है।

सेवाओं की प्रमुख श्रेणियों में (i) बुनियादी सेवा (ii) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) (iii) एकीकृत अभिगम सेवा (यूएसएस), (iv) एकीकृत लाइसेंस, (v) अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी), (vi) राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी), (vii) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी), (viii) वाणिज्यिक सीयूजी वीसैट लाइसेंस, (ix) पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाएं (पीएमआरटीएस), (x) कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाएं (सीएमआरटीएस), (xi) जीएमपीसीएस लाइसेंस, (xii) आईपीएलसी लाइसेंस की पुनः बिक्री शामिल हैं।

लाइसेंस शुल्क दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से एजीआर के प्रतिशत हिस्से के आधार पर संग्रहित किया जाता है जिसमें सार्वभौमिक अभिगम लेवी (यूएएल) का घटक शामिल है। लाइसेंस शुल्क का संग्रहण लाइसेंस शुल्क, प्रशुल्क और देश में दूरसंचार सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर पर निर्भर करता है।

विभाग वायरलेस उपस्कर को धारित करने और रेडियो स्पैक्ट्रम के प्रयोग की रॉयल्टी के लिए भी विभिन्न निकायों से लाइसेंस शुल्क संग्रहित करता है। सेवा प्रदाताओं से लिए गए प्रभार स्पैक्ट्रम प्रभारों के संदर्भ में है और इनका आकलन उनके समायोजित सकल राजस्वों की प्रतिशतता के रूप में उनके नेटवर्क (वाणिज्यिक वीसैट लाइसेंस) के लिए आवंटित स्पैक्ट्रम की मात्रा के आधार पर या फ्लैट दरों पर या सूत्र के आधार पर किया जाता है।

विभाग द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (मोबाइल वाणिज्यिक वीसैट आदि) से स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार स्पैक्ट्रम के प्रयोग के लिए उगाहा जाता है और यह उनके नेटवर्क के लिए आवंटित किए गए स्पैक्ट्रम की मात्रा के आधार पर उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की प्रतिशतता के रूप में आकलित किया जाता है।

6.07.01. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान: "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एककों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा विक्री से सम्बन्धित हैं।

6.07.02. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान: अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राष्ट्रीय एटलस तथा थिमेटिक मैपिंग संगठन से सम्बन्धित हैं।

6.08.01. विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं: "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां हैं।

6.08.02. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं: "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा बीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल है। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त फीस और जोखिम बीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

7. रेल राजस्व: रेल बजट के अनुसार प्राप्तियों में (i) विविध प्राप्तियाँ (ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अतः कर-भिन्न राजस्व पर इसका प्रभाव शून्य है।

8. सहायता अनुदान और अंशदान: ये अनुमान बाहरी स्रोतों से नकद तथा अन्य प्रकार से प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में हैं। बाह्य सहायता का व्यौरा अनुबंध 8 में दिया गया है।

9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व: (विधान मण्डलों रहित) संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी तथा वनोत्पाद की विक्री; चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम से प्राप्त प्राप्तियां तथा पोत परिवहन से प्राप्त प्राप्तियां, पर्यटन तथा विद्युत आदि शामिल हैं।

पूंजी प्राप्तियां

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2018-2019	बजट 2019-2020	संशोधित 2019-2020	बजट 2020-2021 (₹ करोड़)
ऋण भिन्न प्राप्तियां					
1. ऋण और अग्रिमों की वसूलियां					
1.01.	राज्य सरकारें				
1.01.01.	सकल प्राप्तियां	7601	14366.77	11614.81	12399.34
1.01.02.	वसूलियां	7601	...	-100.00	-100.00
	<i>निवल-राज्य सरकारें</i>		<i>14366.77</i>	<i>11514.81</i>	<i>12299.34</i>
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित)	7602	72.00	442.69	100.05
1.03.	विदेशी सरकारें	7605	369.77	145.17	56.00
1.04.	अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)				
1.04.01.	सकल प्राप्तियां	9001	15448.40	54000.06	40048.40
1.04.02.	वसूलियां	9001	-12204.74	-51275.01	-37575.00
	<i>निवल-अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)</i>		<i>3243.66</i>	<i>2725.05</i>	<i>2473.40</i>
	<i>निवल-ऋण और अग्रिमों की वसूलियां</i>		<i>18052.20</i>	<i>14827.72</i>	<i>16604.49</i>
2. विविध पूंजी प्राप्तियां					
2.01.	विनिवेश प्राप्तियां	4000	94726.87	105000.00	65000.00
2.02.	सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में सरकारी हिस्सों का विनिवेश	4000	90000.00
2.03.	एएमसी के पास राशियों को पुनरांकित करना	4000
2.04.	बोनस शेयर निर्गम	4000	252.18	...	44.96
2.05.	बोनस शेयरों को घटाकर प्राप्तियां	4000	-252.18	...	-44.96
	<i>निवल-विविध पूंजी प्राप्तियां</i>		<i>94726.87</i>	<i>105000.00</i>	<i>65000.00</i>
	जोड़-ऋण भिन्न प्राप्तियां		112779.07	119827.72	81604.49
ऋण प्राप्तियां					
3. उधार					
3.01.	बाजार ऋण				
3.01.01.	सकल उधार	6001	571000.00	710000.00	710000.00
3.01.02.	वापसी अदायगी	6001	-148265.39	-236877.99	-236027.99
	<i>निवल-बाजार ऋण</i>		<i>422734.61</i>	<i>473122.01</i>	<i>473972.01</i>
3.02.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष प्रतिभूति जारी करना				
3.02.01.	प्रतिभूति जारी करना	6001	106000.00	70000.00	65443.00
3.02.02.	घटाए निवल प्राप्तियां	6001	-106000.00	-70000.00	-65443.00
	<i>निवल-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष प्रतिभूति जारी करना</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.03.	एक्जिम बैंक को विशेष प्रतिभूति जारी करना				
3.03.01.	प्रतिभूति का निर्गम	6001	4500.00	550.00	550.00
3.03.02.	घटाए निवल प्राप्तियां	6001	-4500.00	-550.00	-550.00
	<i>निवल-एक्जिम बैंक को विशेष प्रतिभूति जारी करना</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.04.	आईडीबीआई बैंक लि. को विशेष प्रतिभूति जारी करना				
3.04.01.	प्रतिभूति का निर्गम	6001	4557.00
3.04.02.	घटाए निवल प्राप्तियां	6001	-4557.00
	<i>निवल- आईडीबीआई बैंक लि. को विशेष प्रतिभूति जारी करना</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.05.	आईआईएफसीएल को विशेष प्रतिभूति जारी करना				
3.05.01.	प्रतिभूति का निर्गम	6001	5300.00
3.05.02.	घटाए निवल प्राप्तियां	6001	-5300.00
	<i>निवल- आईआईएफसीएल को विशेष प्रतिभूति जारी करना</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.06.	प्रतिभूतियों का अंतरण				
3.06.01.	सकल उधार	6001	28591.26	50000.00	165000.00
3.06.02.	वापसी अदायगी	6001	-28058.99	-50000.00	-165000.00
	<i>निवल-प्रतिभूतियों का अंतरण</i>		<i>532.27</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.07.	वापसी खरीद				

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2018-2019	बजट 2019-2020	संशोधित 2019-2020	(₹ करोड़) बजट 2020-2021
3.07.01.	सकल उधार	6001
3.07.02.	वापसी अदायगी	6001	...	-50000.00	...	-30000.00
	<i>निवल-वापसी खरीद</i>		...	-50000.00	...	-30000.00
3.08.	अल्पकालिक उधार					
3.08.01.	14 दिवसीय राजकोषीय हंडियां					
3.08.01.01.	सकल उधार	6001	3570681.38	3960409.22	3500912.48	3851003.73
3.08.01.02.	पुनर्अदायगी	6001	-3599384.28	-3960409.22	-3500912.48	-3851003.73
	<i>निवल</i>		-28702.90
3.08.02.	91 दिवसीय राजकोषीय हंडियां					
3.08.02.01.	सकल उधार	6001	660165.24	545344.72	677958.25	662435.37
3.08.02.02.	पुनर्अदायगी	6001	-706707.71	-524343.22	-649072.75	-659275.84
	<i>निवल</i>		-46542.47	21001.50	28885.50	3159.53
3.08.03.	182 दिवसीय राजकोषीय हंडियां					
3.08.03.01.	सकल उधार	6001	258020.06	312168.86	295036.50	322175.12
3.08.03.02.	पुनर्अदायगी	6001	-225089.11	-310119.02	-283335.50	-308519.25
	<i>निवल</i>		32930.95	2049.84	11701.00	13655.87
3.08.04.	364 दिवसीय राजकोषीय हंडियां					
3.08.04.01.	सकल उधार	6001	208896.00	192344.66	193309.50	206494.10
3.08.04.02.	पुनर्अदायगी	6001	-159685.00	-190396.00	-208896.00	-198309.50
	<i>निवल</i>		49211.00	1948.66	-15586.50	8184.60
3.08.05.	नकद प्रबंधन बिल					
3.08.05.01.	कुल उधार	6001	190000.00	100000.00	240000.00	250000.00
3.08.05.02.	पुनर्अदायगी	6001	-190000.00	-100000.00	-240000.00	-250000.00
	<i>निवल</i>	
3.08.06.	अर्थोपाय अग्रिम					
3.08.06.01.	सकल उधार	6001	955243.00	500000.00	1000000.00	1000000.00
3.08.06.02.	पुनर्अदायगी	6001	-955243.00	-500000.00	-1000000.00	-1000000.00
	<i>निवल</i>	
	<i>निवल-अल्पकालिक उधार</i>		6896.58	25000.00	25000.00	25000.00
3.09.	डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)					
3.09.01.	प्राप्तियां	6001
3.09.02.	पुनर्अदायगी	6001	-4000.00
	<i>निवल-डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)</i>		-4000.00
	<i>निवल-उधार</i>		430163.46	448122.01	498972.01	535869.62
4.	लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियां					
4.01.	प्राप्तियां	6001	138533.00	152268.32	262413.32	281294.13
4.02.	पुनर्अदायगी	6001	-13533.05	-22268.32	-22413.32	-41294.13
	<i>निवल-लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियां</i>		124999.95	130000.00	240000.00	240000.00
5.	राज्य भविष्य निधियां					
5.01.	प्राप्तियां	8009	68350.00	77000.00	77000.00	77000.00
5.02.	संवितरण	8009	-52290.95	-59000.00	-59000.00	-59000.00
	<i>निवल-राज्य भविष्य निधियां</i>		16059.05	18000.00	18000.00	18000.00
6.	अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)					
6.01.	राहत बांड					
6.01.01.	प्राप्तियां	6001
6.01.02.	संवितरण	6001	-5.00	-14.37	-62.02	-25.00
	<i>निवल-राहत बांड</i>		-5.00	-14.37	-62.02	-25.00
6.02.	बचत बांड					
6.02.01.	प्राप्तियां	6001	2901.53	27273.95	5000.00	5000.00
6.02.02.	संवितरण	6001	-573.45	-1823.18	-423.57	-401.47
	<i>निवल-बचत बांड</i>		2328.08	25450.77	4576.43	4598.53
6.03.	अन्य (स्वर्ण बाण्ड, स्वर्ण मौद्रीकरण इत्यादि)					
6.03.01.	प्राप्तियां	6001	3526.57	5000.00	7900.00	10500.00

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2018-2019	बजट 2019-2020	संशोधित 2019-2020	बजट 2020-2021	
6.03.02.	संवितरण	6001	-10.00	-65.00
	<i>निवल-अन्य (स्वर्ण बाण्ड, स्वर्ण मौद्रिकरण इत्यादि)</i>		3526.57	5000.00	7890.00	10435.00
6.04.	अन्य प्राप्तियां (सरकारी भविष्य निधियों को छोड़कर लोक खाता)					
6.04.01.	प्राप्तियां	9002	1670731.67	1564804.08	1767762.31	1969688.75
6.04.02.	संवितरण	9002	-1594944.50	-1534136.10	-1769100.48	-1928339.48
6.04.03.	घटाइए प्राप्तियां	9002
	<i>निवल-अन्य प्राप्तियां (सरकारी भविष्य निधियों को छोड़कर लोक खाता)</i>		75787.17	30667.98	-1338.17	41349.27
6.05.	अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं					
6.05.01.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष					
6.05.01.01.	प्राप्तियां	6001	9300.60	100.01	960.52	1000.01
6.05.01.02.	पुनर्भदायगी	6001	-7124.60	-1000.00	-5578.54	-5000.00
6.05.01.03.	कम प्राप्तियों को घटाएं	6001	-9792.67	-583.78	-1454.17	-1075.69
	<i>निवल</i>		-7616.67	-1483.77	-6072.19	-5075.68
6.05.02.	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ					
6.05.02.01.	प्राप्तियां	6001	408.33	408.34	408.34	0.01
6.05.02.02.	पुनर्भदायगी	6001	-365.02	-370.29	-354.73	-322.53
	<i>निवल</i>		43.31	38.05	53.61	-322.52
6.05.03.	एशियाई विकास बैंक और निधि					
6.05.03.01.	प्राप्तियां	6001	68.97	72.01	81.89	72.01
6.05.03.02.	पुनर्भदायगी	6001	-144.68	-172.92	-162.54	-162.54
	<i>निवल</i>		-75.71	-100.91	-80.65	-90.53
6.05.04.	अफ्रीकी विकास बैंक और निधि					
6.05.04.01.	प्राप्तियां	6001	37.02	3.42	3.42	3.66
6.05.04.02.	पुनर्भदायगी	6001	-27.34	-29.56	-29.56	-24.19
	<i>निवल</i>		9.68	-26.14	-26.14	-20.53
	<i>निवल-अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं</i>		-7639.39	-1572.77	-6125.37	-5509.26
	<i>निवल-अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)</i>		73997.43	59531.61	4940.87	50848.54
7.	विदेशी ऋण					
7.01.	बहुपक्षीय					
7.01.01.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक					
7.01.01.01.	प्राप्तियां	6002	8342.38	7831.00	15556.00	14545.00
7.01.01.02.	पुनर्भदायगी	6002	-6204.91	-7351.49	-6812.41	-7289.98
	<i>निवल</i>		2137.47	479.51	8743.59	7255.02
7.01.02.	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ					
7.01.02.01.	प्राप्तियां	6002	6655.22	6756.00	8204.00	6932.00
7.01.02.02.	पुनर्भदायगी	6002	-12968.69	-14479.46	-13784.27	-14581.02
	<i>निवल</i>		-6313.47	-7723.46	-5580.27	-7649.02
7.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि					
7.01.03.01.	प्राप्तियां	6002	282.36	373.00	607.00	634.00
7.01.03.02.	पुनर्भदायगी	6002	-103.72	-134.60	-129.01	-141.61
	<i>निवल</i>		178.64	238.40	477.99	492.39
7.01.04.	एशियाई विकास बैंक					
7.01.04.01.	प्राप्तियां	6002	10429.93	10093.00	11180.00	11345.00
7.01.04.02.	पुनर्भदायगी	6002	-4009.89	-4853.25	-4983.67	-6210.96
	<i>निवल</i>		6420.04	5239.75	6196.33	5134.04
7.01.05.	पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी)					
7.01.05.01.	प्राप्तियां	6002
7.01.05.02.	पुनर्भदायगी	6002	-9.18	-9.49	-8.69	-8.33
	<i>निवल</i>		-9.18	-9.49	-8.69	-8.33
7.01.06.	पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन					
7.01.06.01.	प्राप्तियां	6002
7.01.06.02.	पुनर्भदायगी	6002	-15.58	-15.98	-15.66	-15.72
	<i>निवल</i>		-15.58	-15.98	-15.66	-15.72
7.01.07.	न्यू डेवलपमेंट बैंक					
7.01.07.01.	प्राप्तियां	6002	980.75	1089.00	2000.00	3000.00

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	(₹ करोड़)			
		वास्तविक 2018-2019	बजट 2019-2020	संशोधित 2019-2020	बजट 2020-2021
7.01.07.02. पुनर्भूदायगी	6002
निवल		980.75	1089.00	2000.00	3000.00
7.01.08. एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी)					
7.01.08.01. प्राप्ति	6002	1220.05	653.00	1050.00	1350.00
7.01.08.02. पुनर्भूदायगी	6002
जोड़-एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी)		1220.05	653.00	1050.00	1350.00
निवल-बहुपक्षीय		4598.72	-49.27	12863.29	9558.38
7.02. द्विपक्षीय					
7.02.01. जर्मनी					
7.02.01.01. प्राप्ति	6002	1760.62	1022.00	1278.00	1344.00
7.02.01.02. पुनर्भूदायगी	6002	-1112.62	-1419.06	-1240.11	-1355.39
निवल		648.00	-397.06	37.89	-11.39
7.02.02. फ्रांस					
7.02.02.01. प्राप्ति	6002	977.66	1519.00	2270.00	1815.00
7.02.02.02. पुनर्भूदायगी	6002	-225.43	-308.69	-287.22	-438.44
निवल		752.23	1210.31	1982.78	1376.56
7.02.04. जापान					
7.02.04.01. प्राप्ति	6002	15683.85	10156.00	11871.00	12792.00
7.02.04.02. पुनर्भूदायगी	6002	-5140.70	-5800.89	-5894.81	-6382.78
निवल		10543.15	4355.11	5976.19	6409.22
7.02.05. स्विटजरलैंड					
7.02.05.01. प्राप्ति	6002	26.69
7.02.05.02. पुनर्भूदायगी	6002	-0.16
निवल		26.53
7.02.06. संयुक्त राज्य अमेरिका					
7.02.06.01. प्राप्ति	6002	2.48
7.02.06.02. पुनर्भूदायगी	6002	-176.75	-176.40	-172.41	-159.86
निवल		-174.27	-176.40	-172.41	-159.86
7.02.07. रूसी परिसंघ					
7.02.07.01. प्राप्ति	6002	3448.90	3915.00	2500.00	3000.00
7.02.07.02. पुनर्भूदायगी	6002	-771.12	-813.69	-781.74	-803.91
निवल		2677.78	3101.31	1718.26	2196.09
7.02.08. यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)					
7.02.08.01. प्राप्ति	6002	798.55	1266.00	500.00	800.00
7.02.08.02. पुनर्भूदायगी	6002
निवल		798.55	1266.00	500.00	800.00
निवल-द्विपक्षीय		15271.97	9359.27	10042.71	10610.62
7.03. राज्यों की परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता के संदर्भ में घटाया गया व्यय	6002	-14351.41	-12262.05	-17972.88	-15547.35
निवल-विदेशी ऋण		5519.28	-2952.05	4933.12	4621.65
8. नकद शेष का आहरण					
8.01. प्राप्ति	9003	1407.88	-39793.06	2729.00	2729.00
8.02. संवितरण	9003	-2729.00	90852.19	-2729.00	-55731.81
निवल-नकद शेष का आहरण		-1321.12	51059.13	...	-53002.81
9. बाजार स्थिरीकरण योजना					
9.01. प्राप्ति	6001
9.02. पुनर्भूदाय	6001
निवल-बाजार स्थिरीकरण योजना	
जोड़-ऋण प्राप्ति		649418.05	703760.70	766846.00	796337.00
कुल जोड़		762197.12	823588.42	848450.49	1021303.67

1.01 राज्य सरकारें: राज्य सरकारों से प्राप्तियों का अनुमान सं.अ. 2019-20 में ₹14828 करोड़ तथा ब.अ. 2020-21 में ₹14827.72 करोड़ लगाया गया है।

1.02 संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) : ये वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दिए गए अग्रिम ऋणों के संबंध में हैं।

2. विविध पूंजी प्राप्ति: इनमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी के कुछ भाग के विनिवेश के कारण प्राप्ति, कार्यनीतिक विनिवेश से प्राप्ति और इसी प्रकार के अन्य लेन-देन शामिल हैं। सरकार ने "राष्ट्रीय निवेश कोष" (एनआईएफ) नाम से एक कोष स्थापित किया है जिसमें चुनिंदा सीपीएसईएस में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से मिलने वाले आगमों को चैनलाइज किया जाता है। इस प्रकार एनआईएफ में जमा इन निधियों को आहरित किया जाएगा और वर्ष 2019-20 में पूंजी व्यय के संबंध में इनका उपयोग अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों और भारतीय रेलवे में निवेश संबंधी व्यय के वित्तपोषण हेतु किया जाएगा।

3.01 बाजार ऋण : भारत सरकार वर्ष 1992-93 से दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के अंतर्गत अपने बाजार ऋण जुटाती है। इन नीलामियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में किया जाता है। नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार ने फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) भी जारी किए हैं जिनपर अर्ध-वार्षिक आधार पर देय कूपन दर को नीलामी में निर्धारित 'स्प्रेड' को जोड़कर अर्धवार्षिक आधार पर पुनःनिर्धारित किया जाता है। वर्ष 2002-03 से, केंद्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण उधार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अर्ध-वार्षिक निर्देशात्मक बाजार उधार कैलेंडर की घोषणा करती रही है। वर्ष 2019-20 में अदायगियों का ब्यौरा भाग ख के विवरण 6 'विशेष प्रतिभूतियों/पुनःपूंजीकरण बॉण्ड का रूपांतरण' में दिया गया है। भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विपणनीय प्रतिभूतियों में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का रूपांतरण पूरा कर लिया है। रूपांतरित कर जारी की गई विपणनीय प्रतिभूतियों के ब्यौरे भाग ख के विवरण 2 में दिए गए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ पुनःपूंजीकरण बॉण्डों को एसएलआर विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का कार्य भी पूरा कर लिया है (भाग-ख के 2क में ब्यौरा देखें)।

3.07 वापसी खरीद : यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारत सरकार धारकों से अपनी मौजूदा प्रतिभूतियां उन्हें परिपक्वता पूर्व उन्मोचन कर पुनः खरीदती है जिससे लागत में कमी आती है, बकाया स्टॉक में कमी आती है और सरकारी प्रतिभूति बाजार में नकदी की स्थिति में सुधार होता है।

3.08 अल्पावधिक उधार : ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधिक निवेश अवसर प्रदान करती हैं। मुख्यतः इन्हें सरकार के सामान्य नीलामी कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किया जाता है और ये अप्रतिस्पद्धी बोलियों का विकल्प भी प्रदान करती हैं। 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी निर्देशात्मक त्रैमासिक कैलेंडर में निर्दिष्ट की जाती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा अल्पावधिक नकद अधिशेषों के नियोजन के लिए 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियां भी जारी करती है।

4 लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां : इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैं: डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (1, 2, 3 तथा 5 वर्ष), राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत मासिक आय स्कीम खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम), लोक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि खाता। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर समान परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति दरों के, कतिपय लघु बचत स्कीमों के निश्चित स्प्रेड के साथ, समनुरूप कर दी गई है। राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (5 वर्ष), राष्ट्रीय बचत मासिक आय स्कीम खाता, 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम), लोक भविष्य निधि 25 बीपीएस, सुकन्या समृद्धि खाता 75 बीपीएस तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 100 बीपीएस समतुल्य परिपक्वता की सामान्य प्रतिभूति दर पर होगा। ब्याज दरें त्रैमासिक आधार पर अधिसूचित की जाती हैं।

छोटी बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां : वित्त वर्ष के दौरान आहरणों को घटाकर, विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अधीन संग्रहण राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के लिए निधियों का स्रोत बनते हैं। यह निवल संग्रहण केन्द्रीय और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है जो एनएसएसएफ के अंतर्गत निधियों का अनुप्रयोग बनता है। वर्ष 2019-20 के लिए, केन्द्रीय और राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों की अवधि 10 वर्ष है और 8.5 प्रतिशत ब्याज दर पर कोई भुगतान स्थगन काल नहीं है। इन प्रतिभूतियों की उन्मोचन राशि विद्यमान ब्याज दरों पर 50:50 के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में पुनर्निवेशित की जाती है।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और केरल को छोड़कर सभी राज्यों ने एनएसएसएफ संचालित न करने के विकल्प दिया है। अरुणाचल प्रदेश शुद्ध संग्रहणों का 100% और शेष तीन राज्य अपने संबंधित प्रांतों के भीतर जुटाए गए शुद्ध संग्रह का 50% ऋण प्राप्त कर रहे हैं।

एनएसएसएफ के अंतर्गत संग्रहीत निवल राशि का निवेश विभिन्न सार्वजनिक अभिकरणों जैसे कि भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एयर इण्डिया आदि में भी किया जा रहा है। लघु बचत योजनाओं के अभिदाताओं को ब्याज के भुगतान और प्रबंधन लागत निधि के व्यय तथा केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और सरकारी एजेंसियों को ऋण अग्रिम निधि की आय होती हैं। एनएसएसएफ के साधन स्रोत तथा अनुप्रयोग अनुबंध 8 में दिए गए हैं और एनएसएसएफ के विविध घटकों का ब्यौरा भाग-ख के विवरण 3 में दिया गया है।

6.02 बचत बांड : 7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड, 2018 स्कीम की शुरुआत 7 वर्षों की निरूद्ध अवधि सहित, जनवरी, 2018 में की गई थी ताकि निवासी नागरिक/धर्मार्थ संस्थाएं/विश्वविद्यालय आदि, बिना किन्हीं उच्चतम मौद्रिक सीमाओं के, अपनी बचत का निवेश इन कर योग्य बांडों में कर सकें। ये बांड 7.75% प्रतिवर्ष का प्रतिफल प्रदान करते हैं। इनमें संचयी और संचयी-भिन्न विकल्प होते हैं और ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय होता है। ये बांड अंतरणीय नहीं हैं। इनका द्वितीयक बाजार में कारोबार भी नहीं हो सकता है। 60 वर्ष और इससे ऊपर के आयु समूह के व्यक्ति निवेशक को निर्गम की तारीख से न्यूनतम निरूद्ध अवधि के पश्चात परिपक्वता पूर्व नकदीकरण की अनुमति दी गई है।

6.03 अन्य (स्वर्ण बांड, स्वर्ण मौद्रीकरण आदि) : इस श्रेणी में सार्वभौम स्वर्ण बांड स्कीम और स्वर्ण मौद्रीकरण स्कीम जैसे साधन शामिल हैं, जिन्हें लोगों को वास्तविक सोने में निवेश करने से बचाने और सोने का आयात कम करने के उद्देश्य से शुरु किया गया है।

6.05 अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं: अनुमान (क) अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को भारत के अभिदानों/अंशदानों के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों और (ख) विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआर) के उपयोग से संबंधित कतिपय संव्यवहारों से संबंधित हैं। प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था का ब्यौरा निम्नवत है:

6.05.01 अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष: आईएमएफ में भारत का कोटा 2.75 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ 13114.4 मिलियन एसडीआर है। आईएमएफ में कोटा धारिता के अर्थ में भारत का आठवां स्थान है। 2016 के आरंभ में 146वीं सामान्य कोटा समीक्षा के अनुसार कोटा वृद्धि के लिए भारत ने 7292.9 मिलियन एसडीआर प्रदान किया। इस वर्धित धारिता का रखरखाव भारतीय रुपए में किसी मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए मूल्य में किया जाता है। सभी सदस्यों के कोटा संसाधनों के अलावा, गैर रियायती सदस्य को ऋण देने के प्रयोजन से संसाधन लाइन की दूसरी और तीसरी लाइन के रूप में उधार लेने के लिए आईएमएफ नई व्यवस्थाएं (एनएबी) और द्विपक्षीय उधार करारों (बीबीए) को करता है। एनएबी के प्रति भारतीय वचनबद्धता 4,440.9 मिलियन एसडीआर है, जिसमें से आज तक 34 एनएबी का क्रियान्वयन हुआ और भारत के पास शेष राशि 290.70 मिलियन एसडीआर है। बीबीए के संबंध में, भारत ने बीबीए 2016 को 10 बिलियन अमरीकी डालर देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

6.05.03 एशियाई विकास बैंक और निधि: एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक में रखता है जिन्हें यह भारत में अपने रुपया संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए समय-समय पर भुना सकता है।

7. विदेशी ऋण: बजट 20120-21 में ₹57,557 करोड़ की सकल प्राप्ति और ₹37,388 करोड़ की चुकौती को माना गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹20,169 करोड़ का निवल विदेशी ऋण होगा।

7.01 बहुपक्षीय : ब.अ. 20120-21 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, एशियाई विकास बैंक, पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी), पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, नव विकास बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एफआईआईबी) के संगठन से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹9558 करोड़ रहने का अनुमान है।

7.01.03 अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि: (क) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेंसी के रूप में 1977 में की गई थी। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन हेतु समर्पित है। 176 देश आईएफएडी के सदस्य हैं और इन्हें तीन वर्गों के देशों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें सूची क. विकसित देश, सूची ख. तेल उत्पादक देश और सूची ग. विकासशील देश। भारत सूची ग. में है।

(ख) भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि का एक संस्थापक सदस्य है और इसने आईएफएडी संसाधनों के लिए अब तक 171 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है।

(ग) भारत ने 11वें पुनःपूर्ति चक्र के लिए महत्वपूर्ण अंशदान के रूप में 40 मिलियन अमरीकी डालर की राशि देने का वचन दिया है। इसके अलावा, भारत ने रियायती भागीदार ऋण (सीपीएल) (5 वर्षों की छूट अवधि के साथ 25 वर्षों की अवधि तक 1 प्रतिशत ब्याज दर पर) के रूप में 20 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि का वचन दिया है। आईएफएडी ने इसकी शुरुआत प्रथम बार की है।

(घ) भारत आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य है। भारत आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड के सहायक निकायों अर्थात एवेल्युएशन कमिटी एण्ड वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रांजिशनल फ्रेमवर्क का सदस्य भी है।

(ङ) वर्ष 1979 से, आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजाति विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में 30 परियोजनाओं को 1100 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग) की वचनबद्धता के साथ सहायता प्रदान की है।

(च) मौजूदा निष्पादन आधार आबंटन प्रणाली (पीबीएस) चक्र, अर्थात 2019-21 के लिए, भारत के विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकारों की ओर से मांग की गई है। हाल ही में, भारत ने अवधि 2018-24 के लिए भारत हेतु राष्ट्र रणनीतिक अवसर कार्यक्रम (सीओएसओपी) को भी अनुमोदित कर दिया है। वर्तमान सीओएसओपी में दो पीबीएस चक्र: 2019-21 और 2022-24 शामिल होंगे।

(छ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने भारत में छोटे कृषक परिवारों को सशक्त बनाने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कृषि प्रौद्योगिकियों को उन्नत बनाने नामक परियोजना प्रस्ताव के लिए आईएफएडी से 19 नवम्बर, 2018 को ₹420 करोड़ (लगभग 60 मिलियन अमरीकी डालर) की सहायता के लिए अनुरोध किया है।

(ज) 1 जनवरी, 2018 से भारत साधारण शर्तों पर ऋणों का पात्र है। साधारण शर्तों पर प्रदत्त आईएफएडी ऋणों की ब्याज दर आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अर्धवार्षिक रूप से यथा निर्धारित परिवर्तनीय संदर्भ दर के एक सौ प्रतिशत (100 प्रतिशत) के समतुल्य प्रतिवर्ष होगी, और इसकी परिपक्वता अवधि 15-18 वर्ष होगी। इसमें 3 वर्ष की छूट अवधि शामिल है, जिसकी शुरुआत विनिर्दिष्ट संवितरण शर्तों को पूरा करने के पश्चात होगी।

(झ) वर्ष 2013 से 2017 तक, आईएफएडी ने भारत को 1.25 प्रतिशत जमा 0.75 प्रतिशत सेवा प्रभार प्रति वर्ष की नियत ब्याज दर पर नरम शर्तों पर ऋण प्रदान किया था, जिसकी परिपक्वता अवधि 25 वर्ष थी। इसमें 5 वर्षों की छूट अवधि शामिल थी। भारत ने मेघालय और आंध्र प्रदेश सूखा उपशमन परियोजना (एपीडीएमपी) पर हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, वर्ष 2013 तक हस्ताक्षरित परियोजनाओं के संबंध में आईएफएडी ऋणों को चुकाने की अवधि 10 वर्षों की छूट अवधि सहित 40 वर्ष है और इस पर कोई ब्याज प्रभारित नहीं होगा। तथापि, बकाया ऋण राशियों पर 1 प्रतिशत की 3/4 दर (0.75 प्रतिशत) प्रतिवर्ष दर पर सेवा प्रभार लगाया जाता है।

7.02 द्विपक्षीय : ब.अ. 2020-21 में जर्मनी, फ्रांस, जापान, रूसी संघ और यूरोपियन निवेश बैंक (ईआईबी) से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹10610.62 करोड़ रहने का अनुमान है।

प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2011-12	वास्तविक 2012-13	वास्तविक 2013-2014	वास्तविक 2014-2015	वास्तविक 2015-2016	वास्तविक 2016-2017	वास्तविक 2017-18	वास्तविक 2018-19	संशोधित 2019-20	बजट 2020-21
राजस्व प्राप्तियां	751437	879232	1014724	1101473	1195025	1374203	1435232	1552915	1850100	2020926
क. कर राजस्व										
(राज्यों का निवल हिस्सा)										
(ब्योरा अनुबंध 2 में)	629765	741877	815854	903615	943765	1101372	1242488	1317211	1504587	1635909
ख. कर-भिन्न राजस्व										
(ब्योरा अनुबंध 2 में)	121672	137355	198870	197858	251260	272831	192744	235704	345513	385017
पूंजी प्राप्तियां	568918	582152	563894	484449	582579	609866	702648	763517	848455	1074306
1. आंतरिक ऋण-बाजार उधार (निवल)	436211	467356	453550	445138	404050	349657	410256	423266	473972	510870
1.01 सकल बाजार उधार										
क. सामान्य/नवीन	509796	558000	557000	592000	585000	582000	588000	571000	710000	780000
ख. स्विच आपरेशनों के जरिए सरकारी प्रतिभूति	31472	37374	38300	41625	59158	28590	165000	270000
ग. अन्य	6675	1045
कुल	509796	558000	595147	629374	623300	624670	647158	599590	875000	1050000
वापसी अदायगी										
क. सामान्य/नवीन	73585	90644	95007	138925	144375	174846	137272	148265	236028	239130
ख. स्विचिंग	31000	39028	37349	40510	58075	28059	165000	270000
ग. वापस खरीद/अन्य	15590	6283	37526	59657	41555	30000
1.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	73585	90644	141597	184236	219250	275013	236902	176324	401028	539130
2. विदेशी सहायता (निवल)	12448	7201	7292	12933	12748	17996	7931	5519	4933	4622
2.01 सकल विदेशी उधार	26034	23309	25416	33534	36054	44191	48517	50609	57016	57557
2.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	13586	16108	18124	20601	23306	26195	26685	30739	34110	37388
2.03 निवलित व्यय	-13901	-14351	-17973	-15547
3. ऋणों की वसूली*	18850	15060	12497	13738	20835	17630	15633	18052	16604	14967
4. अल्प बचतें (निवल)	-10302	8626	12357	32226	52465	67435	102628	125000	240000	240000
5. अल्पकालिक ऋण	126866	53350	7729	9179	50693	5550	44949	6897	25000	25000
6. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	10804	10920	9753	11920	11858	17745	15799	16059	18000	18000
7. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी का विनिवेश	18088	25890	29368	37737	42132	47723	100045	94727	65000	210000
8. पूंजी प्राप्तियों की अन्य मदें (निवल)#	-44047	-6251	31348	-78422	-12202	86130	5407	73997	4945	50849
जोड़-प्राप्तियां	1320355	1461384	1578618	1585922	1777604	1984069	2137880	2198749	2578137	3037067
राजस्व लेखे पर घाटा	394348	364282	357048	365519	342736	316381	443602	454484	499544	609219
प्राथमिक घाटा	242840	177020	128604	108281	91133	54904	62112	66770	141741	88134
बजट घाटा/नकद का कम आहरण	-15990	-51012	-19171	77844	13170	-8895	4092	1321	...	53003
राजकोषीय घाटा	515990	490190	502858	510725	532792	535618	591064	649418	766846	796337
* अधोपाय अग्रिमों की वसूली घटाकर सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	10000	10000	10000	10000	20000	23000	50000	12000	36100	50100
# इसमें ये प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं										
(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, एशियाई विकास बैंक आदि को जारी की गई	1613	4323	367	4619	52714	2181	543	9793	1454	1076
(ख) तेल कंपनियों को जारी प्रतिभूतियां
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी प्रतिभूतियां	80000	106000	65443	...
(घ) आईडीबीआई की भारग्रस्त आस्तियों की वसूली	300	300	250	105	100	140	120	110	300	...
(ङ) एक्जिम बैंक को जारी प्रतिभूतियां	4500	550	...
(च) आईडीबीआई बैंक लि. को जारी प्रतिभूतियां	4557	...
(छ) आईआईएफसीएल बैंक लि. को जारी प्रतिभूतियां	5300	10000

वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2018	बजट अनुमान 2019-2020	संशोधित अनुमान 2019-2020	बजट अनुमान 2020-21
क. राजस्व प्राप्ति				
वार्षिक वित्तीय विवरण में दिखाई गई राजस्व प्राप्ति	1806462.91	2248038.02	2153426.77	2331444.66
घटाइए:				
रेलवे की राजस्व प्राप्ति	-190507.36	-216935.00	-206269.00	-225913.00
झाक की राजस्व प्राप्ति	-13195.68	-19203.29	-19203.29	-18710.05
रक्षा की राजस्व प्राप्ति	-8310.99	-7360.95	-9295.25	-9049.48
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की राजस्व प्राप्ति	-24867.78	-25289.75	-26566.23	-27905.92
चिड़ियाघर के प्रवेश के संबंध में प्राप्ति	-5.92	-8.00	-9.38	-9.78
ब्याज भुगतान	-12903.72	-13000.00	-38191.95	-25000.00
अन्य प्राप्ति	-1.30	...
वर्षिक नागरिक कल्याण निधि में प्रोद्भूत प्राप्ति	-81.62
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली से अपने कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्राप्ति	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण/ राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान	-1800.16	-2480.00	-2790.00	-2930.00
बीएसएनएल को ऋण पर ब्याज माफी	-427.68
बीएसएनएल के बकाया ऋण की माफी	-983.18
हिंदुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन लिमिटेड के बकाया ऋण को बट्टे खाते डालना/ब्याज मापक	-463.31
निवल राजस्व प्राप्ति	1552915.51	1962761.03	1850100.37	2020926.43
ख. पूंजी प्राप्ति				
भारत की संवित्त निधि की कुल प्राप्ति (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियां, अर्थोपाय अग्रिम तथा एमएसएस शामिल नहीं हैं)	1697628.77	1836065.30	2132303.94	2470437.73
कुल लोक लेखा प्राप्ति	1739081.67	1643054.08	1844762.31	2046688.75
14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों और अर्थोपाय अग्रिमों के माध्यम से अतिरिक्त वित्तपोषण	-75245.37	21001.50	28885.50	3159.53
जोड़	3361465.07	3500120.88	4005951.75	4520286.01
घटाइए :				
कुल लोक ऋण संवितरण (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों, अर्थोपाय अग्रिमों की वापसी-अदायगी तथा एमएसएस शामिल नहीं हैं)	-803610.40	-998434.65	-1196403.77	-1380641.99
कुल लोक लेखा संवितरण	-1647235.45	-1594386.10	-1828099.19	-1987339.48
निवल	910619.22	907300.13	981448.79	1152304.54
बोनस शेयर जारी करना	-252.18	...	-44.97	...
बांडों द्वारा आईआईएफसीएल को इक्विटी सहायता	-5300.00	-10000.00
एक्जिम बैंक को विशेष प्रतिभूतियां जारी करना	-4500.00	-550.00	-550.00	...
आईडीबीआई बैंक लि. को विशेष-1 प्रतिभूतियां जारी	-4557.00	...
पूँजी में वृद्धि करने के लिए पीएसबी को विशेष प्रतिभूतियां जारी करना	-106000.00	-70000.00	-65443.00	-0.01
ऋण के नए प्रबंध (एनएबी) के अंतर्गत प्राप्ति	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता की प्राप्ति	-14351.41	-12262.05	-17972.88	-15547.35
सरकारी कर्मचारियों से ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां	-94.74	-275.00	-275.00	-275.00
भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियों का उन्मोचन	-110.00	-0.01	-300.00	-0.01
एडीबी/एफ,आईएमएफ के लिए जारी प्रतिभूतियां	-9278.35	-100.01	-960.52	-1000.01
अफ्रीकी विकास निधि/एशियाई विकास निधि को जारी प्रतिभूतियां	-105.99	-75.43	-85.31	-75.67
अफ्रीकी विकास निधि/एशियाई विकास निधि/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को जारी प्रतिभूतियां	-408.33	-408.34	-408.34	-0.01
भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम	-12000.00	-50000.00	-36000.00	-50000.00
राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम	...	-100.00	-100.00	-100.00
निवल पूंजी प्राप्ति	763518.22	772529.29	848451.77	1074306.48
कुल प्राप्ति	2316433.73	2735290.32	2698552.14	3095232.91
कुल व्यय	2315112.61	2786349.45	2698552.14	3042230.09
नकद शेष में (एमएसएस को छोड़कर) वृद्धि (+)/कमी (-)	1321.12	-51059.13	...	53002.82

बजट अनुमान 2020-21 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

अनुबन्ध-4

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केन्द्रीय जीएसटी (0005)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (4 से 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.111	9916.22	9220.31	-0.33	9757.50	2012.13	1314.66	17.19	32237.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.760	4245.33	3947.40	-0.14	4177.38	861.43	562.83	7.36	13801.59
3.	असम	3.131	7552.34	7022.33	-0.25	7431.46	1532.47	1001.26	13.09	24552.70
4.	बिहार	10.061	24268.32	22565.20	-0.80	23879.88	4924.35	3217.41	42.08	78896.44
5.	छत्तीसगढ़	3.418	8244.62	7666.02	-0.27	8112.66	1672.94	1093.04	14.29	26803.30
6.	गोवा	0.386	931.08	865.74	-0.03	916.17	188.93	123.44	1.61	3026.94
7.	गुजरात	3.398	8196.38	7621.16	-0.27	8065.18	1663.15	1086.65	14.21	26646.46
9.	हरियाणा	1.082	2609.91	2426.75	-0.09	2568.14	529.58	346.01	4.52	8484.82
9.	हिमाचल प्रदेश	0.799	1927.28	1792.03	-0.06	1896.43	391.07	255.51	3.34	6265.60
10.	झारखंड	3.313	7991.35	7430.52	-0.26	7863.44	1621.55	1059.46	13.85	25979.91
11.	कर्नाटक	3.646	8794.58	8177.39	-0.29	8653.82	1784.53	1165.95	15.25	28591.23
12.	केरल	1.943	4686.75	4357.83	-0.15	4611.73	951.00	621.35	8.13	15236.64
13.	मध्य प्रदेश	7.886	19021.97	17687.02	-0.62	18717.50	3859.80	2521.86	32.98	61840.51
14.	महाराष्ट्र	6.135	14798.35	13759.81	-0.49	14561.48	3002.77	1961.91	25.66	48109.49
15.	मणिपुर	0.718	1731.90	1610.36	-0.06	1704.18	351.43	229.61	3.00	5630.42
16.	मेघालय	0.765	1845.27	1715.77	-0.06	1815.73	374.43	244.64	3.20	5998.98
17.	मिजोरम	0.506	1220.53	1134.88	-0.04	1201.00	247.66	161.81	2.12	3967.96
18.	नागालैण्ड	0.573	1382.14	1285.15	-0.04	1360.02	280.46	183.24	2.40	4493.37
19.	ओडिशा	4.629	11165.70	10382.10	-0.37	10986.98	2265.66	1480.31	19.36	36299.74
20.	पंजाब	1.788	4312.87	4010.20	-0.14	4243.83	875.14	571.78	7.48	14021.16
21.	राजस्थान	5.979	14422.06	13409.93	-0.47	14191.21	2926.42	1912.02	25.00	46886.17
22.	सिक्किम	0.388	935.90	870.22	-0.03	920.92	189.91	124.08	1.62	3042.62
23.	तमिलनाडु	4.189	10104.36	9395.25	-0.33	9942.63	2050.31	1339.60	17.52	32849.34
24.	तेलंगाना	2.133	5145.05	4783.97	-0.17	5062.70	1044.00	682.11	8.92	16726.58
25.	त्रिपुरा	0.709	1710.19	1590.17	-0.06	1682.82	347.02	226.73	2.97	5559.84
26.	उत्तर प्रदेश	17.931	43251.70	40216.34	-1.42	42559.40	8776.32	5734.15	74.99	140611.48
27.	उत्तराखंड	1.104	2662.98	2476.09	-0.09	2620.35	540.35	353.05	4.62	8657.35
28.	पश्चिम बंगाल	7.519	18136.72	16863.90	-0.60	17846.42	3680.17	2404.50	31.44	58962.55
	जोड़	100.00	241211.85	224283.84	-7.93	237350.96	48944.98	31978.97	418.20	784180.87

* पंद्रहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 41% निश्चित किया गया है।
 @ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

संशोधित अनुमान 2019-20 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केन्द्रीय जीएसटी (0005)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	जोड़ (4 से 9)	हिस्सा (प्रतिशत)	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (10+12)	2018-19 का अन्तर (वास्तविक सं.अ.) सं.अ. 2019-20 में समायोजनीय	कुल जोड़ (13 + 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.305	9535.95	8672.52	-0.32	9272.33	1991.73	1282.68	30754.89	4.398	21.55	30776.44	-2534.05	28242.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.370	3034.67	2759.90	-0.10	2950.78	633.84	408.19	9787.28	1.431	7.01	9794.29	-806.72	8987.57
3.	असम	3.311	7334.16	6670.08	-0.24	7131.40	1531.85	986.52	23653.77	3.371	16.52	23670.29	-1948.85	21721.44
4.	बिहार	9.665	21408.83	19470.35	-0.71	20816.98	4471.55	2879.70	69046.70	9.787	47.96	69094.66	-5688.33	63406.33
5.	छत्तीसगढ़	3.080	6822.47	6204.73	-0.23	6633.86	1424.98	917.69	22003.50	3.166	15.51	22019.01	-1813.17	20205.84
6.	गोवा	0.378	837.30	761.49	-0.03	814.16	174.88	112.63	2700.43	0.379	1.86	2702.29	-222.44	2479.85
7.	गुजरात	3.084	6831.33	6212.79	-0.23	6642.48	1426.83	918.88	22032.08	3.172	15.54	22047.62	-1815.53	20232.09
8.	हरियाणा	1.084	2401.16	2183.74	-0.08	2334.78	501.52	322.98	7744.10	1.091	5.35	7749.45	-637.92	7111.53
9.	हिमाचल प्रदेश	0.713	1579.36	1436.35	-0.05	1535.70	329.87	212.44	5093.67	0.722	3.54	5097.21	-419.65	4677.56
10.	जम्मू और कश्मीर	1.854	4106.77	3734.92	-0.14	3993.24	857.76	552.40	13244.95	0.000	0.00	13244.95	-1074.12	12170.83
11.	झारखंड	3.139	6953.16	6323.58	-0.23	6760.94	1452.27	935.27	22424.99	3.198	15.67	22440.66	-1847.62	20593.04
12.	कर्नाटक	4.713	10439.71	9494.44	-0.35	10151.11	2180.49	1404.25	33669.65	4.822	23.63	33693.28	-2774.28	30919.00
13.	केरल	2.500	5537.72	5036.30	-0.18	5384.63	1156.64	744.88	17859.99	2.526	12.38	17872.37	-1471.32	16401.05
14.	मध्य प्रदेश	7.548	16719.48	15205.61	-0.56	16257.28	3492.12	2248.94	53922.87	7.727	37.87	53960.74	-4443.13	49517.61
15.	महाराष्ट्र	5.521	12229.50	11122.17	-0.41	11891.42	2554.31	1644.99	39441.98	5.674	27.81	39469.79	-3250.15	36219.64
16.	मणिपुर	0.617	1366.71	1242.96	-0.04	1328.93	285.46	183.84	4407.86	0.623	3.05	4410.91	-363.14	4047.77
17.	मेघालय	0.642	1422.09	1293.32	-0.05	1382.77	297.02	191.29	4586.44	0.650	3.19	4589.63	-377.85	4211.78
18.	मिजोरम	0.460	1018.94	926.68	-0.03	990.77	212.82	137.06	3286.24	0.464	2.27	3288.51	-270.71	3017.80
19.	नागालैण्ड	0.498	1103.11	1003.23	-0.04	1072.62	230.40	148.38	3557.70	0.503	2.46	3560.16	-293.08	3267.08
20.	ओडिशा	4.642	10282.44	9351.41	-0.34	9998.18	2147.64	1383.09	33162.42	4.744	23.25	33185.67	-2732.42	30453.25
21.	पंजाब	1.577	3493.19	3176.90	-0.12	3396.62	729.61	469.87	11266.07	1.589	7.79	11273.86	-928.08	10345.78
22.	राजस्थान	5.495	12171.91	11069.80	-0.40	11835.42	2542.29	1637.25	39256.27	5.647	27.67	39283.94	-3234.80	36049.14
23.	सिक्किम	0.367	812.94	739.33	-0.03	790.46	169.79	109.35	2621.84	0.369	1.81	2623.65	-215.96	2407.69
24.	तमिलनाडु	4.023	8911.30	8104.42	-0.30	8664.95	1861.26	1198.66	28740.29	4.104	20.11	28760.40	-2368.00	26392.40
25.	तेलंगाना	2.437	5398.17	4909.39	-0.18	5248.94	1127.49	726.11	17409.92	2.499	12.25	17422.17	-1434.58	15987.59
26.	त्रिपुरा	0.642	1422.09	1293.32	-0.05	1382.77	297.02	191.29	4586.44	0.648	3.18	4589.62	-377.84	4211.78
27.	उत्तर प्रदेश	17.959	39780.77	36178.79	-1.33	38681.03	8308.81	5350.92	128298.99	18.205	89.22	128388.21	-10569.91	117818.30
28.	उत्तराखंड	1.052	2330.27	2119.28	-0.08	2265.85	486.71	313.45	7515.48	1.068	5.23	7520.71	-619.17	6901.54
29.	पश्चिम बंगाल	7.324	16223.31	14754.36	-0.54	15774.81	3388.48	2182.20	52322.62	7.423	36.38	52359.00	-4310.60	48048.40
	जोड़	100.00	221508.81	201452.16	-7.39	215385.21	46265.44	29795.20	714399.43	100.00	490.06	714889.49	-58843.42	656046.07

* बौद्धिक वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।

@ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

वास्तविक 2018-19 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)#	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केन्द्रीय जीएसटी (0005)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	अन्य कर और शुल्क (0045)	जोड़ (4 से 10)	हिस्सा (प्रतिशत)	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (11 + 13)	सं.अ. 2018-19 के अनुसार राज्यों के हिस्से की सुपुर्दगी	2018-19 का अंतर (वास्तविक-सं.अ) सं.अ. 2019-20 में समायोजनीय (14-15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.305	10487.80	7296.75	0.42	8272.67	1833.15	1163.38	17.89	29072.06	4.398	119.94	29192.00	31726.05	-2534.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.370	3337.58	2322.08	0.13	2632.65	583.37	370.23	5.69	9251.73	1.431	39.03	9290.76	10097.48	-806.72
3.	असम	3.311	8066.22	5611.97	0.32	6362.56	1409.89	894.76	13.76	22359.48	3.371	91.93	22451.41	24400.26	-1948.85
4.	बिहार	9.665	23545.77	16381.67	0.94	18572.68	4115.54	2611.86	40.16	65268.62	9.787	266.91	65535.53	71223.86	-5688.33
5.	छत्तीसगढ़	3.080	7503.46	5220.44	0.30	5918.66	1311.52	832.34	12.80	20799.52	3.166	86.34	20885.86	22699.03	-1813.17
6.	गोवा	0.378	920.88	640.69	0.04	726.38	160.96	102.15	1.57	2552.67	0.379	10.34	2563.01	2785.45	-222.44
7.	गुजरात	3.084	7513.21	5227.22	0.30	5926.35	1313.23	833.42	12.82	20826.55	3.172	86.51	20913.06	22728.59	-1815.53
8.	हरियाणा	1.084	2640.83	1837.32	0.11	2083.06	461.59	292.94	4.50	7320.35	1.091	29.75	7350.10	7988.02	-637.92
9.	हिमाचल प्रदेश	0.713	1737.00	1208.50	0.07	1370.13	303.61	192.68	2.96	4814.95	0.722	19.69	4834.64	5254.29	-419.65
10.	जम्मू और कश्मीर	1.854	4516.70	3142.43	0.18	3562.73	789.47	501.02	7.70	12520.23	0.000	0.00	12520.23	13594.35	-1074.12
11.	झारखंड	3.139	7647.20	5320.44	0.31	6032.04	1336.65	848.28	13.04	21197.96	3.198	87.21	21285.17	23132.79	-1847.62
12.	कर्नाटक	4.713	11481.76	7988.29	0.46	9056.70	2006.88	1273.64	19.58	31827.31	4.822	131.50	31958.81	34733.09	-2774.28
13.	केरल	2.500	6090.47	4237.37	0.24	4804.11	1064.55	675.60	10.39	16882.73	2.526	68.89	16951.62	18422.94	-1471.32
14.	मध्य प्रदेश	7.548	18388.36	12793.46	0.73	14504.56	3214.08	2039.77	31.36	50972.32	7.727	210.73	51183.05	55626.18	-4443.13
15.	महाराष्ट्र	5.521	13450.20	9357.80	0.54	10609.39	2350.95	1491.99	22.94	37283.81	5.674	154.74	37438.55	40688.70	-3250.15
16.	मणिपुर	0.617	1503.13	1045.78	0.06	1185.65	262.73	166.74	2.56	4166.65	0.623	16.99	4183.64	4546.78	-363.14
17.	मेघालय	0.642	1564.03	1088.16	0.06	1233.69	273.38	173.49	2.67	4335.48	0.650	17.73	4353.21	4731.06	-377.85
18.	मिजोरम	0.460	1120.65	779.68	0.05	883.96	195.88	124.31	1.91	3106.44	0.464	12.65	3119.09	3389.80	-270.71
19.	नागालैण्ड	0.498	1213.22	844.08	0.05	956.98	212.06	134.58	2.07	3363.04	0.503	13.72	3376.76	3669.84	-293.08
20.	ओडिशा	4.642	11308.79	7867.95	0.45	8920.27	1976.65	1254.45	19.29	31347.85	4.744	129.38	31477.23	34209.65	-2732.42
21.	पंजाब	1.577	3841.87	2672.93	0.15	3030.43	671.52	426.17	6.55	10649.62	1.589	43.33	10692.95	11621.03	-928.08
22.	राजस्थान	5.495	13386.86	9313.74	0.54	10559.43	2339.88	1484.97	22.83	37108.25	5.647	154.00	37262.25	40497.05	-3234.80
23.	सिक्किम	0.367	894.08	622.05	0.04	705.24	156.27	99.18	1.53	2478.39	0.369	10.06	2488.45	2704.41	-215.96
24.	तमिलनाडु	4.023	9800.79	6818.77	0.39	7730.77	1713.07	1087.17	16.72	27167.68	4.104	111.92	27279.60	29647.60	-2368.00
25.	तेलंगाना	2.437	5936.99	4130.59	0.24	4683.04	1037.72	658.57	10.13	16457.28	2.499	68.15	16525.43	17960.01	-1434.58
26.	त्रिपुरा	0.642	1564.03	1088.16	0.06	1233.69	273.38	173.49	2.67	4335.48	0.648	17.67	4353.15	4730.99	-377.84
27.	उत्तर प्रदेश	17.959	43751.53	30439.56	1.75	34510.78	7647.29	4853.23	74.62	121278.76	18.205	496.48	121775.24	132345.15	-10569.91
28.	उत्तराखंड	1.052	2562.87	1783.08	0.10	2021.57	447.96	284.29	4.37	7104.24	1.068	29.13	7133.37	7752.54	-619.17
29.	पश्चिम बंगाल	7.324	17842.65	12413.79	0.71	14074.11	3118.70	1979.23	30.43	49459.62	7.423	202.44	49662.06	53972.66	-4310.60
	जोड़	100.00	243618.93	169494.75	9.74	192164.28	42581.93	27023.93	415.51	675309.07	100.00	2727.16	678036.23	736879.65	-58843.42

चौदहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।

@ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व (मुख्य कर)
(एफआरबीएम नियमावली 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्टिंग वर्ष 2018-2019, के अंत तक की स्थिति के अनुसार)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादास्पद राशियां (₹ करोड़)					विवादरहित राशियां (₹ करोड़)					कुल जोड़
		1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	जोड़	1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	जोड़	
आय एवं व्यय												
	पर कर	483650	279999	26000	12972	802621	91465	38541	5928	2537	138471	941092
0020	निगम कर	223183	163203	15194	3984	405564	52827	25165	3159	1549	82700	488264
0021	निगम कर को छोड़कर आय पर कर	260467	116796	10806	8988	397057	38638	13376	2769	988	55771	452828
वस्तुओं एवं सेवाओं												
	पर कर	37439	74063	37640	4840	153982	3158	3680	3399	3887	14124	168106
0005	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)
0008	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)
0037	सीमा शुल्क	2273	5328	2373	929	10903	763	623	831	1663	3880	14783
0038	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	11347	28215	12218	3441	55221	557	1551	1945	2091	6144	61365
0044	सेवा कर	23819	40520	23049	470	87858	1838	1506	623	133	4100	91958
जोड़		521089	354062	63640	17812	956603	94623	42221	9327	6424	152595	1109198

टिप्पणी: डीडीएम पोर्टल पर सीजीएसटी और आईजीएसटी की कोई भी राशि बकाया नहीं है। इसके अतिरिक्त 01.07.2017 से जीएसटी लागू कर दिया गया है और इसलिए 31.03.2019 तक संबोधित आंकड़ों के लिए केवल 21 माह की अवधि ही कवर की जानी है। इस अवधि के दौरान किसी राशि के बकाया होने की संभावना कम ही है क्योंकि इस प्रक्रिया में अधिनिर्णयन, अपील या एक वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के बाद एससीएन का निर्गमन शामिल है।

अनुबन्ध - 6

कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि
(एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्टिंग वर्ष 2018-19 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़)

विवरण	लंबित धनराशि					जोड़
	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	
राजकोषीय सेवाएं [(i)+(ii)]	680.30	611.90	759.04	1391.75	22385.88	25828.87
ब्याज प्राप्तियां जिसमें (क+ख+ग+घ)	651.93	611.90	759.04	1391.75	22385.88	25800.50
(क) राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से	144.93	206.71	188.53	372.64	5550.92	6463.73
(ख) रेलवे से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47	4.47
(घ) सरकारी क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से	507.00	405.19	570.51	1019.11	16830.49	19332.30
(ii) लाभांश एवं लाभ	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	28.37
2 सामान्य सेवाएं पुलिस प्राप्तियां	10374.76	7391.44	7224.91	5849.48	17920.72	48761.31
3 आर्थिक सेवाएं [(i)+(ii)]	66832.33	4532.61	8659.52	519.86	985.21	81529.53
(i) पेट्रोलियम उपकर/रायल्टी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) संचार (लाइसेंस शुल्क) प्राप्तियां	66832.33	4532.61	8659.52	519.86	985.21	81529.53
4 अन्य प्राप्तियां	5309.02	7193.48	7144.77	18204.76	73737.63	111589.66
जोड़ [1+2+3+4]	83196.41	19729.43	23788.24	25965.85	115029.44	267709.37

**केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव संबंधी विवरण:
वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20**

किसी भी कर विधि और इसके प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी व्यय के वित्तपोषण के प्रयोजनार्थ राजस्व जुटाना है। जुटाए गए राजस्व की राशि मूल रूप से सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर होती है। इन दो कारकों के निर्धारक घटक ऐसे उपाय होते हैं जिनमें विशेष कर दरें, कर माफी, कटौतियां, छूटें, आस्थगन और क्रेडिट शामिल हैं। इन उपायों को सामूहिक रूप से 'कर प्रोत्साहन' या 'कर तरजीहें' कहा जाता है। उनका सरकारी राजस्वों पर प्रभाव पड़ता है और ये सरकार की महत्वपूर्ण नीति भी प्रदर्शित करते हैं।

कर नीति में ऐसे विशिष्ट कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है जिनसे कर तरजीहें बढ़ती हैं। ऐसी तरजीहों का एक निश्चित राजस्व प्रभाव होता है और इन्हें तरजीही करदाताओं को अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में भी माना जा सकता है, तथा इन्हें 'कर व्ययों' के रूप में भी माना जा सकता है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि कर नीति न केवल सक्षम अपितु पारदर्शी भी होनी चाहिए। इसका आशय यह है कि कार्यक्रम की ऐसी आयोजना स्पष्ट होनी चाहिए, जिसके लिए विशिष्ट नीतिगत उद्देश्य अपेक्षित होते हैं, जिस का निराकरण राजस्व प्रभाव वाले प्रोत्साहनों का उपयोग करके किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त, पारदर्शी बजट व्यवस्था के लिए संबंधित कार्यक्रम शीर्षकों के अंतर्गत ऐसे अप्रत्यक्ष परिव्ययों (या राजस्व प्रभावों) का समावेशन आवश्यक है। राजस्व प्रभावों के किसी रूप में परिणामी कर प्रोत्साहन स्वतः कर संविधि में अंतःस्थापित व्ययकारी कार्यक्रम होते हैं।

मौजूदा विवरण केन्द्रीय कर प्रणाली के अधीन उपलब्ध कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का एक विश्लेषण है। कर प्रोत्साहनों का ऐसा राजस्व प्रभाव परित्यक्त राजस्व के विवरण के माध्यम से प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के रूप में बजट 2006-07 के दौरान पहली बार संसद के समक्ष रखा गया था। इसका सभी वर्गों ने भलीभांति स्वागत किया था और इससे राजकोषीय नीति से संबंधित मुद्दों के सम्पूर्ण विषयों पर एक रचनात्मक बहस शुरू हो गई थी। इसने कर संबंधी नीति और कर संबंधी व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के सरकार के इरादे का भी प्रमाण दिया था। इस विवरण का दूसरा संस्करण प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के माध्यम से और "परित्यक्त राजस्व के विवरण" नामक एक पृथक दस्तावेज के जरिए भी बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष रखा गया था। तत्पश्चात्, बजट 2008-09 से 2014-15 के दौरान इसे संसद के समक्ष प्रत्येक वर्ष रखा गया था। बजट 2015-16 में, इसे "केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव संबंधी विवरण" के रूप में और अधिक उपयुक्त नाम दिया गया है, तब से इसका राजस्व प्रभाव के रूप में वास्तविक रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। तथापि, उस वर्ष यह प्राप्ति बजट का भाग नहीं था। बजट 2015-16 में इसे प्राप्ति बजट के अनुबंध-15 के रूप में, जबकि बजट 2017-18 में इसे अनुबंध 13 के रूप में प्राप्ति बजट का भाग बनाया गया था। बजट 2018-19 और 2019-20 में यह अनुबंध-7 के रूप में प्राप्ति बजट का भाग था।

पहले की तरह, इस विवरण का उद्देश्य उन कर प्रोत्साहनों या कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करना है जो केन्द्रीय सरकार की कर प्रणाली का भाग हैं। ऐसे कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का आकलन अधिकांश "कर तरजीहों" के संदर्भ में आकलन किया गया है। ये आकलन सर्वाधिक हालिया वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2018-19 के लिए है जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के कर व्यय संबंधी आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाने का भी प्रयास किया गया है।

कर व्ययों का आकलन निम्नलिखित संभावनाओं के आधार पर किया गया है:-

(क) आकलनों और संभावनाओं का आशय माफियों, कटौतियों, भारित कटौतियों और इसी प्रकार के उपाय समाप्त किए जाने के मामले में संभावित राजस्व लाभ को इंगित करना है। ये आकलन अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। उन्हें यह मानकर विकसित किया जाता है कि ऐसे उपायों को समाप्त करके अंतर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। आर्थिक एजेंटों के व्यवहार के रूप में, विशिष्ट कर तरजीह के उन्मूलन के साथ-साथ समग्र आर्थिक कार्यकलाप या अन्य सरकारी नीतियां बदली जा सकती हैं, उस सीमा तक राजस्व निहितार्थ भिन्न हो सकते हैं।

(ख) प्रत्येक कर प्रोत्साहन का प्रभाव यह मानकर पृथक रूप से विनिश्चित किया जाता है कि कर संबंधी सभी अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहते हैं। तथापि, कर प्रोत्साहनों का आपसी प्रभाव प्रत्येक उपबंध के लिए आकलनों और संभावनाओं के अभिवर्धन से गणना किए गए कर व्यय से भिन्न हो सकता है।

यद्यपि, कर संबंधी व्यय की दृष्टि से राजस्व प्रभाव की मात्रा निर्धारित की गई है, इसका आशय यह नहीं है कि सरकार द्वारा राजस्व की यह मात्रा छोड़ दी गई है। इसके बजाय, इन्हें कतिपय क्षेत्रों के संवर्धन के लिए लक्षित व्यय के रूप में देखा जा सकता है। कुछ मामलों में, ऐसे आर्थिक और सामाजिक कार्यकलाप जिन्हें ऐसी अप्रत्यक्ष सब्सिडी से प्रोत्साहित किया जाता है, वास्तविक रूप में शुरू नहीं किए जा सकें हों अथवा ऐसे प्रोत्साहनों के अभाव में उनका स्तर काफी कम हो सकता है। भिन्न-भिन्न कर प्रोत्साहनों के कारण कर व्यय का आकलन करने के लिए अंगीकृत संभावनाएं और पद्धति इस विवरण में प्रासंगिक स्थानों पर इंगित की गई हैं।

प्रत्यक्ष कर

आयकर अधिनियम में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, निर्यात, संतुलित क्षेत्रीय विकास; अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के सृजन; रोजगार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; सहकारी क्षेत्र, व्यष्टियों द्वारा बचत को प्रोत्साहित करने और धर्मार्थ चंदों को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है। पूंजीगत निवेश के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में त्वरित मूल्यहास का भी प्रावधान किया गया है। इनमें से अधिकांश कर संबंधी लाभ कारपोरेट और कारपोरेट-भिन्न दोनों के ही करदाताओं द्वारा उठाए जा सकते हैं। यह विवरण कारपोरेट क्षेत्र; कारपोरेट-भिन्न क्षेत्र (प्रतिष्ठान, व्यक्तियों के संघ, व्यष्टियों के निकाय आदि); और व्यष्टियों/हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब के करदाताओं के संदर्भ में कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव पर पृथक रूप से आकलन करने का एक प्रयास है। धर्मार्थ या सामाजिक प्रयोजन वाले कार्यकलापों में लगे निकायों का ब्यौरा भी "धर्मार्थ निकाय" शीर्ष के तहत पृथक रूप से उपलब्ध कराया गया है। जिन शीर्षों के तहत राजस्व प्रभाव का आकलन किया गया है, वे मोटे तौर पर कंपनियों और प्रतिष्ठानों आदि के लिए समान हैं। तथापि, व्यष्टियों के मामले में, कतिपय अन्य शीर्ष भी शामिल किए गए हैं क्योंकि ये केवल उनके लिए ही विशिष्ट हैं। कारपोरेट क्षेत्र के लिए यह विवरण भिन्न लाभ वाली स्लैबों में कंपनियों के लिए प्रभावी कर दरों के विस्तार का भी विश्लेषण करता है। प्रभावी कर दरों के क्षेत्रक विश्लेषण का भी प्रयास किया गया है।

क. कारपोरेट क्षेत्र

बड़ा व्यवसाय मुख्य रूप से कंपनियों के रूप में संगठित होता है। वित्त वर्ष 2018-19 [निर्धारण वर्ष 2019-20] के लिए 30 नवम्बर, 2019 तक आयकर विभाग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से 7,90,537 कारपोरेट विवरणियां प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक कंपनी द्वारा अपनी आयकर संबंधी विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2018-19 की अपनी आय के लिए 4,95,109.53 करोड़ रुपये [प्रभार और शिक्षा उपकर सहित] की कारपोरेट कर देयता सूचित की थी। उन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान देय लाभांश वितरण कर के रूप में भी 45,843.86 करोड़ रुपये की राशि सूचित की थी।

कर व्यय का आकलन करने के प्रयोजनार्थ, इन 7,90,537 कंपनियों से संबंधित आंकड़े विश्लेषण के लिए आंकड़ा आधार पर चुने गए थे और इनका ब्यौरा इस विवरण की सारणी 1 से 5 और परिशिष्ट में दिया गया है।

सारणी-1 सभी लाभ सीमाओं में इन कंपनियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। आंकड़ों का विश्लेषण करने से निम्नलिखित तथ्य उभरकर आते हैं:-

- 3,91,026 कंपनियों (49.46 प्रतिशत) ने करों से पूर्व लाभों के रूप में 17,78,465.76 करोड़ रुपये की राशि और 13,58,956.97 करोड़ रुपये की कुल आय¹ (कर योग्य आय) सूचित की।
- 3,66,434 कंपनियों (46.35 प्रतिशत) ने हानियों के रूप में 9,27,815.09 करोड़ रुपये की राशि सूचित की।
- 33,077 कंपनियों (4.18 प्रतिशत) ने शून्य लाभ सूचित किया।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए **लाभ सूचित करने वाली कंपनियों के पूर्ण आधार की प्रभावी कर दर² 27.84 प्रतिशत³** थी [वित्त वर्ष 2016-17 में सूचित की गई **29.49** प्रतिशत की दर की तुलना में] जबकि 1 करोड़ रुपये तक आय वाली कंपनियों के मामले में सांविधिक कर दर 31.20 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपये तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपये से अधिक आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत थी जिसके परिणामस्वरूप औसतन सांविधिक दर 34.60 प्रतिशत⁴ थी। करों से पूर्व लाभ (यहां के पश्चात पीबीटी) 500 करोड़ रुपये और इससे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों का प्रतिशत कुल पीबीटी का कुल 60.05 प्रतिशत और कुल कारपोरेट आयकर देयता का कुल 56.10 प्रतिशत बैठता था। लाभ सूचित करने वाली कंपनियों के संपूर्ण आधार के लिए 27.84 प्रतिशत की प्रभावी दर, वित्त वर्ष 2017-18 में 29.49 प्रतिशत की प्रभावी कर दर से कम है।

500 करोड़ रुपये से अधिक पीबीटी वाली कंपनियों की औसतन प्रभावी कर दर 26.01 प्रतिशत है। तथापि, औसतन प्रभावी कर दर 10 से 50 करोड़ रुपये तक पीबीटी वाली कंपनियों के लिए 27.68 प्रतिशत पर काफी अधिक है। यह दर्शाता है कि अपेक्षाकृत छोटी कंपनियों की तुलना में बड़ी कंपनियां अधिक कटौतियों और प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त कर रही हैं। कुल आय और पीबीटी के अनुपात से भी इस बात को बल मिलता है। ₹ 0-1 करोड़ की सीमा में पीबीटी वाली कंपनियों के मामले में, यह अनुपात 92.79 प्रतिशत का है जबकि ₹ 500 करोड़ से अधिक पीबीटी वाली कंपनियों के मामले में, यह अनुपात 73.19 प्रतिशत का है। अपेक्षाकृत कम अनुपात दर्शाता है कि छोटी कंपनियों की तुलना में बड़ी कंपनियां अधिक कटौतियों और प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त कर रही हैं।

सारणी 1: कर पूर्व लाभों की रेंज में कंपनियों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2018-19) (कंपनियों की संख्या 7,90,537)

क्र. सं.	कर पूर्व लाभ	कंपनियों की संख्या	कर पूर्व लाभों में शेयर (प्रतिशत में)	कुल आय में शेयर (प्रतिशत में)	कुल कारपोरेट आय-कर देनदारी में शेयर (प्रतिशत में)	कुल आय एवं कर पूर्व लाभों का अनुपात (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में) (लाभ एवं कर अनुपात)
1.	शून्य से कम	3,66,434	0.00	0.81	0.84	0.00	0.00
2.	शून्य	33,077	0.00	9.74	3.30	0.00	0.00
3.	0-1 करोड़ रुपये	3,40,503	2.46	2.67	2.33	92.79	26.39
4.	1-10 करोड़ रुपये	39,772	6.87	7.05	6.52	87.75	26.43
5.	10-50 करोड़ रुपये	7,574	9.12	8.90	9.07	83.40	27.68
6.	50-100 करोड़ रुपये	1,349	5.29	4.72	5.29	76.08	27.79
7.	100-500 करोड़ रुपये	1,404	16.21	14.66	16.56	77.23	28.44
8.	500 करोड़ रुपये से ज्यादा	424	60.05	51.44	56.10	73.19	26.01
सभी कंपनियां		7,90,537	100	100	100	85.43	27.84*

* उच्च प्रभावी कर दर कर पूर्व शून्य लाभवाली कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए करों में फेक्टरिंग के कारण है।

सारणी 2 प्रभावी कर दरों में सैम्पल कंपनियों का विवरण देती है। यह नोट किया गया है कि 20 प्रतिशत तक औसत प्रभावी कर दरों वाली 4,82,068 कंपनियों का कर-पूर्व कुल लाभ 22.20 प्रतिशत, कुल कर योग्य आय 12.75 प्रतिशत तथा कुल कर का 10.75 प्रतिशत बनता है। अन्य शब्दों में, बहुत सी कंपनियों (4,82,068 अर्थात 60.98 प्रतिशत) ने अपने लाभों की तुलना में गैर-समानुपातिक रूप से कर की कम राशि दी है। दिलचस्प बात यह है कि

¹ आयकर विवरणियों में, 'कुल आय' शब्द, कर योग्य आय को दर्शाता है जैसा कि सामान्य बोलचाल में अंतर्निहित होगा।
² कंपनियों के मामले में प्रभावी कर दर करों से पूर्व कुल लाभों [पीबीटी] के लिए कुल करों [प्रभार और शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर छोड़कर] का अनुपात है और इसे प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया गया है।
³ लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 30.42 प्रतिशत थी।
⁴ औसत सांविधिक कर दर 1 करोड़ तक की कुल आय वाली कंपनियों के मामले में 31.20 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपये तक की कुल आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपये से अधिक कुल आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत की कर दर के भारत औसत को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। वित्त वर्ष 2016-17 में 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत की दर के प्रभाव को ध्यान में रखने के पश्चात यह कम होगी।

6.43 प्रतिशत कुल लाभों वाली तथा 12.18 प्रतिशत कुल कर वाली 29,920 कंपनियों की प्रभावी कर दर है जो लगभग 34.60 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर के बराबर है। इससे पता चला है कि कंपनियों की कर देनदारी असमान रूप से बंटी हुई है। यह संविधि में मुख्यतः विभिन्न कर वरीयताओं के कारण है।

सारणी 2: प्रभावी कर दरों की रेंज में कंपनियों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2018-19) [कंपनियों की संख्या-7,90,537]

क्र. सं.	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)	कंपनियों की संख्या	लाभों में शेयर (प्रतिशत में)	कुल आय में शेयर (प्रतिशत में)	कुल कर देनदारी में शेयर (प्रतिशत में)
1	शून्य से कम और शून्य	4,34,782	0.00	0.90	0.80
2	0-20	47,286	22.20	11.85	9.95
3	20-25	34,884	19.28	15.56	15.78
4	25-30	1,65,433	18.91	20.21	19.41
5	30-33	45,155	33.18	39.28	41.41
6	>33	29,920	6.43	12.18	16.38
7	अनिर्धारित (पीबीटी = 0)	33,077	0.00	0.00	0.00
जोड़		7,90,537	100	100	100

* प्रभावी कर दर अधिभार और शिक्षा उपकर का समावेश है।

सारणी 3 पब्लिक कंपनियों (केवल पीएसयू) के प्रभावी कर दर की प्राइवेट कंपनियों के प्रभावी कर दर से तुलना करती है। हालांकि दोनों श्रेणियों के लिए प्रभावी दर सांविधिक दर से कम है, परन्तु प्राइवेट कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की अपेक्षा अपने लाभों का कुछ अधिक अनुपात कर के रूप में भुगतान करती हैं।

सारणी 3: पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों में कंपनियों की प्रभावी कर दर* (वित्तीय वर्ष 2018-19) [कंपनियों की संख्या-7,90,537]

क्र. सं.	सेक्टर	कंपनियों की संख्या	कुल लाभों में शेयर (प्रतिशत में)	कुल कर देनदारी में शेयर (प्रतिशत में)	प्रभावी दर (प्रतिशत में) [लाभ और कर का अनुपात]
1.	पब्लिक #	209	18.18	14.95	22.89
2.	प्राइवेट	790328	81.82	85.05	28.94
कुल कम्पनियां		7,90,537	100	100	27.84

* प्रभावी कर दर अधिभार और शिक्षा उपकर का समावेश है।

अपनी संबंधित विवरणियों में निर्धारित कंपनियों (पीएसयू के रूप में) द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर।

सारणी 4 कंपनियों के संदर्भ में विनिर्माण क्षेत्रों अन्य क्षेत्रों की प्रभावी कर दर के बीच तुलना को दर्शाती है। विनिर्माण क्षेत्र की 27.36 प्रतिशत की प्रभावी कर दर की तुलना में गैर-विनिर्माण क्षेत्रों की प्रभावी कर दर ज्यादा है जो 28.13 प्रतिशत है। दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर है जो 34.60 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर से काफी कम है।

सारणी 4: विनिर्माण और गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में कंपनियों की प्रभावी कर दर*

(वित्तीय वर्ष 2018-19) [कंपनियों की संख्या-7,90,537]

क्र. सं.	सेक्टर	कंपनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	कुल कर देनदारी में शेयर (प्रतिशत में)	प्रभावी दर (प्रतिशत में) [लाभ और कर का अनुपात]
1.	विनिर्माण	1,22,447	37.90	37.25	27.36
2.	गैर-विनिर्माण	6,68,090	62.10	62.75	28.13
कुल कम्पनियां		7,90,537	100	100	27.84*

* प्रभावी कर दर अधिभार और शिक्षा उपकर का समावेश है।

सारणी 5 वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान कर व्यय के अर्थ में कारपोरेट करदाताओं के संदर्भ में मुख्य कर व्यय के ब्यौरे को दर्शाती है। यह विश्लेषण 30, नवम्बर, 2019 तक दायर की गई कारपोरेट विवरणियों पर आधारित है जो वित्त वर्ष 2019-20 में प्रत्याशित लाभ का 90 प्रतिशत है। चूंकि सभी कम्पनियों द्वारा आयकर विवरणी दायर करने की निर्धारित तिथि 30 नवम्बर या उससे पहले है और विश्लेषण किए गए अधिकांश कर रियायतों के लिए इस प्रतिलाभ का दावा करने के उद्देश्य से निर्धारित तिथि से पहले विवरणी दायर करना अपेक्षित होता है, अतः उक्त सैम्पल से कर व्यय किसी भी विधि से परिकलित नहीं किया गया है। इन कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई कर छूट का राजस्व प्रभाव प्रत्येक कटौती की राशि पर 34.60 प्रतिशत की औसत सांविधिक कारपोरेट कर दर लागू करके परिकलित किया गया है। त्वरित मूल्य ह्रास का राजस्व प्रभाव, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय की कटौती/भारित कटौती का परिकलन पहले कंपनियों द्वारा लाभ/हानि खाते में डेबिट किए गए मूल्य ह्रास/कटौती तथा आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमति प्राप्त मूल्यह्रास/कटौती के बीच अंतर को निर्धारित करके किया गया है। इसके बाद कर व्यय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए इस अंतर पर 34.60 प्रतिशत की औसत कारपोरेट कर दर लागू की गई है।

कर व्यय का दूसरा पक्ष कर आस्थगन है। कर आस्थगन तब होता है जब करदाता, कर संविधि के अंतर्गत उच्च कटौतियों की अनुमति मिलने के कारण कम समयावधि में कटौती के रूप में किसी भत्ते (अर्थात् मूल्यह्रास भत्ते) का दावा करके अपनी कर देनदारी को आस्थगित करने में सक्षम होता है जबकि वह अपने खाते में बहुत से वर्षों से उसी मूल्यह्रास दावे को डाल रहा होता है। चूंकि मूल्यह्रास में नकद व्यय जरूरी नहीं होता है, अतः यह कर आस्थगन है। दूसरी ओर, कर संविधि के अंतर्गत कंपनियों पर एमएटी (कुछ सामंजस्यों के अध्यक्षीन) अपने शेयरधारकों को कंपनी द्वारा सूचित लाभ पर, देनदारी (वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 20.90 प्रतिशत की दर पर जिसमें दर्ज लाभों पर उपकर और अधिभार का समावेश है) में तेजी लाता है, यदि यह देनदारी सामान्य दरों पर परिकलित कर देनदारी से अधिक है। एमएटी के कारण अधिक देनदारी बाद के उस वर्ष में (15 वर्षों तक) क्रेडिट के रूप में अनुमत है जिसमें सामान्य कर देनदारी एमएटी से अधिक है। अतः एमएटी के कारण भुगतान किया गया अतिरिक्त कर भावी कर देनदारी का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्यह्रास के दावों के कारण करों की आस्थगन अवधि को सीमित करता है तथा लंबी समयावधि में समान दावे को जमा करके अन्य कटौतियों जैसे लाभ से संबंधित कटौतियों के राजस्व प्रभाव को नियंत्रित करता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कर व्यय संबंधी आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कर व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को वर्ष के लिए अनंतिम राजस्व संग्रह के अनुसार 2019-20 में कारपोरेट कर वृद्धि के साथ गुणा करके 2018-19 के लिए अनुमान लगाया गया है। करधान नियम (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से घरेलू कम्पनियों (मौजूदा एवं नई दोनों) को इस शर्त पर करधान का निम्नतर दर चुनने का विकल्प प्रदान किया गया है कि उनके द्वारा कोई भी छूट या प्रोत्साहन नहीं लिया गया हो। चूंकि इस विकल्प का लाभ उठाने वाली कम्पनियों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, अतः इस विवरण में ऐसे विकल्प के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है।

सारणी 5 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कर व्यय के अर्थ में कारपोरेट करदाताओं के संदर्भ में मुख्य कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुमान को दर्शाती है।

**सारणी 5: कारपोरेट करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव
वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 [कंपनियों की संख्या-7,90,537]**

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2018-19]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2019-20]
1.	एसईजेड में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10कक)	22,889.65	23,539.72
2.	त्वरित मूल्यह्रास (धारा 32)	54,278.39	55,819.90
3.	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय हेतु कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) और (2कख)	8,080.47	8,309.95
4.	विशिष्ट कारोबार के संदर्भ में कटौती (धारा 35कघ)	3,953.81	4,066.09
5.	धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	2,446.79	2,516.27
6.	राजनीतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछख)	814.54	837.67
7.	अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-क)	4,973.43	5,114.67
8.	एसईजेड तथा औद्योगिक पार्कों में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-क)	467.30	480.57
9.	दूर संचार सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-क)	1.39	1.43

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2018-19]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2019-20]
10.	विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1क)	13,231.70	13,607.48
11.	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1क)	76.08	78.24
12.	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1कख)	1,097.76	1,128.93
13.	जम्मू और कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1ख)	58.32	59.98
14.	जम्मू और कश्मीर से इतर औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों में लाभों में छूट (धारा 80-1ख)	1.96	2.01
15.	औद्योगिक उपक्रमों को खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से होने वाले लाभों में छूट (धारा 80-1ख)	1,342.78	1,380.91
16.	औद्योगिक उपक्रमों को आवासीय परियोजनाओं से होने वाले लाभों में छूट (धारा 80-1ख)	26.11	26.85
17.	औद्योगिक उपक्रमों को कोल्ड चैन सुविधा के प्रचालन से होने वाले लाभों में छूट (धारा 80-1ख)	10.76	11.06
18.	औद्योगिक उपक्रमों को खाद्यान्नों के हैंडलिंग, स्टोरे और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से होने वाले लाभों में छूट (धारा 80-1ख)	14.84	15.26
19.	औद्योगिक उपक्रमों को फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग से होने वाले लाभों में छूट (धारा 80-1ख)	246.38	253.37
20.	औद्योगिक उपक्रमों को ग्रामिण क्षेत्र में अस्पताल से होने वाले लाभों में छूट (धारा 80-1ख)	0.52	0.53
21.	आवासीय परियोजनाओं से लाभों और आय में छूट (धारा 80-1खक)	183.29	188.49
22.	पूर्वोत्तर राज्यों स्थापित उपक्रमों के लाभों में छूट (धारा 80-1ग)	1,239.84	1,275.05
23.	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों में छूट (धारा 80-1ग)	2,031.33	2,089.02
24.	उत्तराखंड में स्थापित उपक्रमों के लाभों में छूट (धारा 80-1ग)	1,202.15	1,236.29
25.	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों में छूट (धारा 80-1ग)	331.26	340.66
26.	बायोडीग्रेडेबल अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण के व्यवसाय से होने वाले लाभों में छूट (धारा 180अजक)	13.79	14.18
27.	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में छूट (धारा 180अजकक)	1,274.09	1,310.27
28.	ऑफसोर बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आयों के संबंध में छूट (धारा 80ठक)	352.02	362.02
	कुल	1,20,640.75	1,24,066.94
	घटाएं-एमएटी के कारण अतिरिक्त कर देनदारी	35,001.60	
	दावा किए गए एमएटी क्रेडिट को घटाकर	18,326.98	
	एमएटी के कारण निवल अतिरिक्त कर	16,674.62	17,148.18
	कुल परिव्यक्त राजस्व	1,03,966.13	1,06,918.77

चूंकि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित कर व्यय का आंकड़ा (विशिष्ट रूप से एमएटी भुगतान के कारण अतिरिक्त कर का आंकड़ा) विगत वर्ष के विवरण में अनुमानित किया गया था जो ₹1,39,486.12 करोड़ था, अब यह वास्तव में ₹1,20,640.75 करोड़ पर परिकलित किया गया है। एमएटी के परिणाम के रूप में संग्रहित अतिरिक्त कर को ध्यान में रखते हुए, कर प्रोत्साहनों की वास्तविक राजस्व देयता विगत वर्ष के विवरण में अनुमानित ₹1,08,785.41 करोड़ के कर व्यय के सापेक्ष कम ₹1,03,966.13 करोड़ है। वह शीर्ष द्रुत मूल्य ह्रास है जिसके अंतर्गत कर प्रोत्साहनों की उच्चतम राशि (₹53,760.70 करोड़) दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष आर्थिक जोनों (एसईजे) में स्थित इकाइयों, विद्युत के सृजन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों, अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों, विनिर्दिष्ट व्यवसाय (क्र.सं. 4) तथा वैज्ञानिक अनुसंधान (क्र.सं. 3) पर प्राप्त की गई छूटें कुल कर प्रोत्साहन का बहुत बड़ा भाग है।

कंपनियों के प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरण के परिशिष्ट में सारणी में दिया गया है। निम्न रेंज पर, यूरेनियम और थोरियम अयस्कों को छोड़कर अलौह धातु अयस्कों के खनन के लिए प्रभावी कर दर 14.97 प्रतिशत है। इसी तरह, वस्त्र विनिर्माण (हथकरघा छोड़कर) और बिजली उत्पादन, संग्रहण तथा संवितरण के लिए प्रभावी कर दर क्रमशः 17.74 प्रतिशत और 19.16 प्रतिशत है जो कि औसत प्रभावी कर दर से कम है। अन्य क्षेत्र जिनकी प्रभावी कर दरों की तुलना में कर दरें न्यूनतम हैं, ये हैं- भवनों की खरीद, बिक्री और लिजिंग (आवासीय और गैर-आवासीय) (16.36 प्रतिशत), हवाई परिहवन (17.49 प्रतिशत), अन्य कृषि, पशुपालन तथा वानिकी (13.29 प्रतिशत), अन्य संपदा/भाड़ा सेवाएं (19.78 प्रतिशत)।

ख. गैर-कार्पोरेट क्षेत्र (फर्म/एओपी/बीओआई आदि)

कार्पोरेट क्षेत्र के अलावा, बड़ा व्यवसाय साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के संघ (एओपी) या व्यष्टियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी संगठित है। इन पर कर व्यय इतना बड़ा नहीं होता जितना कि कंपनियों के मामलों में होता है। आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2018-19 की आय के लिए 30 नवम्बर, 2019 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज 13,37,158 विवरणियां प्राप्त हुई हैं। कर व्यय का आकलन करने के उद्देश्य से इन 13,37,158 फर्मों/एओपी/बीओआई के आंकड़ों का डाटा बेस से छांटा गया है। ये सभी, वित्तीय वर्ष 2018-19 में फर्मों/एओपी/बीओआई की दुनिया द्वारा प्रदत्त कुल कर के बहुत बड़े भाग के लिए उत्तरदायी हैं।

आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए:-

- * समूची फर्मों/एओपी/बीओआई ने ₹2,11,231.24 करोड़ के कर पूर्व लाभों की जानकारी दी और ₹1,97,645.59 करोड़ की कुल आय (कर योग्य आय) घोषित की। हानियों की रिपोर्ट 2,31,699 विवरणियों के द्वारा दी गई थी जो कि कुल का 17.33 प्रतिशत है।
- * इन फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए देय आयकर (शिक्षा उपकर सहित) के रूप में ₹61,002.12 करोड़ की जानकारी दी।

फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावा की गई प्रत्येक कर रियायत की राजस्व देयता को प्रत्येक छूट (कटौती) की राशि पर 31.26 प्रतिशत (एक करोड़ से कम की आय वाली फर्मों के लिए 31.20 प्रतिशत तथा एक करोड़ से अधिक की आय वाली फर्मों के लिए 34.94 प्रतिशत की दर लेते हुए परिकलित की गई भारित औसत दर) की आय कर दर लागू करते हुए परिकलित किया गया है। द्रुत मूल्यह्रास के कारण कर व्यय; वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/ भारित कटौती को सर्वप्रथम फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा लाभ और हानि के खातों से घटाए गए मूल्यह्रास/कटौती और आयकर अधिनियम के तहत अनुमत्य मूल्यह्रास/कटौती के बीच के अंतर का निर्धारण करके परिकलित किया गया है। इसके पश्चात् 31.26 प्रतिशत की आयकर दर इस अंतर पर प्रयुक्त की जाती है और प्रत्येक कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का आकलन किया जाता है।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन की राजस्व देयता के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राजस्व देयता का प्रेक्षण किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए अनुमान को, वर्ष 2019-20 में संग्रहित आयकर के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार आयकर संग्रहणों और वर्ष 2018-19 में संग्रहित वास्तविक आयकर के बीच का अनुपात निकालकर और फिर इसी अनुपात को वर्ष 2018-19 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण होने वाले कर व्यय पर लागू करके निकाला गया है।

सारणी 6 में वित्तीय वर्षों 2018-19 और 2019-20 के दौरान कर व्यय के अनुसार गैर-कार्पोरेट करदाताओं पर बड़े कर-व्ययों को दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की तरह, सहायकारी सोसायटियों के लाभों की कटौती के कारण कर व्यय उच्चतम स्तर पर बना रहा जो कुल राजस्व देयता का 49.75 प्रतिशत रहा जबकि विगत वित्तीय वर्ष में यह मात्र 56.27 प्रतिशत था। एसईजेड में अवस्थित इकाइयों द्वारा अर्जित लाभों पर छूट के कारण कर व्यय कुल राजस्व देयता का 7.59 प्रतिशत था।

गैर-कार्पोरेट क्षेत्र अर्थात् फर्मों; एओपी/बीओआई के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 का कुल कर व्यय ₹7,022.99 करोड़ बनता है।

सारणी 6: गैर कार्पोरेट (फर्मों/एओपी/बीओआई) करदाताओं के लिए वित्तीय वर्षों 2018-19 और 2019-20 के बड़े कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2018-19]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2019-20]
1.	एसईजेड में अवस्थित इकाइयों के निर्यात लाभों पर छूट धारा (धारा 10क और 10कक)	740.15	761.17
2.	द्रुत मूल्यह्रास (धारा 32)	744.84	765.99
3.	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय हेतु कटौती/भारित कटौती (धारा 35(ड), (2कक) और (2कख)	8.56	8.80
4.	विनिर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती 35कघ	48.58	49.94
5.	चेरीटेबल ट्रस्टों और संस्थानों को दिए गए दानों पर छूट (धारा 80छ)	111.74	114.91
6.	राजनीतिक पार्टियों को दिए गए अंशदानों पर छूट (धारा 80छगग)	39.71	40.84
7.	अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80Iक)	235.07	241.75
8.	एसईजेड के विकास और औद्योगिक पार्कों में लगे उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80-Iक)	22.24	22.87
9.	विद्युत के सृजन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80-Iक)	836.88	860.64
10.	विद्युत संयंत्र के पुनरूद्धार में लगे उपक्रम के लाभ पर छूट (धारा 80-Iक)	3.92	4.03
11.	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80-Iख)	44.97	46.25
12.	जम्मू और कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80-Iख)	5.28	5.42
13.	जम्मू और कश्मीर से इतर औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर कटौती (धारा 80-Iख)	0.02	0.02
14.	पिछड़े जिलों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर छूट कटौती (धारा 80-Iख)	0.01	0.01
15.	औद्योगिक उपक्रमों द्वारा आवासीय परियोजनाओं से अर्जित किए गए लाभों पर छूट (धारा 80-Iख)	56.04	57.63
16.	आवासीय परियोजनाओं से अर्जित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर कटौती (धारा 80-Iख)	3.03	3.11
17.	खाद्यान्नों के संचालन, भंडारण और परिवहन के समेकित कारोबार से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	6.13	6.30
18.	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिवहन और पैकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-Iखक)	25.97	26.70
19.	आवासीय परियोजनाओं से लाभों की कटौती (धारा-80-Iखक)	124.17	127.69
20.	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-Iग)	229.69	236.21
21.	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-Iजकक)	44.77	46.04
22.	उत्तराखंड में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-Iजकक)	63.27	65.06
23.	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-Iजकक)	103.53	106.47
24.	जैविक कूड़े के संग्रहण और प्रसंस्करण के कारोबार से प्राप्त लाभ की कटौती (धारा-80-Iजकक)	10.01	10.29
25.	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा-80-Iजकक)	19.61	20.17
26.	विदेश स्थित बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) तथा अंतरराष्ट्रीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) के कतिपय आय के संबंध में कटौती (धारा-80-ठक)	1.13	1.16
27.	सहकारी संस्थाओं के लाभों के संदर्भ में कटौती (धारा 80प)	3,493.69	3,592.91
	जोड़	7,022.99	7,222.44

ग. व्यक्ति/हिंदू संयुक्त परिवार (एचयूएफ) करदाता

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क में कतिपय भुगतानों और कतिपय आयों पर कटौती की व्यवस्था की गई है। व्यक्ति/एचयूएफ) करदाता इन कटौतियों के दावे के लिए पात्र हैं तथा उनके लिए अनेक कर विकल्प उपलब्ध हैं। तथापि, चूंकि 50 प्रतिशत से अधिक करदाता अपनी आय वेतन से प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ आधारित कटौती (अर्थात् कतिपय कारोबार से प्राप्त आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर वैतनिक व्यक्ति दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा कर सकते हैं।

व्यक्ति करदाताओं को अनुमेय कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को सारणी 7 में प्रस्तुत किया गया है। आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर प्रभाव को व्यक्तियों द्वारा आयकर विभाग में 30 नवम्बर, 2019 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत 5,78,64,423 विवरणियों में कर विकल्पों के विभिन्न दावों के आधार पर परिकलित किया गया है। अध्याय VI-क के अंतर्गत कटौतियों के अलावा वित्त वर्ष 2018-19 में व्यक्ति करदाताओं पर अन्य भारी कर व्यय वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष अथवा अधिक आयु वाले व्यक्ति) के लिए धारा 87A के अंतर्गत 6184.12 रुपये की छूट के साथ 3,00,000 रुपये की उच्चतम बुनियादी छूट सीमा और वरिष्ठतम नागरिकों (80 वर्ष अथवा अधिक आयु वाले व्यक्ति) के लिए 5,00,000 तक बढ़ाई गई छूट सीमा के कारण था।

कुल 5,78,64,423 आय विवरणियों के आंकड़ों के आधार पर करदाताओं की पूरी जनसंख्या के लिए कर व्यय का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है:-

- (i) ऊपर उल्लिखित के अनुसार (सारणी 7 की क्रम संख्या 26 और 27) उच्चतम बुनियादी छूट सीमाओं के राजस्व प्रभाव को प्रति वरिष्ठ नागरिक और वरिष्ठतम नागरिकों के कर व्यय को उनकी संबंधित संख्या के साथ गुना करके परिकलित किया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई नमूना विवरणियों के प्रतिशत की गणना करके उनकी संख्या का अनुमान लगाया गया है। तत्पश्चात्, व्यक्तियों द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तुत की गई विवरणियों की कुल संख्या का अनुमान लगाने के लिए यहां प्रतिशत लागू किया गया है। 30 नवम्बर, 2019 तक आयकर विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की गई कुल नमूना विवरणियों की संख्या 5,78,64,423 है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तुत की गई विवरणियों की अनुमानित संख्या, जो 5,89,18,404 थी, की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर को मानकर वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्तियों/एचयूएफ द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों की कुल संख्या 6,21,95,673 होने का अनुमान लगाया गया है। इन विवरणियों के आंकड़ों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा 11.06 प्रतिशत विवरणियां और अति वरिष्ठ नागरिकों द्वारा 0.66 प्रतिशत विवरणियां प्रस्तुत की गई थीं। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध उच्चतम छूट सीमा के राजस्व प्रभाव को 2,50,000 रुपये की सामान्य छूट सीमा की तुलना में उच्चतम बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् 3,00,000 रुपये) के बीच अंतर पर विचार करते हुए और अंतर पर 5 प्रतिशत (जमा उपकर) की न्यूनतम दर को प्रयुक्त करते हुए परिकलित किया गया है। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए कर व्यय 2,600 रुपये (उपकर सहित) है। वरिष्ठतम नागरिकों के लिए, 5,00,000 लाख की छूट सीमा तथा ऐसी आय पर आकलित कर 13,000 रुपये (उपकर सहित) बनता है जिसका भुगतान 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना होता है। प्रत्येक वरिष्ठतम नागरिक के संदर्भ में इसे राजस्व प्रभाव माना गया है।
- (ii) वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर व्यय का अनुमान लगाया गया है। 2019-20 के लिए अनुमान वर्ष 2018-19 के लिए संग्रहित वास्तविक व्यक्ति आयकर की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान के अनुसार संग्रहित वास्तविक व्यक्ति आयकर के अनुपात का परिकलन करने के पश्चात् और वित्त वर्ष 2018-19 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय के उसी अनुपात को प्रयुक्त करके किया गया है। धारा 87 के अंतर्गत छूट के इस मामले को छोड़कर जिसका अंतरिम बजट 2019 में अनुमानित राजस्व हानि के आधार पर अनुमान लगाया गया है।

उपर्युक्त ब्योरे के अनुसार, सारणी 7 में वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान कर व्यय के संदर्भ में व्यक्ति/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का चित्रण किया गया है।

सारणी 7 : व्यक्ति/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2018-19]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2019-20]
1.	कतिपय निवेश और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	69,977.46	71,964.82
2.	कतिपय पेंशन कोष में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	305.78	314.46
3.	नई पेंशन योजना कतिपय पेंशन कोष में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	4,063.02	4,178.41
4.	आरजीईएसएस में निवेश के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	51.07	-

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2018-19]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2019-20]
5.	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम कतिपय पेंशन कोष में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	4,629.51	4,760.99
6.	दिव्यांग आश्रित की चिकित्सा पर व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघ)	656.64	675.29
7.	विशिष्ट बीमारियों की कतिपय पेंशन कोष में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80घघख)	661.59	680.38
8.	उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ड)	800.06	822.78
9.	रिहायशी आवास संपत्ति हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80डड)	298.79	307.28
10.	धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को किए गए दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	1,043.39	1,073.02
11.	आवास के लिए प्रदत्त किराए के कारण कटौती (धारा 80छछ)	1,850.79	1,903.35
12.	वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दान देने पर कटौती (धारा 80छछक)	16.45	16.92
13.	राजनैतिक पार्टियों को दिए गए अंशदान पर कटौती (धारा 80छछग)	385.36	396.30
14.	अवसंरचना सुविधाओं, एसईजेड तथा औद्योगिक पार्कों के विकास, बिजली निर्माण तथा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	94.9	97.60
15.	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में कार्यरत उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झकख)	0.21	0.22
16.	आवासीय परियोजनाओं के लाभों की कटौती (धारा 80झखक)	15.42	15.86
17.	आवासीय परियोजनाओं, खनिज तेल का उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान का विकास, खाद्यान्नों के संचालन, भंडारण और परिवहन लाभ कमाने वाले औद्योगिक उपक्रमों तथा जम्मू और कश्मीर और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	24.04	24.72
18.	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल तथा हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	89.98	92.54
19.	जैविक कूड़े के संग्रहण और प्रसंस्करण के कारोबार से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80झगक)	6.15	6.32
20.	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80झगकक)	5.11	5.26
21.	पाठ्यपुस्तकों को छोड़कर कतिपय पुस्तकों के लेखकों की रायल्टी आय की कटौती (धारा 80थथक)	11.27	11.59
22.	पेटेंट पर रायल्टी आय की कटौती (धारा 80ददक)	0.46	0.47
23.	बचत खाते पर ब्याज की कटौती (धारा 80ननक)	1,161.26	1,194.24
24.	दिव्यांग व्यक्ति के मामले में कटौती (धारा 80प)	454.97	467.89
25.	धारा 87क के अंतर्गत रिबेट	6,184.12	24,859.75
26.	वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्चतम छूट सीमा	2,017.68	2,074.98
27.	वरिष्ठतम नागरिकों के लिए उच्चतम छूट सीमा	318.57	327.62
	जोड़	95,124.05	1,16,273.57

विभिन्न बचत लिखतों में निवेश करने, आवास ऋण की अदायगी तथा बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अंतर्गत शामिल हैं) के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करने के कारण राजस्व प्रभाव व्यष्टि करदाताओं के मामले में सबसे बड़ा एकल कर व्यय है जिसके बाद 5 लाख रुपये तक आय वाले निवासी भारतीयों के मामले में कर पर छूट, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) पर कटौती और नई पेंशन योजना का स्थान आता है। वरिष्ठ नागरिकों तथा अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्चतम बुनियादी छूट सीमाओं के कारण कर व्यय भी महत्वपूर्ण है। लाभ आधारित कटौतियों के मामले में उच्च कर व्यय आयकर अधिनियम की धारा 80-जक और 80-जग के कारण है।

घ. धर्मार्थ निकाय

आयकर अधिनियम में सरकार द्वारा निधि पोषित धर्मार्थ प्रवृत्ति के कार्य में लगे निकाय सहित विभिन्न निकायों को छूट देने का उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक प्रयोजनों को पूरा करने वाली कतिपय क्रिया-कलापों में लगे निकायों के लिए विशिष्ट छूट भी उपलब्ध है। इन निकायों को दान स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त होते हैं और धर्मार्थ प्रकृति के क्रिया-कलापों से अन्य आय प्राप्त होती है। ऐसे निकायों की कुल प्राप्तियों को उन प्रयोजनों के लिए लागू करने की अपेक्षा है जिनके लिए इनकी स्थापना की गई है। इन निकायों के लिए आयकर विवरणी फाइल करना अपेक्षित है। 30 नवम्बर, 2019 तक ऐसे निकायों की इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल की गई विवरणियों की कुल संख्या, वित्त वर्ष 2018 के दौरान 1,98,806 है। भारत में धर्मार्थ और धार्मिक प्रयोजनों के लिए ऐसे निकायों द्वारा आवेदित कुल राशि 5,29,125.87 करोड़ रुपए है।

परिशिष्ट

उद्योगों के बीच अधिभार और शिक्षा उपकर सहित कम्पनियों की प्रभावी कर दर (वित्त वर्ष 2018-19) (कम्पनियों की संख्या - 7,90,537)

क्र.सं.	क्षेत्र	उप क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ (करोड़ ₹ में)	कुल कर (करोड़ ₹ में)	प्रभावी कर दर (% में)
1.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	कृषि और पशुपालन सेवाएं	3,624	1,402.57	319.41	22.77
2.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	कुकुट और अण्डा उत्पादन बढ़ाना	551	1,103.44	343.64	31.14
3.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	चाय की खेती और विनिर्माण	1,029	721.17	183.95	25.50
4.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	अवर्गिकृत सहित अन्य	6,549	3,330.70	442.67	13.29
5.	मत्स्य पालन	मत्स्य पालन	225	53.66	16.59	30.92
6.	मत्स्य पालन	समुद्री और ताजा पाना संबंधी मत्स्य, मत्स्य हैचरी और मत्स्यपालन	78	18.25	5.18	28.37
7.	मत्स्य पालन	अन्य	319	228.93	61.30	32.34
8.	खनन और उत्खनन	कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण	131	52,345.46	13,369.23	25.54
9.	खनन और उत्खनन	खनन और कठोर कोयले का संचयन	157	39,566.11	9,292.34	23.95
10.	खनन और उत्खनन	यूरेनियम और थोरियम अयस्क को छोड़कर अघात्विक अयस्क का खनन,	44	15,768.76	2,360.77	14.97
11.	खनन और उत्खनन	लौह अयस्क का खनन	177	7,048.87	2,060.15	29.22
12.	खनन और उत्खनन	अन्य	2,939	8,882.77	2,576.94	29.01
13.	विनिर्माण	परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण	301	1,00,851.90	21,568.27	21.38
14.	विनिर्माण	भेषज, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का विनिर्माण	5,172	61,304.50	16,249.56	26.50
15.	विनिर्माण	मोटर वाहनों का विनिर्माण	286	39,606.03	12,021.07	30.35
16.	विनिर्माण	मोटर वाहनों और इंजनों के कलपूजों और सहायक कलपूजों का विनिर्माण	2,972	32,810.99	9,723.18	29.63
17.	विनिर्माण	इस्पात उत्पादन का विनिर्माण	3,695	53,063.60	11,521.97	21.71
18.	विनिर्माण	अन्य रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	3,473	26,854.95	7,941.02	29.57
19.	विनिर्माण	तम्बाकू उत्पादों का विनिर्माण	315	20,259.91	6,143.59	30.32
20.	विनिर्माण	वस्त्रों का विनिर्माण (हस्तकरघा द्वारा निर्मित को छोड़कर)	8,097	24,119.00	4,279.62	17.74

क्र.सं.	क्षेत्र	उप क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ (करोड़ ₹ में)	कुल कर (करोड़ ₹ में)	प्रभावी कर दर (% में)
21.	विनिर्माण	विद्युत मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	1,934	14,119.29	3,793.39	26.86
22.	विनिर्माण	सीमेंट, चूना और पलस्तर का विनिर्माण	582	14,433.64	3,506.82	24.29
23.	विनिर्माण	अन्य खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	3,272	8,953.05	3,337.25	37.27
24.	विनिर्माण	रेडियो, टेलीविजन, संचार उपकरणों और उपकरणों का विनिर्माण	221	4,718.05	1,706.14	36.16
25.	विनिर्माण	साबुन और डिटर्जेंट का विनिर्माण	249	1,819.58	484.53	26.62
26.	विनिर्माण	उर्वरकों और नाइट्रोजन मिश्रणों का विनिर्माण	925	7,426.82	1,958.45	26.37
27.	विनिर्माण	रबर उत्पादों का विनिर्माण	1,048	7,711.80	2,063.50	26.75
28.	विनिर्माण	पेंट्स, रंग-रोगन और इसी प्रकार के कोटिंग का विनिर्माण	676	6,023.99	1,788.93	29.69
29.	विनिर्माण	प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	2,758	4,707.13	1,294.61	27.50
30.	विनिर्माण	कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण	2,353	6,428.52	1,700.90	26.45
31.	विनिर्माण	इंजन और टर्बाइन का विनिर्माण	196	4,794.31	1,528.58	31.88
32.	विनिर्माण	अवर्गीकृत सहित अन्य	83,922	2,33,933.80	71,797.47	30.68
33.	बिजली, गैस और पानी	बिजली उत्पादों, संग्रहण और वितरण	4,482	54,100.13	10,370.07	19.16
34.	बिजली, गैस और पानी	गैस का विनिर्माण और वितरण	239	10,919.52	2999.79	27.47
35.	बिजली, गैस और पानी	पानी का संग्रहण, शुद्धिकरण और वितरण	114	49.03	15.37	31.35
36.	बिजली, गैस और पानी	अन्य अनिवार्य वस्तु सेवाएं एन.ई.सी.	1,965	835.95	157.58	18.85
37.	निर्माण	सड़कों, रेलों, पुलों, सुरंगों, पत्तनों, बंदरगाहों, रनवेज आदि का निर्माण और रखरखाव	3,965	24,847.37	6,614.91	26.62
38.	निर्माण	भवन का पूर्ण निर्माण या भाग सिविल संविदाकार	16,021	11,631.44	3,515.92	30.22
39.	निर्माण	अवर्गीकृत सहित अन्य	41,013	23,733.21	6,742.47	28.40
40.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	स्थावर संपदा का विकास और लॉट में उपविभाजन	8,365	5,306.92	1,464.42	27.59
41.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	अपने स्वामित्व के भवनों के स्थावर संपदा का प्रचालन (रिहायशी और गैर-रिहायशी)	3,072	5,462.95	1,359.58	24.88
42.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	भवनों की खरीद बिक्री और पट्टे पर देना (रिहायशी और गैर-रिहायशी)	5,334	3,364.73	550.49	16.36
43.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	शुल्क या संविदा आधार पर स्थावर संपदा संबंधी क्रिया-कलाप	5,293	1,438.38	401.63	27.92
44.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	अन्य स्थावर संपदा/किराए पर देने की सेवाएं एन.ई.सी.	33,591	14,688.29	2,906.04	19.78
45.	मशीनरी को किराए पर देना	मशीनरी को किराए पर देना	1,592	1,006.29	289.60	28.77
46.	थोक और खुदरा व्यापार	मोटर कलपूर्जों और सहायक पूर्जों की थोक और खुदरा बिक्री	1,186	11,322.74	3,285.67	29.01
47.	थोक और खुदरा व्यापार	इलेक्ट्रॉनिक पूर्जों और उपकरणों की थोक बिक्री	2,759	2,982.68	1,003.20	33.63
48.	थोक और खुदरा व्यापार	कपड़ों, परिधान, जूते-चप्पल, चमड़ा सामानों की खुदरा बिक्री	4,840	3,666.81	1,175.35	32.05
49.	थोक और खुदरा व्यापार	मोटर वाहनों की थोक और खुदरा बिक्री	2,964	2,582.41	759.47	29.40
50.	थोक और खुदरा व्यापार	अन्य मशीनरी और उपकरण की थोक बिक्री और आपूर्ति	2,311	1,949.99	623.25	31.96

क्र.सं.	क्षेत्र	उप क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ (करोड़ ₹ में)	कुल कर (करोड़ ₹ में)	प्रभावी कर दर (% में)
51.	थोक और खुदरा व्यापार	अवर्गीकृत को छोड़कर अन्य	1,32,956	63,239.61	18,478.24	29.22
52.	होटल, रेस्तरां और आतिथ्य सेवाएं	होटल, रेस्तरां और आतिथ्य सेवाएं	16,375	7,265.48	1,924.99	26.50
53.	परिवहन और संचार सेवाएं	हवाई परिवहन	335	1,104.61	193.61	17.49
54.	परिवहन और संचार सेवाएं	सड़क द्वारा मालभाड़ा परिवहन	3,277	2,802.18	816.79	29.15
55.	परिवहन और संचार सेवाएं	अवर्गीकृत सहित अन्य	14,210	14,881.30	4,351.59	29.24
56.	डाक और दूरसंचार सेवाएं	डाक और दूरसंचार सेवाएं	1,974	23,706.44	6,207.68	26.19
57.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक बैंक, बचत बैंक और छूट संस्थाएं	240	95,428.78	38,773.71	40.63
58.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक ऋण क्रिया-कलाप	2,031	35,875.97	9,469.05	26.39
59.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	आवास वित्तपोषण क्रिया-कलाप	178	24,705.33	7,026.33	28.44
60.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	अवर्गीकृत सहित अन्य	42,585	1,91,916.52	50,317.74	26.22
61.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	सॉफ्टवेयर विकास	19,485	1,41,460.07	37,416.19	26.45
62.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	अन्य आईटी समर्थित सेवाएं	18,685	48,401.06	15,381.53	31.77
63.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	बीपीओ सेवाएं	2,187	5,921.75	2,005.41	33.87
64.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	अन्य	12,178	4,896.02	1,654.95	33.80
65.	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	1,395	1,119.18	352.30	31.48
66.	पेशा	इंजीनियरी और तकनीकी परामर्शी	3,736	4,968.02	1,751.49	35.26
67.	पेशा	व्यवसाय और प्रबंधन परामर्शी क्रिया-कलाप	199	214.99	82.87	38.54
68.	पेशा	विज्ञापन	2,232	1,634.23	518.72	31.74
69.	पेशा	वास्तुकला पेशा	932	216.97	63.79	29.40
70.	पेशा	अवर्गीकृत सहित अन्य	21,912	4,143.13	1,292.93	31.21
71.	शिक्षा सेवाएं	कोचिंग केन्द्र और ट्यूशन	2,301	737.17	208.30	28.26
72.	शिक्षा सेवाएं	प्राथमिक शिक्षा	489	234.35	61.54	26.26
73.	शिक्षा सेवाएं	अवर्गीकृत सहित अन्य	6,065	1,491.99	506.70	33.96
74.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	स्पेशलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	1,730	3,062.5	907.83	29.64
75.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	नैदानिक केन्द्र	1,255	1,282.11	407.18	31.76
76.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	अन्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	3,420	1,244.16	386.39	31.06
77.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	सामान्य अस्पताल	1,771	741.62	211.57	28.53
78.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	अन्य	5,332	1,199.30	352.93	29.43
79.	सामाजिक और सामुदायिक कार्य	सामाजिक और सामुदायिक कार्य	1888	99.26	31.06	31.30
80.	संस्कृति एवं खेलकूद	टेलीविजन चैनल प्रसारण	420	6,612.05	2,286.67	34.58
81.	संस्कृति एवं खेलकूद	चलचित्र निर्माण	1,148	1,188.16	345.05	29.04
82.	संस्कृति एवं खेलकूद	अवर्गीकृत सहित अन्य	3,866	2,907.44	1,010.13	34.74
83.	अन्य सेवाएं	अन्य सेवाएं	1,80,306	96,895.17	29,709.46	30.66
84.	प्रदेश बाह्य संगठन और निकाय	आईएमएफ, विश्व बैंक, यूरोपीय आयोग	61	17.16	4.78	27.86
जोड़			7,90,537	17,78,466.76	4,95,109.53	27.84

एन.ई.सी. = और कहीं अवर्गीकृत नहीं

2018-2019 और 2019-2020 की अवधि के लिए सीमा शुल्क के लिए कर प्रोत्साहन का राजस्व पर प्रभाव का विवरण (अनुमानित)

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (सामान्यतया इसे बुनियादी सीमा शुल्क-बीसीडी कहा जाता है) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर कतिपय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क भी लगाया जाता है।

2.1 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में व्यष्टि टैरिफ लाइनों के सामने विनिर्दिष्ट इन दरों को सामान्य रूप से “टैरिफ दरें” कहा जाता है। इसके अलावा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या संबंधित वित्त अधिनियम (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के तहत जो विभिन्न वित्तीय अधिनियमों के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों पर भी लागू होती है) केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित करने के लिए शक्तियां प्रदान करते हैं। ऐसी छूट की अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित दरों को “प्रभावी दरें” कहा जाता है।

2.2 इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा जारी छूट संबंधी अधिसूचनाओं को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-
(i) सशर्त छूट की अधिसूचनाएं; और
(ii) बिना शर्त छूट की अधिसूचनाएं।

2.3 बिना शर्त छूटों में वस्तु के लिए सामान्य प्रभावी शुल्क की दरें निर्धारित की जाती हैं। यह दर उस वस्तु के सभी आयातों पर बिना किसी शर्त के लागू होती है। दूसरे शब्दों में ऐसी बिना शर्त प्रभावी छूट वस्तु के लिए एमएफएन दर निर्धारित करती है।

2.4 दूसरी ओर सशर्त छूट, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में उच्चतर टैरिफ दर या एमएफएन दर की तुलना में प्रभावी दरें निर्धारित करती हैं। ऐसी सशर्त अधिसूचनाएं विशिष्ट प्रयोजनाओं के लिए होती हैं, उदाहरण के लिए घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन करने, रक्षा संबंधी अधिप्राप्ति आदि। ऐसे मामलों में केवल वैसे आयात जो ऐसी दरों के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, वही ऐसी प्रभावी दरों के पात्र होते हैं। वैसे भी इन छूटों के परिणामस्वरूप संगत टैरिफ/एमएफएन दर की तुलना में परित्यक्त राजस्व होता है।

2.5 कच्ची सामग्री और निविष्टियों की अधिप्राप्ति के लिए कतिपय छूटें दी गई हैं जो निर्यात माल में जाती हैं। वैसे भी, केवल इन छूटों से निर्यातों के शून्य दर निर्धारण के लिए निर्यात हेतु कर निष्प्रभावी होता है। चूंकि इन रियायतों का लक्ष्य निर्यातों का शून्य दर निर्धारण होता है, बुनियादी सीमा शुल्क रियायतों के कारण इसके परिणामस्वरूप राजस्व परित्यक्त नहीं होता है। तथापि, निर्यात संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमों के द्वारा दी गई रियायतों, जिसमें शुल्क स्ट्रिप्स के द्वारा निर्यातकों को निर्धारित दर पर प्रोत्साहन (निर्यात मूल्य का %) दिया जाता है, का परिणाम परित्यक्त राजस्व होता है क्योंकि इन स्ट्रिप्स द्वारा प्राप्त शुल्क क्रेडिट आयातों पर भुगतान योग्य बुनियादी सीमा शुल्क से इसकी पूर्ति होती है।

3. भारत ने अनेक देशों या देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार करार, व्यापक आर्थिक साझेदारी करार, व्यापक आर्थिक सहयोग करार किया है। इसी प्रकार, भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी करार-1 पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस करार के तहत भारत ने स्वयं को इस करार के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट माल पर कम दर/छूट के लिए अपने आप को बाध्य किया है। इन अधिमानी प्रशुल्कों को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के तहत भी अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया है। सरकारी वचनबद्धताओं के रूप में दिए गए ऐसे अधिमानी प्रशुल्क ऐसे करारों में शामिल आयातों के लिए भी सामान्य रूप से लागू होते हैं।

4. अतः, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चूंकि बिना शर्त छूटें और सरकारी वचनबद्धता के रूप में की गई छूटें वास्तव में संबंधित वस्तु के लिए एमएफएन दरें (प्रभावी दर) निर्धारित करती हैं, इसलिए कर रियायतों के राजस्व प्रभाव का अधिकाधिक समुचित अनुमान केवल सशर्त छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व होगा। इसके अतिरिक्त, निर्यात संबद्ध प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व बुनियादी सीमा शुल्क रियायतों के कारण परित्यक्त राजस्व के अंतिम अनुमानों में भी शामिल होते हैं।

5. वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 (अनुमानित) के लिए राजस्व प्रभाव का आकलन : विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के तहत कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज स्थानों पर भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस) में आयातकों द्वारा दर्ज प्रविष्टि के बिलों से प्राप्त किए गए आंकड़ों पर आधारित होता है। आईसीईएस की पकड़ में नहीं आए आयातों के कारण परित्यक्त राजस्व का परिकलन करने के लिए बर्हिवेशन किया गया है, जो कुल आयातों का लगभग 7% है।

6.1 उपर्युक्त पद्धति के आधार पर, वर्ष 2018-2019 तथा वर्ष 2019-2020 (अनुमानित) के लिए सीमा शुल्क पर कर रियायतों के राजस्व प्रभाव का परिकलन निम्नानुसार किया जाता है:

सारणी I : आधारभूत सीमा-शुल्क के कारण कर रियायतों का राजस्व प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	सूत्र	राजस्व प्रभाव (2018-2019)	राजस्व प्रभाव (2019-2020) (अनुमानित)
क.	ईडीआई आकड़ों के अनुसार प्रशुल्क दर से कम अलग अलग दरों पर बीसीडी संग्रहण के कारण	-	210719	219859
ख.	ईडीआई आकड़ों के अनुसार शर्तरहित/तकनीकी बीसीडी छूटों के कारण	-	129622	122737
ग.	ईडीआई आकड़ों के अनुसार एफटीए/पीटीए/सीईसीए/सीईपीए के कारण (सारणी II का संदर्भ लें)	-	48793	65734
घ.	सशर्त बीसीडी छूटों के कारण ईडीआई स्थान (सारणी III का संदर्भ लें)	-	32304	31388
ङ	सशर्त बीसीडी छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व	डीएक्स100/एफ [*]	34735	33750
च.	निविष्टि कर निष्प्रभाव स्कीम के कारण राजस्व प्रभाव (सारणी IV का संदर्भ लें)	-	24702	24840
छ.	निर्यात संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव (सारणी IV का संदर्भ लें)	-	41018	48220
ज.	निवल परित्यक्त शुल्क	ङ + छ	75753	81970

* एफ बहिर्वेशन कारक है जो आईसीईएस की पकड़ में नहीं आए आयातों को शामिल करने के लिए वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए 93% के बराबर है।

6.2 वर्ष 2018-2019 तथा 2019-2020 (अनुमानित) (ऊपर सारणी I ए में क्र.स. ग देखें) के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के कारण राजस्व प्रभाव का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

सारणी -II एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के कारण राजस्व प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र.सं.	एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए देश/क्षेत्र	राजस्व प्रभाव (2018-2019)	राजस्व प्रभाव (2019-2020) (अनुमानित)
1	आसियान से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	22922	34779
2	कोरिया से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	7327	7512
3	जापान से किए गए आयातों के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	4053	4883
4.	मलेशिया से किए गए आयातों के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	1416	3683
5.	दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र से किए गए आयातों के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	403	246
6.	सबसे कम विकसित देशों के साथ तरजीही व्यापार करार, एशिया प्रशांत व्यापार करार आदि के कारण	11161	13090
7.	अन्य	1511	1541
	कुल	48793	65734

6.3 वर्ष 2018-2019 तथा 2019-2020 (अनुमानित) (ऊपर सारणी I में क्र.स. घ देखें) के ईडीआई आंकड़ों के अनुसार सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

सारणी - III सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र.सं.	शीर्ष	राजस्व प्रभाव (2018-2019)	राजस्व प्रभाव (2019-2020) (अनुमानित)
1	मोबाइल फोनों के विनिर्माण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट सामग्री को छूट के कारण (अधिसूचना सं.57/2017- सीमा शुल्क)	6911	8877
2	खनिज ईंधन, खनिज तेल आदि को बीसीडी छूटों के कारण (अधिसूचना सं.52/2017- सीमा शुल्क)	1122	1194
3	आईटीए बाध्य सामग्री के विनिर्माण के लिए दी गई बीसीडी छूट के कारण (अधिसूचना सं. 24/2005- सीमा शुल्क तथा 25/2005 -सीमा शुल्क)	428	432
4	सरकार द्वारा अथवा सरकारी विभाग आदि द्वारा वित्तपोषित आयातित अनुसंधान उपकरण को छूट के कारण (अधिसूचना सं. 51/1996-सीमा शुल्क)	260	309
5	अन्य वस्तुओं (क्रम संख्या 1 से 4 पर यथा उल्लिखित वस्तुओं से इतर) के लिए छूट तथा सीमा शुल्क की प्रभावी दरों के कारण	23583	20576
कुल		32304	31388

6.4 वर्ष 2018-2019 तथा 2019-2020 (अनुमानित) के ईडीआई आंकड़ों के अनुसार निर्यात संवर्धन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव (ऊपर सारणी में क्र.सं. च और छ का संदर्भ लें) का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

सारणी - IV निर्यात संवर्धन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राजस्व प्रभाव (2018-19) (अंतिम)	राजस्व प्रभाव (2019-20) (सित.2019 तक)	राजस्व प्रभाव (2019-20) (वार्षिकीकृत)
1.	उन्नत लाइसेंस स्कीम	15075	7448	14896
2	ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजेड	5734	3011	6022
3	ईपीसीजी	3220	1653	3306
4	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम	673	308	616
5	शुल्क मुक्त पात्रता ऋण प्रमाणपत्र	140	39	78
6	सेवा निर्यात प्रोत्साहन स्कीम	3756	3504	7008
7	फोकस बाजार/उत्पाद स्कीम	507	100	200
8	भारत स्कीम से वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात	36615	20467	40934
9	कुल	65720	36530	73060
10	क्र.सं. 5 से 8 पर उल्लिखित निर्यात संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमों पर राजस्व प्रभाव	41018	24110	48220
11	इनपुट कर निष्प्रभावन अथवा छूट स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव	24702	12420	24840

राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत तथा उपयोग
31 मार्च, 2020 के अनुसार

(₹ करोड़)

विवरण	वास्तविक 2018-2019	संशोधित अनुमान 2019-2020	बजट अनुमान 2020-2021
क. निधियों के स्रोत :			
लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा राशियां :			
बचत जमा राशियां			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	588291.22	711686.05	872972.73
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	123394.83	161286.68	174171.45
बचत प्रमाण-पत्र			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	205535.90	220310.69	250841.94
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	14774.79	30531.25	32446.47
लोक भविष्य निधि			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	495777.04	569611.20	654380.98
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	73834.16	84769.78	89318.51
कुल जमा राशियां	1501607.94	1778195.65	2074132.08
व-फ के दौरान निवल संग्रहण	212003.78	276587.71	295936.43
ख. निधियों का उपयोग :			
31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष			
राशियों के प्रति केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	64569.19	64569.19	64569.19
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन
1.4.1999 से संग्रहणों में से केन्द्र			
सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	134969.55	208419.41	385857.50
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	86982.90	199851.41	199172.47
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-13533.04	-22413.32	-41294.13
1.4.1999 से संग्रहणों में से राज्य			
सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	507245.25	471206.21	444636.44
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	12193.06	16300.00	17657.57
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-48232.10	-42869.77	-44227.65
प्रतिभूतियों के मोचन से प्राप्त राशियों में से केन्द्र			
सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	284380.50	335930.60	398492.51
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	51550.10	62561.91	82121.66
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन
सरकारी एजेंसियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	162000.00	271636.00	369753.86
वर्ष के दौरान वृद्धि	139636.00	144517.86	141547.26
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	-30000.00	-46400.00	-68400.00
भारतीय खाद्य निगम में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	121000.00	191000.00	254600.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	97000.00	110000.00	136600.00
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	-27000.00	-46400.00	-68400.00
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधीकरण में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	20000.00	40000.00	50000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	20000.00	10000.00	...

विवरण	वास्तविक 2018-2019	संशोधित अनुमान 2019-2020	बजट अनुमान 2020-2021
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां
एयर इंडिया में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	3000.00	2636.00	2636.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	2636.00
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	-3000.00
बीएमटीपीसी में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	8000.00	8000.00	23000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	...	15000.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां
आईआरएफसी में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	10000.00	17500.00	17500.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	7500.00
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां
पीएफसी में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	7500.00	7500.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	7500.00
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां
आरईसी लि. में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	5000.00	10000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	5000.00	5000.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां
आरसीएफ लि. में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	1805.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	...	1805.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां
एमएमटीसी में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	1310.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	...	1310.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां
अन्य सरकारी एजेंसियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	1402.86
वर्ष के दौरान वृद्धि	...	1402.86	4947.26
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां
कुल निवेश	1351761.41	1663309.50	1949886.68
संचित अधिशेष आय(-)/व्यय (+) लेखा	113651.81	114886.15	124245.40
नकद शेष	36194.72
जोड़	1501607.94	1778195.65	2074132.08

1. भारत सरकार के ऋण की स्थिति

भारत सरकार के बकाया आंतरिक और विदेशी ऋण और अन्य देनदारियों की राशि 2019-2020 (सं.अ.) के अंत के 100,18,120.51 करोड़ रुपए की तुलना में 2020-21 के अंत में 109,50,019.80 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विस्तृत ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2021 को
आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां	97,25,253.66	106,36,983.95
विदेशी ऋण	2,92,866.85	3,13,035.85
जोड़	100,18,120.51	109,50,019.80

(₹ करोड़)

आंतरिक कर्ज के अंतर्गत खुले बाजार में जुटाए गए ऋण, क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड इत्यादि शामिल हैं। इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य निवेशकों के नाम जारी की गई राजकोषीय हुंडियों सहित राजकोषीय हुंडियों के जरिए उधार तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी की गई अपरक्राम्य, निर्याज रुपया प्रतिभूतियां भी शामिल हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के आरंभ में, और वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2018-19 तक के प्रत्येक वर्ष के अंत में बकाया सरकारी ऋण तथा जिसके 2019-20 और 2020-2021 के अंत में बकाया रहने का अनुमान था, का विश्लेषण देनदारी विवरण में दिया गया है। आंतरिक और विदेशी कर्ज दोनों के अंतर्गत बकाया राशियां सरकार की देनदारी को प्रदर्शित करती हैं जैसा कि बकाया कर्ज के अंकित मूल्य में दिखाया गया है। विदेशी देनदारियों के बकाया स्टॉक का अंकन परम्परागत विनिमय दरों पर किया जाता है जिस पर देयता का हिसाब चालू विनिमय दरों पर की गई वापसी-अदायगी को घटाने के बाद प्रारंभिक तौर पर लेखा बही में लिया गया था।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न लघु बचत योजनाओं, भविष्य निधियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों, तेल विपणन कम्पनियों, उर्वरक कम्पनियों और भारतीय खाद्य निगम को जारी की गई प्रतिभूतियों, विशेष जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा रकमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों आदि की मूल्यहास और अन्य सब्याज प्रारक्षित निधियों आदि स्थानीय निधियों की जमा राशियों और सिविल जमा रकमों की बकाया राशियों की वापसी-अदायगी के लिए जिम्मेदार है। ऐसी देनदारियों का ब्यौरा देनदारियों के विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2018-2019 के अंत में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों की स्थिति जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, गारंटी संबंधी विवरण में दी गयी है।

दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्ति रजिस्टर के विवरण, जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, को भी शामिल किया गया है।

परिसम्पत्तियों के विवरण में सरकार द्वारा जुटाई गई उसी धनराशि को दिखाया गया है जो परिसम्पत्ति निर्माण प्रयोजनों हेतु प्रयोग की गई है। इन परिसम्पत्तियों को अंकित मूल्य में भी दिखाया गया है, अर्थात् इसमें चालू बाजार दरों के अनुसार परिसम्पत्तियों के मूल्य में हास/वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस विवरण में केवल वैसी परिसम्पत्तियां शामिल हैं, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं और इसमें वैसी परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार की सहायता/अनुदान से राज्य सरकारों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा सृजित किया गया है।

1 (i) केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण

(₹ करोड़)

के अन्त में :

	लेखे					संशोधित	बजट
	1950-1951	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
क लोक ऋण	2054.33	5515097.55	5969968.10	6651365.15	7344902.16	8215810.12	9035240.12
1. आंतरिक ऋण	2022.30	5304835.44	5741709.39	6401274.97	7074941.31	7922943.27	8722204.27
(i) बाजार ऋण (विवरण 2 से 2 बी)	1444.95	4298783.99	4649486.99	5068407.97	5500141.10	5986113.11	6500982.73
(ii) विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2 सी)	0.00	64817.95	64817.95	56154.20	47687.95	35687.95	35687.95
(iii) पीएसबी को जारी विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2 ट)	80000.00	186000.00	251443.00	251443.01
(iv) एम्जिम बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2 ड)	4500.00	5050.00	5050.00
(v) आईडीबीआई बैंक लि. को जारी विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2 ढ)	4557.00	4557.00
(vi) आईआईएफसीएल को जारी विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2 ण)	5300.00	15300.00
(vii) रिजर्व बैंक को जारी अन्य विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2 उ)	...	1489.28
(viii) एसजीबी तथा जीएमएस सहित क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड	6.73	12446.11	25108.06	51209.00	57058.65	69463.06	84471.59
(ix) 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	121127.23	156569.67	151038.42	122335.52	122335.52	122335.52
(x) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	358.02	132854.71	106840.05	138725.92	92183.45	121068.95	124228.48
(xi) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	77806.97	85436.30	86871.86	119802.81	131503.81	145159.68
(xii) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	154033.20	142525.75	159685.00	208896.00	193309.50	201494.10
(xiii) अर्थापय अग्रिम
(xiv) नकद प्रबंधन हुंडियां
(xv) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई प्रतिभूतियां	212.60	106726.17	108739.65	104369.68	106522.96	101851.76	97418.19
(xvi) लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां	...	313856.15	381291.29	483919.24	608919.19	848919.19	1088919.19
(xvii) पीओएलआईएफ के तहत शेष के प्रतिभूतिकरण के लिए निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2घ)	...	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68	16893.68
2. विदेशी ऋण*	32.03	210262.11	228258.71	250090.18	269960.85	292866.85	313035.85
ख. अन्य देनदारियां	811.07	1386873.72	1466093.21	1583812.04	1738612.87	1828057.13	1943342.83
1 राष्ट्रीय लघु बचत निधि	336.87	701368.61	751198.99	805684.91	892688.74	929276.45	985212.88
2 राज्य भविष्य निधियां	95.05	167192.59	184938.01	200736.68	216794.84	234794.84	252794.84
3 अन्य खाते	16.10	319800.04	321856.76	324632.47	326619.35	328770.08	331154.02
(i) सब्सिडियों के बदले विशेष प्रतिभूतियां (ओएमसी, उर्वरक कंपनियों और एफसीआई)	...	162827.90	162827.90	162827.90	162827.90	162827.90	162827.90
(ii) अन्य मदें	16.10	156972.14	159028.86	161804.57	163791.45	165942.18	168326.12
4 प्रारक्षित निधियां और जमाराशियां	363.05	198512.48	208099.45	252757.98	302509.94	335215.76	374181.09
(i) सब्याज	260.85	124239.65	128981.16	143908.34	211436.27	217449.85	225121.18
(ii) निर्ब्याज	102.20	74272.83	79118.29	108849.64	91073.67	117765.91	149059.91
जोड़-देनदारियां	2865.40	6901971.27	7436061.31	8235177.19	9083515.03	10018420.51	10950319.80
विभाजन-पूर्व ऋण में पाकिस्तान द्वारा देय रकम का हिस्सा (लगभग)	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
केन्द्रीय सरकार की निवल देनदारियां	2565.40	6901671.27	7435761.31	8234877.19	9083215.03	10018120.51	10950019.80
देनदारियों की अपेक्षा पूंजी परिव्यय और ऋणों का आधिक्य जोड़ (निवल)	2565.40	6901671.27	7435761.31	8234877.19	9083215.03	10018120.51	10950019.80

* श्रे-1 राशि अंकित मूल्य के अनुसार है।

टिप्पणी : उपरोक्त के अतिरिक्त वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (सरकार के पूर्ण रूप से चुकाया हुए बांड) के कारण सरकारी देनदारियां ₹89,864.10 करोड़ थी जो जीडीपी लगभग 0.47 प्रतिशत थी। इस कारण अतिरिक्त देनदारियां संशोधन अनुमान 2019-20 में ₹44,583.96 करोड़ (जीडीपी का 0.22%) तथा बजट अनुमान 2020-21 में ₹49,500 करोड़ (जीडीपी का 0.15%) अनुमानित है।

**1 (ii) परिसम्पत्तियों का विवरण
(केन्द्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश और ऋण)**

(₹ करोड़)

के अन्त में :

	लेखे					संशोधित 2019-2020	बजट 2020-2021
	1950-1951	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019		
क. पूंजी परिव्यय							
1. सामान्य सेवाएं	496.74	918481.95	1017844.99	1124374.28	1237463.45	1361215.19	1489117.78
(i) रक्षा सेवाएं	260.93	825113.98	911467.90	1001913.13	1097143.73	1207538.04	1321272.04
(ii) अन्य सामान्य सेवाएं	235.81	93367.97	106377.09	122461.15	140319.72	153677.15	167845.74
2. सामाजिक सेवाएं	26.25	42914.92	48321.73	53618.59	73044.21	82642.86	91467.29
3. आर्थिक सेवाएं	965.02	973865.97	1114455.31	1321699.44	1596007.64	1794567.53	1833626.06
(i) कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	7.78	14781.70	16332.96	20345.24	23127.39	26420.31	28798.08
(ii) ग्रामीण विकास	...	79.29	84.25	88.60	92.25	92.25	92.25
(iii) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	...	4881.93	5265.96	5468.32	5559.83	14043.87	23130.55
(iv) जल और विद्युत विकास	5.59	64467.77	66852.32	68531.11	70095.89	71806.97	73804.35
(क) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	5.59	692.49	795.53	1084.06	1395.18	1662.36	1993.63
(ख) ऊर्जा	...	63775.28	66056.79	67447.05	68700.71	70144.61	71810.72
(v) उद्योग और खनिज	34.34	67878.16	70260.06	74273.26	82561.11	94678.11	111450.21
(vi) परिवहन	830.40	446835.16	539234.06	639111.37	767051.50	903429.83	1050859.96
(क) रेलवे	817.93	266906.54	312091.06	355503.68	408910.45	476677.19	546582.93
(ख) अन्य परिवहन सेवाएं	12.47	179928.62	227143.00	283607.69	358141.05	426752.64	504277.03
(vii) संचार	49.98	19761.55	23238.60	27745.87	30316.36	35023.08	60922.47
(क) डाक सेवाएं	49.98	3647.71	3877.16	4515.41	5026.68	5395.51	6224.84
(ख) दूरसंचार सेवाएं	...	4719.38	4719.38	4719.39	4719.38	4719.38	4719.38
(ग) अन्य संचार सेवाएं	...	11394.46	14642.06	18511.07	20570.30	24908.19	49978.25
(viii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	...	31401.92	36631.55	42005.69	49301.91	58620.20	68819.25
(ix) सामान्य आर्थिक सेवाएं	36.93	323778.49	356555.55	444129.98	567901.40	590452.91	415748.94
...	1475.16	7011.63
कुल जोड़	1488.01	1935262.84	2180622.03	2499692.31	2906515.30	3239900.74	3421222.76
(ख) केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण							
राज्य सरकारें	195.58	148217.38	153463.12	157922.00	167383.98	178422.81	191126.13
संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें	...	4067.10	4084.24	4089.43	4147.04	4272.55	4322.66
विदेशी सरकारें	0.01	12034.59	12920.15	13433.02	13557.87	14304.55	15090.83
राष्ट्रीय लघु बचत निधि के अधीन राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	...	571048.80	538651.47	507245.25	471206.21	444636.44	418066.36
अन्य लिखतों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि का निवेश	70000.00	162000.00	271636.00	369753.86	442901.12
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को हानियां	...	104216.89	100993.92	107637.84	113651.82	114886.16	124245.41
सरकारी क्षेत्र के उद्यम, रेलवे विकास और राजस्व प्रारक्षित निधि, प्रारक्षित निधि, पत्तन न्यास, नगरपालिकाएं तथा सांविधिक निकाय, सहकारी और शैक्षणिक संस्थाएं, विस्थापित व्यक्तियों और निजी संस्थाओं आदि को	24.58	97387.77	104630.23	111249.33	125546.31	142084.94	160913.83
सरकारी कर्मचारियों को	0.51	331.02	194.25	95.23	159.12	109.12	84.12
जोड़	220.68	937303.55	984937.38	1063672.10	1167288.35	1268470.43	1356750.46
जोड़ पूंजी परिव्यय तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण	1708.69	2872566.39	3165559.41	3563364.41	4073803.65	4508371.17	4777973.22
एमएसएस के अंतर्गत शे-1 नकद
कुल जोड़	1708.69	2872566.39	3165559.41	3563364.41	4073803.65	4508371.17	4777973.22
पूंजी परिव्यय तथा दिए गए अग्रिम ऋण की तुलना में देनदारियों का आधिक्य	856.71	4029104.88	4270201.90	4671512.78	5009411.38	5509749.34	6172046.58
जोड़	2565.40	6901671.27	7435761.31	8234877.19	9083215.03	10018120.51	10950019.80

1 (iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियाँ
राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण

(रिपोर्टिंग वर्ष 2018-19 के अंत की स्थिति के अनुसार)
 (₹ करोड़)

श्रेणी	मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियाँ	वर्ष के दौरान कटौतियाँ (आवेदित राशि से भिन्न)		वर्ष के दौरान आवेदित	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा शुल्क	अन्य महत्वपूर्ण विवरण	
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान; नकद ऋण की सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त पोषण और/अथवा कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों के लिए कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की गई गारंटियाँ।	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	39037.00 (5)	19037.00 (2)	20000.00 (3)	25.24	39011.76 (5)	
	वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग	21358.35 (17)	16762.41 (16)	4595.94 (1)	4839.59 (2)	16518.76 (15)	76.49	76.34	...	
	वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग	800.00 (1)	800.00 (1)	...	799.99	0.01 (1)	1.85	1.85	...
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	9495.00 (1)	9495.00 (1)	9495.00 (1)
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	249.00 (1)	249.00 (1)	...	249.00 (1)	0.00	80.33
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय भे-ज विभाग	1132.95 (9)	1117.23 (9)	15.72	1132.95 (9)	84.99
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	2.59	2.59	...	
जोड़		72072.30 (34)	47460.64 (30)	24611.66 (4)	5913.82 (3)	66158.48 (31)	246.25	80.78	...	
2. शंकर पूंजी की वापसी अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान और सांविधिक निगमों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी अथवा जुटाए गए बांडों अथवा ऋणों, ऋण पत्रों की वापसी अदायगी के लिए प्रदान की गई गारंटियाँ।	विद्युत मंत्रालय	7000.00 (2)	7000.00 (2)	7000.00 (2)	70.00	70.00	...	
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	21000.00 (3)	13000.00 (2)	8000.00 (1)	21000.00 (3)	
	रेलवे मंत्रालय	2308.84 (3)	1442.43 (2)	866.41 (1)	2308.84 (3)	17.30	17.30	...	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग	7513.97 (4)	7513.97 (4)	7513.97 (4)	29.80
	जोड़	37822.81 (12)	28956.40 (10)	8866.41 (2)	37822.81 (12)	117.10	87.30	...
3.	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, परामर्शदाताओं, आदि के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों के अनुसरण में मूलधन की वापसी अदायगी, ऋणों पर ब्याज/ वचनबद्धता प्रभाओं, इत्यादि का भुगतान और अथवा सामग्री और उपस्कर की आपूर्तियों हेतु किए गये भुगतान के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	नागर विमानन मंत्रालय कोयला मंत्रालय विद्युत मंत्रालय वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इस्पात मंत्रालय आवासन और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग शहरी विकास मंत्रालय विदेश मंत्रालय	49043.58 (40) 674.55 (3) 41176.03 (45) 167326.07 (195) 14051.25 (11) 57.31 (3) 604.44 (1) 8491.79 (13) 399.19 (2) 370.64 (2) 1054.00 (1) 1098.88 (2) 64300.08 (7)	48435.23 (38) 666.64 (3) 34579.09 (43) 141009.20 (168) 12483.17 (10) 56.91 (3) 604.44 (1) 7066.23 (13) 399.19 (2) 353.77 (2) ...	608.35 (2) 7.91 43.51 6596.94 (2) 26316.87 (27) 1568.08 (1) 0.40 4.63 ...	194.87 43.51 2437.32 (1) 1202.87 521.03	48848.71 (40) 631.04 (3) 38738.71 (44) 166123.20 (195) 13530.22 (11) 52.68 (3) 570.96 (1) 8130.68 (13) 359.59 (2) 296.53 (2) 1054.00 (1) 1008.67 (2) 64300.08 (7)	1546.28 6.07 476.07 133.66 33.22 0.23 1.48 84.73 0.99 2.77 0.49 9.79 ...	3.74 6.07 476.07 130.45 33.22 0.23 1.48 84.73 1.00 2.77 11.03 9.79
	जोड़	348647.81 (325)	304398.05 (292)	44249.76 (33)	5002.74 (1)	343645.07 (324)	2295.78	760.58	...
4.	विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्तियां अथवा दी गई सेवाओं के लिए उनको बैंकों द्वारा जारी ऋण पत्रों या प्राधिकार पत्रों पर विचार करते हुए बैंकों को प्रदान की गई प्रति गारंटियां।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	केंद्र सरकार की कंपनियों या निगमों द्वारा बकाया और यथासमय भुगतान करने के लिए रेलवे को प्रदान की गई गारंटियां।
6.	उपर्युक्त पांच श्रेणियों से इतर अन्य गारंटियां
कुल जोड़		458542.92 (371)	380815.09 (332)	77727.83 (39)	10916.56 (4)	447626.36 (367)	2659.13	928.66	...

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या को इंगित करते हैं।

टिप्पणी:

- उपर्युक्त आंकड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथा सूचित महालेखा नियंत्रक कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित हैं। ये आंकड़े बाद के रिकार्ड मिलान के कारण परिवर्तनों द्वारा प्रभावित हो सकते हैं।
- वर्ष 2018-19 के लिए निवल गारंटी संचय ₹ 66,811.27 करोड़ (कॉलम 5-कॉलम 6) है। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹77,727.83 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी जो वर्ष 2018-2019 (अं.अ.) के लिए बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. का 0.41 प्रतिशत है।
- वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए (10 जनवरी, 2020 तक) ₹ 52,518 करोड़ की गारंटियों को वचनबद्ध/अनुमोदित किया गया है जो वर्ष 2019-20 में अनुमानित स.घ.उ. का 0.25% है तथा यह 0.5% की सीमा के भीतर है।
- गारंटियां ऋण की अवधि तक वैध हैं और तत्संबंधी गारंटी करार में यथाउल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन निकाय द्वारा ऋण की पुनः अदायगी की सीमा तक आंशिक रूप से समाप्त हो जाएगी।

1 (iv) परिसम्पत्ति रजिस्टर
राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अधीन

(रिपोर्टिंग वर्ष 2018-19, के अंत की स्थिति के अनुसार)
लागत (₹ करोड़)

	2018-19 के आरंभ में परिसम्पत्तियां	वर्ष 2018-19 के दौरान अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां	वर्ष 2018-19 के अंत में परिसम्पत्तियों का संचयी योग
वास्तविक परिसम्पत्तियां:			
भूमि	356982.15	615.65	357597.80
भवन			
कार्यालय	35616.22	2159.33	37775.55
रिहायशी	18251.51	256.23	18507.74
सड़कें	12214.14	48.73	12262.87
पुल	11949.74	105.34	12055.08
सिंचाई परियोजनाएं	1336.11	6.27	1342.38
विद्युत परियोजनाएं	677.36	82.38	759.74
अन्य पूंजीगत परियोजनाएं	4077.39	359.22	4436.61
मशीनरी और उपस्कर	39348.40	690.58	40038.98
कार्यालय उपस्कर	3420.38	293.31	3713.69
वाहन	1978.70	110.76	2089.46
जोड़	485852.10	4727.80	490579.90
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
इक्विटी निवेश			
शेयर	331025.00	120903.67	451928.67
बोनस शेयर	613.13	1075.50	1688.63
ऋण और अग्रिम			
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण	3501.11	48.47	3549.58
विदेशी सरकारों को ऋण	13947.55	146.12	14093.67
कम्पनियों को ऋण	68278.93	909.99	69188.92
अन्य को ऋण	61725.71	12048.31	73774.02
अन्य वित्तीय निवेश			
रेलवे	355678.22	52837.69	408515.91
अन्य	186539.53	-5.69	186533.84
जोड़	1021309.18	187964.06	1209273.24
कुल जोड़	1507161.28	192691.86	1699853.14

टिप्पणियां:

- ₹ 2 लाख की अधिकतम मूल्य वाली उपर्युक्त आस्तियों को ही दर्ज किया गया है।
- राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली के अनुसार इस प्रकटन विवरण में मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग की परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं।
- संबंधित मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित ये आंकड़े अन्य बातों के साथ-साथ परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन और आंकड़े संगृहीत करने में सुधारों से संबंधित किसी चालू मिलान/परिसमापन/न्याय निर्णयन/प्रशासनिक निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं। पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में समापन शेष और वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष के बीच अंतर मुख्यतया रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे सुरक्षा निधि के शामिल करने, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा एचईएफ पर निवेश लोप करने, विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त मिशनों द्वारा आस्तियों को सूचित इत्यादि के कारण अथ शे-1 में संशोधन होने की वजह से आया है।

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					संशोधित 2019-2020	बजट 2020-2021
		1950-1951	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019		
6.17%	सरकारी स्टॉक, 2021	15.07.2021	31000.00	31000.00
8.79%	सरकारी स्टॉक, 2021	08.11.2021	...	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00
8.20%	सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00
8.35%	सरकारी स्टॉक, 2022	14.05.2022	...	77000.00	77000.00	77000.00	77000.00	77000.00
8.15%	सरकारी स्टॉक, 2022	11.06.2022	...	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	79000.00
8.08%	सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	66000.00	66000.00	66000.00	66000.00	66000.00
8.13%	सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00
6.84%	सरकारी स्टॉक, 2022	19.12.2022	26000.00	87000.00	99000.00	99000.00
6.30%	सरकारी स्टॉक, 2023	09.04.2023	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
7.37%	सरकारी स्टॉक, 2023	16.04.2023	39987.81	39987.81	39987.81
7.16%	सरकारी स्टॉक, 2023	20.05.2023	...	77000.00	77100.00	77100.00	77100.00	77100.00
6.17%	सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
8.83%	सरकारी स्टॉक, 2023	25.11.2023	...	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00
7.68%	सरकारी स्टॉक, 2023	15.12.2023	...	65132.01	88132.01	88132.01	88132.01	88132.01
7.32%	सरकारी स्टॉक, 2024	28.01.2024	18000.00	87000.00	87000.00
7.35%	सरकारी स्टॉक, 2024	22.06.2024	...	65168.02	90168.02	90168.02	90168.02	59653.02
8.40%	सरकारी स्टॉक, 2024	28.07.2024	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	84426.00
6.18%	सरकारी स्टॉक, 2024	04.11.2024	23000.00	23000.00
	भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2024	07.11.2024	43730.00	110965.03	116965.03	116965.03
9.15%	सरकारी स्टॉक, 2024	14.11.2024	...	92000.00	92000.00	92000.00	92000.00	91182.65
7.72%	सरकारी स्टॉक, 2025	25.05.2025	...	86000.00	86000.00	86000.00	90031.81	90031.81
8.20%	सरकारी स्टॉक, 2025	24.09.2025	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
7.59%	सरकारी स्टॉक, 2026	11.01.2026	...	23000.00	87000.00	87000.00	119000.00	119000.00
7.27%	सरकारी स्टॉक, 2026	08.04.2026	52000.00	52000.00
8.33%	सरकारी स्टॉक, 2026	09.07.2026	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	87000.00
6.97%	सरकारी स्टॉक, 2026	06.09.2026	76000.00	91000.00	91578.39	89743.39
10.18%	सरकारी स्टॉक, 2026	11.09.2026	...	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
8.15%	सरकारी स्टॉक, 2026	24.11.2026	...	86489.20	86489.21	86489.21	86489.21	82963.85
8.24%	सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	89000.00	89000.00	89000.00	107000.00	107000.00
6.79%	सरकारी स्टॉक, 2027	15.05.2027	121000.00	121000.00	121000.00
8.26%	सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	72000.00	72000.00	72000.00	72300.68	96299.28
8.28%	सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	88000.00	88000.00	88000.00	88748.48	88748.48
7.17%	सरकारी स्टॉक, 2028	08.01.2028	33000.00	113148.45	113148.45
6.01%	सरकारी स्टॉक, 2028	25.03.2028	...	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
8.60%	सरकारी स्टॉक, 2028	02.06.2028	...	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00
6.13%	सरकारी स्टॉक, 2028	04.06.2028	...	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00
7.26%	सरकारी स्टॉक, 2029	14.01.2029	28000.00	118830.80
7.59%	सरकारी स्टॉक, 2029	20.03.2029	...	33000.00	88000.00	96236.79	96236.79	96236.79
6.45%	सरकारी स्टॉक, 2029	07.10.2029	74447.85	74447.85
6.79%	सरकारी स्टॉक, 2029	26.12.2029	36895.11	118801.13	118801.13	118801.13
7.88 %	सरकारी स्टॉक, 2029	19.03.2030	...	89000.00	89000.00	89000.00	89000.00	89000.00
7.61%	सरकारी स्टॉक, 2030	09.05.2030	85000.00	85000.00	85000.00	100989.44
9.20%	सरकारी स्टॉक, 2030	30.09.2030	...	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55
8.97%	सरकारी स्टॉक, 2030	05.12.2030	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
6.68%	सरकारी स्टॉक, 2031	17.09.2031	85251.70	93251.70	93251.70
	भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2031	07.12.2031	46000.00	100000.00
8.28%	सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00
8.32%	सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00
7.95%	सरकारी स्टॉक, 2032	28.08.2032	...	89000.00	89000.00	89000.00	115000.00	121000.00
8.24%	सरकारी स्टॉक, 2033	10.11.2033	...	87000.00	87275.00	87275.00	99275.00	99275.00
7.57%	सरकारी स्टॉक, 2033	17.06.2033	83506.59
6.57%	सरकारी स्टॉक, 2033	05.12.2033	10000.00	47000.00	66655.89	66655.89
7.50%	सरकारी स्टॉक, 2034	10.08.2034	...	60000.00	90000.00	90000.00	99101.13	99101.13
7.73%	सरकारी स्टॉक, 2034	19.12.2034	...	20000.00	62000.00	98000.00	100000.00	100000.00
	भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2035	25.01.2035	...	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
7.40%	सरकारी स्टॉक, 2035	09.09.2035	...	52000.00	52245.00	53245.00	97245.00	99245.00
8.33%	सरकारी स्टॉक, 2036	07.06.2036	...	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00
6.83%	सरकारी स्टॉक, 2039	19.01.2039	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
7.62%	सरकारी स्टॉक, 2039	15.09.2039	35150.91

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					संशोधित 2019-2020	बजट 2020-2021
		1950-1951	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019		
8.30% सरकारी स्टॉक, 2040	02.07.2040	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
8.83% सरकारी स्टॉक, 2041	12.12.2041	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
8.30% सरकारी स्टॉक, 2042	31.12.2042	...	90000.00	90000.00	104529.44	104529.44	104529.44	104529.44
7.69% सरकारी स्टॉक, 2043	17.06.2043	35000.00	35000.00
9.23% सरकारी स्टॉक, 2043	23.12.2043	...	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28
8.17% सरकारी स्टॉक, 2044	01.12.2044	...	74000.00	86000.00	86000.00	97000.00	97000.00	97000.00
8.13% सरकारी स्टॉक, 2045	22.06.2045	...	48000.00	73000.00	73000.00	98000.00	98000.00	98000.00
7.06% सरकारी स्टॉक, 2046	10.10.2046	22000.00	55000.00	100000.00	100000.00	100000.00
7.72% सरकारी स्टॉक, 2049	15.06.2049	80000.00	80000.00
6.62 % सरकारी स्टॉक, 2051	28.11.2051	10000.00	46000.00	55000.00	55000.00	55000.00
7.72% सरकारी स्टॉक, 2055	26.10.2055	...	9000.00	29000.00	46000.00	92000.00	100000.00	100000.00
7.63% सरकारी स्टॉक, 2059	17.06.2059	74461.95	74461.95
3.00% ऋण, 1896-97		8.93
3.00% रूपांतरण ऋण, 1946		248.92
बकाया परिपक्व प्रतिभूतियों के लिए ऋण परिपक्व परंतु वर्ष के अंत तक धारकों द्वारा संग्रहित नहीं		6.49	19.76	28.84	20.58	20.19	20.19	20.19
जांच/मिलान के तहत अंतर			1.87	1.17	0.09	0.43	0.45	0.45
बाजार ऋण								
209-20 अंतरण में प्रतिभूतियों का निर्गम								
2019-20 की शेष अवधि में अनुमानित उधार		44000.00	44000.00
2019-20 में जारी प्रतिभूतियां	
2019-20 अंतरण में प्रतिभूतियों का निर्गम	
अंतरण के जरिए निर्गम		51613.85	51613.85
अंतरण के जरिए चुकौतियां		-50367.71	-50367.71
2019-20 में अनुमानित उधार		780000.00
2020-21 अंतरण में प्रतिभूतियों का निर्गम		270000.00
अंतरण के जरिए निर्गम		270000.00
अंतरण के जरिए चुकौतियां		-270000.00
स्टॉक से वापसी खरीद		-30000.00
पूर्वानुमान के कारण समायोजन	
2020-21 स्टॉक से प्रतिभूतियों का अंतर तथा दिनांक (25000)+(267023.55-264130.98)		25000.00
की स्थिति के अनुसार वास्तविक मोचन		25000.00
जोड़-चालू ऋण								
(एमएसएस के अंतर्गत ऋण को छोड़कर)		1444.95	4276654.83	4627363.67	5048629.22	5478028.36	5964000.37	6478869.99

2क - विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां

8.20% सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33
8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41
8.13% सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28
8.24% सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55
8.26% सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33
8.28% सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24
8.28% सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11
8.32% सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	2434.05	2434.05	2434.05	2434.05	2434.05	2434.05
8.33% सरकारी स्टॉक, 2032	21.09.2032	...	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48
जोड़		...	20808.78	20808.78	20808.78	20808.78	20808.78	20808.78

2ख - मुद्रास्फीति दर निर्देशित बांड

1.44% मुद्रास्फीति निर्देशित जीएस 2023	05.06.2023	...	6582.59	1235.14	1235.14	1235.14	1235.14	1235.14
आईआईएनएसएससी	05.06.2023	...	85.24	79.40	71.08	68.82	68.82	68.82
आईआईबी की वापसी खरीद (2509.28+692+3298.72)		...	-5347.45
जोड़		...	1320.38	1314.54	1306.22	1303.96	1303.96	1303.96
कुल जोड़			1444.95	4298783.99	4649486.99	5070744.22	5500141.10	5986113.11

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					संशोधित 2019-2020	बजट 2020-2021
		1950-1951	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019		

2अ - एसबीआई राइट्स इश्यू के लिए जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

8.35% एसबीआई अधिकार प्रतिभूति, 2024 जोड़	27.03.2024	...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01
		...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01

2ट - आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित)

आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित) जोड़	29.09.2024	...	4586.00	4486.00	4346.00	4226.00	4001.00	4001.00
		...	4586.00	4486.00	4346.00	4226.00	4001.00	4001.00

2ठ - सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूजीकरण हेतु जारी भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ

7.35 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.03.2028	13375.00	13375.00	13375.00	13375.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	23.07.2028	1902.00	1902.00	1902.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	19.09.2028	394.00	394.00	394.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	27.09.2028	906.00	906.00	906.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.10.2028	123.00	123.00	123.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	12.11.2028	509.00	509.00	509.00
7.30 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	31.12.2028	4789.00	4789.00	4789.00
7.30 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	31.01.2029	201.00	201.00	201.00
7.30 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	28.03.2029	8059.00	8059.00	8059.00
7.42 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.03.2029	13325.00	13325.00	13325.00	13325.00
7.81 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	23.07.2029	1887.00	1887.00	1887.00
7.81 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	19.09.2029	392.00	392.00	392.00
7.81 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	27.09.2029	905.00	905.00	905.00
6.55 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	27.09.2029	5501.00	5501.00
6.55 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	30.09.2029	3816.00	3816.00
7.81 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	22.10.2029	121.00	121.00	121.00
7.81 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	12.11.2029	509.00	509.00	509.00
7.35 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	31.12.2029	4768.00	4768.00	4768.00
6.50 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	03.01.2031	1480.00	1480.00
7.35 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	31.01.2030	197.00	197.00	197.00
7.30 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	21.02.2030	842.00	842.00	842.00
7.35 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	21.02.2030	8036.00	8036.00	8036.00
7.35 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	28.03.2030	840.00	840.00	840.00
7.48 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.03.2030	13325.00	13325.00	13325.00	13325.00
7.88 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	23.07.2030	1887.00	1887.00	1887.00
7.88 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	19.09.2030	392.00	392.00	392.00
7.88 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	27.09.2030	905.00	905.00	905.00
6.60 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	27.09.2030	5481.00	5481.00
6.60 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	27.09.2030	3807.00	3807.00
7.88 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	22.10.2030	121.00	121.00	121.00
7.88 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	12.11.2030	509.00	509.00	509.00
7.35 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	31.12.2030	4768.00	4768.00	4768.00
6.55 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	03.01.2031	1475.00	1475.00
7.35 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	31.01.2031	197.00	197.00	197.00
7.35 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	21.02.2031	8036.00	8036.00	8036.00
7.35 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	28.03.2031	840.00	840.00	840.00
7.55 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.03.2031	13325.00	13325.00	13325.00	13325.00
7.95 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	23.07.2031	1887.00	1887.00	1887.00
7.95 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	19.09.2031	392.00	392.00	392.00
7.95 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	27.09.2031	905.00	905.00	905.00
6.60 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	27.09.2031	5481.00	5481.00
6.60 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	27.09.2031	3807.00	3807.00
7.95 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	22.10.2031	121.00	121.00	121.00
7.95 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	12.11.2031	509.00	509.00	509.00
7.40 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	31.12.2031	4768.00	4768.00	4768.00
6.55 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	03.01.2032	1475.00	1475.00
7.40 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	31.01.2032	197.00	197.00	197.00
7.40 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	21.02.2032	8036.00	8036.00	8036.00
7.40 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	28.03.2032	840.00	840.00	840.00
7.61 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.03.2032	13325.00	13325.00	13325.00	13325.00
8.03 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	23.07.2032	1887.00	1887.00	1887.00
8.03 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	19.09.2032	392.00	392.00	392.00
8.03 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	27.09.2032	905.00	905.00	905.00
6.65 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	27.09.2032	5481.00	5481.00
6.65 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	27.09.2032	3807.00	3807.00

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					संशोधित 2019-2020	बजट 2020-2021
		1950-1951	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019		
8.03 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	22.10.2032	121.00	121.00	121.00
8.03 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	12.11.2032	509.00	509.00	509.00
7.40 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	31.12.2032	4768.00	4768.00	4768.00
6.60 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	03.01.2033	1475.00	1475.00
7.40 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	31.01.2033	197.00	197.00	197.00
7.40 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	21.02.2033	8036.00	8036.00	8036.00
7.40 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	28.03.2033	840.00	840.00	840.00
7.68 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.03.2033	13325.00	13325.00	13325.00	13325.00
8.11 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	23.07.2033	1887.00	1887.00	1887.00
8.11 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	19.09.2033	392.00	392.00	392.00
8.11 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	27.09.2033	905.00	905.00	905.00
6.65 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	27.09.2033	5481.00	5481.00
6.65 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	27.09.2033	3807.00	3807.00
8.11 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	22.10.2033	121.00	121.00	121.00
8.11 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	12.11.2033	509.00	509.00	509.00
7.45 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	31.12.2033	4768.00	4768.00	4768.00
6.60 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	03.01.2034	1475.00	1475.00
7.45 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	31.01.2034	197.00	197.00	197.00
7.45 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	21.02.2034	8036.00	8036.00	8036.00
7.45 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	28.03.2034	840.00	840.00	840.00
6.70 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	27.09.2034	5481.00	5481.00
6.70 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	27.09.2034	3807.00	3807.00
6.65 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2035	03.01.2035	1475.00	1475.00
2019-20 में जारी की जाने वाली प्रतिभूतियां		831.00	831.00
2020-21 में जारी की जाने वाली प्रतिभूतियां		0.01
जोड़		80000.00	186000.00	251443.00

2ड -एक्सिस बैंक को पुनःपूंजीकरण हेतु जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां

7.30 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	22.03.2029	750.00	750.00	750.00
6.45 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	15.11.2029	95.00	95.00
7.35 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	22.03.2030	750.00	750.00	750.00
6.50 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	15.11.2030	91.00	91.00
7.35 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.03.2031	750.00	750.00	750.00
6.50 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	15.11.2031	91.00	91.00
7.40 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.03.2032	750.00	750.00	750.00
6.55 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	15.11.2032	91.00	91.00
7.40 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.03.2033	750.00	750.00	750.00
6.55 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	15.11.2033	91.00	91.00
7.45 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.03.2034	750.00	750.00	750.00
6.60 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	15.11.2034	91.00	91.00
जोड़		4500.00	5050.00	5050.00

2द -आईडीबीआई बैंक लि. को पुनःपूंजीकरण हेतु जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां

6.64 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	23.09.2029	762.00	762.00
6.69 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	23.09.2030	759.00	759.00
6.69 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	23.09.2031	759.00	759.00
6.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	23.09.2032	759.00	759.00
6.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	23.09.2033	759.00	759.00
6.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	23.09.2034	759.00	759.00
जोड़		4557.00	4557.00

3. राष्ट्रीय लघु बचत निधि

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		संशोधित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
	प्राप्तियाँ	संवितरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	प्राप्तियाँ	संवितरण
क. संग्रहण, उन्मोचन और निवेश :								
अथ शेष (ओ)	1289604.15	...	1480502.35	...	1501607.94	...	1778195.65	...
1 संग्रहण और संवितरण :								
(i) बचत जमा राशियाँ	529640.43	406245.59	537769.87	407851.73	643329.78	482043.10	675496.27	501324.82
(ii) बचत प्रमाण पत्र	50655.25	35880.46	47073.34	34333.55	69396.54	38865.29	72866.37	40419.90
(iii) लोक भविष्य निधि	99725.64	25891.48	93609.89	31272.53	115793.23	31023.45	121582.89	32264.38
वर्ष में कुल संग्रहण और संवितरण (सी)	680021.32	468017.53	678453.10	473457.81	828519.55	551931.84	869945.53	574009.10
जोड़ (1)=(ओ)+(सी)	1969625.47	468017.53	2158955.45	473457.81	2330127.49	551931.84	2648141.18	574009.10
2 निवेश :								
(i) 01 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश (i)	...	1153164.49	...	1370329.66	...	1351761.41	...	1663309.50
(ii) 31.3.1999 को बकाया राशि से केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश
(iii) 1.4.1999 से संग्रहणों से केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	13533.05	86982.90	22268.32	88944.24	22413.32	199851.41	41294.13	199172.47
(iv) 1.4.1999 से निर्गमित राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	48232.09	12193.06	44955.76	14000.00	42869.77	16300.00	44227.65	17657.57
(v) केन्द्र/राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों का पुनर्निवेश	...	51550.10	...	63324.08	...	62561.91	...	82121.66
(vi) सरकारी एजेंसियों में निवेश	30000.00	139636.00	27000.00	136483.67	46400.00	144517.86	68400.00	141547.26
(क) भारतीय खाद्य निगम में निवेश	27000.00	97000.00	27000.00	...	46400.00	110000.00	68400.00	136600.00
(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश	...	20000.00	10000.00
(ग) भारतीय रेलवे वित्त निगम में निवेश	...	7500.00
(घ) भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद में निवेश	15000.00
(ङ) एयर इंडिया में निवेश	3000.00	2636.00
(च) आरईसी लि. में निवेश	...	5000.00	5000.00
(छ) विद्युत वित्त निगम में निवेश	...	7500.00
(ज) आरसीएफ लि. में निवेश	1805.00
(झ) एमएमटीसी में निवेश	1310.00
(ञ) अन्य	136483.67	...	1402.86	...	4947.26
वर्ष में कुल निवेश एवं अदायगी (I)	91765.14	290362.06	94224.08	302751.99	111683.09	423231.18	153921.78	440498.96
जोड़ (2)=(I)+(II)	91765.14	1443526.55	94224.08	1673081.65	111683.09	1774992.59	153921.78	2103808.46
ख. एनएसएसएफ की आय और व्यय :								
3 व्याज से आय (II)								
(i) 31.3.1999 को बकाया राशि से केन्द्रीय								

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		संशोधित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण
सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	6779.76	...	6779.76	...	6779.76	...	6779.76	...
(ii) 1.4.1999 से संग्रहणों से केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	13930.22	...	17815.84	...	21598.12	...	30398.92	...
(iii) 1.4.1999 से निर्गमित राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	48612.89	...	45497.20	...	46087.45	...	42762.40	...
(iv) केन्द्र/राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों से विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	26606.78	...	30556.84	...	31202.64	...	35755.71	...
(v) सरकारी एजेंसियों में निवेश	12202.69	...	20893.76	...	20143.17	...	30351.35	...
(क) भारतीय खाद्य निगम में निवेश	9326.33	...	7191.33	...	13389.11	...	21160.33	...
(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश	1979.75	...	2803.00	...	3220.00	...	4020.00	...
(ग) भारतीय रेलवे वित्त निगम में निवेश	801.00	...	801.00	...	1409.25	...	1409.25	...
(घ) भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद में निवेश	672.00	...	884.50	...	1947.00	...
(ङ) एयर इंडिया में निवेश	95.61	224.06
(च) आरईसी लि. में निवेश	408.00	...	408.00	...	822.50	...
(छ) विद्युत वित्त निगम में निवेश	608.25	...	608.25	...	608.25	...
(ज) आरसीएफ लि. में निवेश	153.42	...
(झ) एमएमटीसी में निवेश	111.35	...
(ञ) अन्य	8410.18	119.25	...
उप-जोड़ [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)] (II)	108132.34	...	121543.40	...	125811.14	...	146048.14	...
3.1 एनएसएसएफ की अन्य आय (ओआई)								
अन्य प्राप्तियां	651.46	...	690.00	...	1077.00	...	1210.00	...
जोड़ (3) = (II) + (ओआई)	108783.80	...	122233.40	...	126888.14	...	147258.14	...
4 व्याज भुगतान (आईपी):								
बचत जमा राशियां	...	39709.87	...	38454.00	...	45261.00	...	62473.68
बचत प्रमाण पत्र	...	27158.84	...	30811.00	...	31184.00	...	34425.97
लोक भविष्य निधि	...	36916.12	...	36130.00	...	39622.00	...	46631.91
जोड़ (4)	...	103784.83	...	105395.00	...	116067.00	...	143531.56
5 प्रबंधन लागत:								
डाक विभाग को एजेंसी प्रभारों का भुगतान	...	8267.82	...	10403.29	...	8958.80	...	9830.05
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी प्रभारों का भुगतान	...	157.41	...	262.50	...	262.50	...	275.63
एजेंटों को एजेंसी कमीशन का भुगतान	...	2562.72	...	2625.00	...	2819.18	...	2960.15
मुद्रण की लागत	...	25.00	...	15.00	...	15.00	...	20.00
जोड़ (5)	...	11012.95	...	13305.79	...	12055.48	...	13085.83
6 राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) की कुल आय और व्यय (3)+(4)+(5)	108783.80	114797.78	122233.40	118700.79	126888.14	128122.48	147258.14	156617.39
7 वर्ष में निवल आय (-)/व्यय (+)	...	6013.98	...	-3532.61	...	1234.34	...	9359.25

4. वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारी

(₹ करोड़)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में (वार्षिकी अवधि)			वार्षिक वार्षिकी	वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में भुगतान न की गई वार्षिकी देनदारियों की राशि
				से	तक	वर्ष की संख्या		
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय*								
(i)	एनएचडीपी चरण-I	2,768.41	8,635.29				575.69	575.69
1.	पानागढ़-पलसित (517-581 किमी.)	350.00	1665.00	21-06-2005	21-12-2019	15	111.00	111.00
2.	पलसित-दांकुनी दुर्गापुर एक्सप्रेस वे (581-646 किमी.)	432.40	1199.94	27-08-2005	27-02-2020	15	80.00	80.00
3.	अंकापली-टूनी (359.2-300 किमी.)	295.00	884.43	09-11-2004	08-11-2019	15	58.96	58.96
4.	टूनी-धर्मावरम (आ.प्र-16) (300-253 किमी.)	212.00	837.36	30-11-2004	29-11-2019	15	55.82	55.82
5.	धर्मावरम-राजामुंद्री परियोजना (आ.प्र-15) (253-200 किमी.)	219.00	888.57	30-11-2004	29-11-2019	15	59.24	59.24
6.	नेल्लोर बाइपास	152.91	388.80	27-04-2005	27-10-2019	15	25.92	25.92
7.	महाराष्ट्र सीमा - बेलगाम	542.80	1515.51	20-06-2005	20-12-2019	15	101.03	101.03
8.	ताम्बरम-तिंडीवनम	564.30	1255.68	03-05-2005	09-11-2019	15	83.72	83.72
(ii)	एनएचडीपी चरण-II	6,294.23	17,838.70				1,061.36	7,968.13
9.	गोरखपुर बाइपास (251.70-279.80 किमी.)	600.24	1701.00	04-04-2010	04-04-2027	17.5	97.20	826.20
10.	एनएस-1/बीओटी/एमपी-1/ग्वालियर बाइपास (एनएच डिवीजन-3 के 103 कि.मी. से एनएच-75 के 16 कि.मी.)	300.93	928.55	02-01-2013	06-04-2027	17.5	53.06	477.54
11.	एमपी एनएस-1/बीओटी/एमपी-2 में लखनादोन-एमपी/एमएच सीमा (एनएच डिवीजन-7 के 547.4-596.75 कि.मी.)	263.17	673.05	26-09-2009	26-03-2027	17.5	38.46	307.71
12.	एमपी एनएस-1/बीओटी/एमपी-3 में लखनादोन-एमपी/एमएच सीमा (एनएच डिवीजन-7 के 596.75-653.225 कि.मी.)	407.60	672.00	22-05-2010	22-10-2027	17.5	38.40	345.56
13.	बिहार में एनएच डिवीजन-57 पर कोसी पुल और संपर्क मार्गों पर (165 से 155 कि.मी.) (बी.आर.-5)	418.04	1084.60	04-04-2010	04-04-2027	17	63.80	638.00
14.	बारा-उरई (एनएच डिवीजन-2 पर 449 से 422 कि.मी. तथा 255 से 220 कि.मी.)	465.00	1344.60	24-10-2009	24-04-2024	15	89.64	493.02
15.	यूपी एनएस-1/बीओटी/यूपी-3 में झांसी-ललितपुर (एनएच डिवीजन-26 के 49.79-99.00 कि.मी.)	355.06	1048.25	27-03-2010	27-03-2027	17.5	59.90	479.20
16.	यूपी एनएस-1/बीओटी/यूपी-3 में झांसी-ललितपुर (एनएच 25 व 26 के 0-49.79 कि.मी.)	276.09	838.25	27-03-2010	27-03-2027	17.5	47.90	383.20
17.	कोलकाता-कुरनूल (ए.पी-5) 135.740-211.00 कि.मी.	611.00	1582.56	15-09-2006	15-09-2026	20	113.04	452.16
18.	एमएच/एपी सीमा से इस्लाम नगर (एनएस-2/ बीओटी/एपी-6) (175.0 से 230.0 कि.मी.)	360.42	1133.28	02-05-2010	02-11-2027	18	62.96	566.64
19.	इस्लाम नगर से कडताल (एनएस-2/बीओटी/ एपी-7) (230.00 से 278.00 कि.मी.)	518.46	1597.32	03-08-2010	29-02-2028	18	88.74	798.66
20.	कडताल से अरमूर (एनएस-2/बीओटी/ एपी-7) (278.0 से 308.0 कि.मी.)	271.73	856.80	29-04-2010	29-10-2027	18	47.60	428.40

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में (वार्षिकी अवधि)			वार्षिक वार्षिकी	वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में भुगतान न की गई वार्षिकी देनदारियों की राशि	
				से	तक	वर्ष की संख्या			
21.	कड़लूर येलावेडी से गुंडला पचमपल्ली (एनएस-2/ बीओटी/एपी-2) (अमूर-कलकल्लू ग्राम) (एपी-2)	546.15	1896.30	24-09-2009	25-09-2026	18	108.36	812.70	
22.	ए.पी/कर्नाटक सीमा-नंदी हिल क्रासिंग और देवेनहल्ली मीनू कुंटे गांव	402.34	1185.84	20-04-2009	25-03-2027	18	65.88	527.04	
23.	पालनपुर से स्वरुपगंज (राज-42 कि.मी. तथा गुज-34 कि.मी.)	498.00	1296.30	24-03-2009	24-03-2024	15	86.42	432.10	
(iii)	एनएचडीपी चरण-III	3,737.70	10,571.54				731.17	7,178.12	
24.	बरही-हजारीबाग-रांची-महुलिया	625.07	1986.48	14-03-2013	14-03-2028	15.5	128.16	1,153.44	
25.	एनएच डिवीजन-1 के अमृतसर- वाघा सीमा शाखा, 455.400 से 491.620 कि.मी.	205.88	664.20	31-12-2010	30-06-2028	18	36.90	350.55	
26.	पटना-मुजफ्फरपुर (वार्षिकी)	671.70	2365.00	01-03-2017	01-09-2029	12.5	189.20	1,986.60	
27.	त्रिची-कराडकुडी तथा त्रिची बाइपास को दो लेन की सड़क बनाना	374.00	554.97	16-08-2014	15-02-2027	13	42.69	362.87	
28.	मोकामा-मुंगेर की दो लेन की सड़क बनाना (वार्षिकी)	351.54	998.50	19-07-2013	14-05-2026	12.5	79.88	519.22	
29.	मुजफ्फरपुर-सोनवरसा की दो लेन की सड़क बनाना	512.00	1834.00	25-05-2014	25-05-2031	17.5	104.80	1,310.00	
30.	पूर्णिया-खगड़िया एनएच डिवीजन-31 की दो लेन की सड़क बनाना	664.00	1624.00	02-04-2014	02-10-2028	14.5	112.00	1,120.00	
31.	रिगस सीकर चार लेन की सड़क बनाना	333.51	544.39	01-09-2014	01-09-2028	14.5	37.54	375.44	
(iv)	एनएचडीपी चरण-IV	3,704.02	12,987.00				811.00	9,935.90	
32.	नागपुर-बेतुल के चार लेन की सड़क बनाना (वार्षिकी)	2498.76	9596.40	18-08-2015	18-08-2031	16.5	581.60	7,270.00	
33.	लखनऊ-रायबरेली	635.90	1461.60	16-07-2015	15-07-2029	15	100.80	1,058.40	
34.	रायबरेली-जौनपुर	569.36	1929.00	02-12-2016	02-06-2031	15	128.60	1,607.50	
(v)	जम्मू और कश्मीर की परियोजनाएं	4,019.00	16,390.20				1,038.84	13,303.02	
35.	जम्मू-ऊधमपुर	1500.00	6864.60	01-06-2014	01-06-2031	17	403.80	5,047.50	
36.	चेनानी-नासरी	2519.00	9525.60	07-09-2017	08-03-2032	15	635.04	8,255.52	
(vi)	एसएआरडीपी-पूर्वोत्तर	762.00	3,062.22				194.76	2,328.72	
37.	शिलांग-बाइपास (वार्षिकी)	226.00	596.88	25-09-2013	25-03-2025	12	49.74	298.44	
38.	जोरहाट-बारापानी (वार्षिकी)	536.00	2465.34	28-07-2016	28-01-2031	17	145.02	2,030.28	
कुल- सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय		21,285.36	69,484.95				4,412.82	41,289.58	
गृह मंत्रालय									
(i)	दिल्ली पुलिस धीरपुर, नई दिल्ली के आवासीय परिसर का विकास	790.58	1822.12	Project is yet to be started			12	125.50	...
(ii)	दिल्ली पुलिस जय सिंह रोड, संसद मार्ग, नई दिल्ली में नए पुलिस मुख्यालय का विकास	202.00	1178.80	2020-21	2033-34	13	78.00	...	
कुल जोड़ - गृह मंत्रालय		992.58	3,000.92				203.50		
जल शक्ति मंत्रालय									
(i)	हरिद्वार, उत्तराखंड में 82 एमएलडी जल निकासी ट्रीटमेंट परियोजना का विकास	244.18	185.62**	10-02-2020	09-02-2035	15	12.37	3.09	

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में (वार्षिकी अवधि)			वार्षिक वार्षिकी	वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में भुगतान न की गई वार्षिकी देनदारियों की राशि
				से	तक	वर्ष की संख्या		
(ii)	वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 50 एमएलडी जल निकासी ट्रीटमेंट परियोजना का विकास	211.57	169.12**	10-04-2020	09-04-2035	15	11.27	...
(iii)	मथुरा, उत्तर प्रदेश में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पुनर्स्थापन एवं नवीकरण और 30 एमएलडी न्यू एसटीपी और 20 एमएलडी टीटीपी का निर्माण	610.42	506.09**	15-01-2021	14-01-2036	15	33.74	...
(iv)	प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में नैनी (42 एमएलडी, फाफामऊ (14 एमएलडी) और झुंसी (18 एमएलडी) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का अवरोधन, पथांतरण एवं सीवेज ट्रीटमेंट कार्य, मौजूदा ट्रीटमेंट अवसंरचना का पुनर्स्थापन और 15 वर्षों तक परिचालन एवं अनुरक्षण कार्य	1211.17	1044.95**	15-09-2021	14-09-2036	15	69.66	...
(v)	कानपुर, उत्तर प्रदेश में उन्नाव (13 एमएलडी), शुक्लगंज (60 एमएलडी) का अवरोधन, पथांतरण और सीवेज ट्रीटमेंट कार्य, मौजूदा एनएसटीपी के 30 एमएलडी क्षमता का एसटीपी	1052.54	946.21**	20-10-2021	19-10-2036	15	63.08	...
(vi)	कंकड़बाग, पटना (50 एमएलडी) और दिघा, पटना (100 एमएलडी) का अवरोधन, पथांतरण और ट्रीटमेंट कार्य	1334.17	457.77**	01-07-2022	30-06-2037	15	30.52	...
(vii)	पश्चिम बंगाल में हावड़ा (65 एमएलडी), बाली (40 एमएलडी), बड़नगर एवं कमरहटी (60 एमएलडी) का अवरोधन, पथांतरण एवं ट्रीटमेंट कार्य	796.55	640.11**	01-04-2022	30-03-2037	15	42.67	...
कुल- जल संसाधन, नदी विकस और गंगा संरक्षण मंत्रालय		5460.60	3949.87	263.31	3.09
कुल जोड़		27738.54	76435.74				4879.63	41292.67

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

- *1 उपर्युक्त सूची में केवल वे ही परियोजनाएं शामिल की गई हैं जो 31.3.2019 से पहले पूरी हो गई हैं और सालाना भुगतान के लिए पात्र हैं।
- 31.03.2019 को (अंतिम कालम) के लंबित दायित्व का हिसाब अर्ध-वार्षिक धनराशि से गुणा करके शेष अर्ध-वार्षिक रियायती अवधि (सालाना अवधि) के आधार पर किया गया है।
- क्रमांक 19 और 20 पर परियोजनाओं की वार्षिकी धनराशि कम कर दी गई है।
- वन विभाग में स्वीकृति न मिलने के कारण, परियोजना को सी-लिंक कर दिया गया है और क्रमांक 11 और 12 पर परियोजनाओं के लिए वार्षिकी कम कर दी गई है।

जल शक्ति मंत्रालय

- हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मोड के तहत परियोजनाओं के मूल्य में निर्माण के दौरान जोड़ी गई पूंजी लागत का 40%, 60% शेष बकाए पर ब्याज और 15 वर्षों तक सूचीबद्ध परिचालन एवं अनुरक्षण भुगतान शामिल है।
- *6. वचनबद्ध कुल वार्षिकी में 15 वर्षों तक वार्षिकी के रूप में भुगतान किया गया सूचीबद्ध पूंजीगत लागत का 60%, शेष बकाए पर ब्याज और परिचालन एवं अनुरक्षण लागत शामिल है।
- उल्लिखित समानीकृत वार्षिकी में अंतर हो सकता है क्योंकि आरंभिक वर्षों के दौरान भुगतान की राशि अधिक होगी और 15 वर्षों की रियायती अवधि के अंतिम भाग में कम होगी।

टिप्पणी: मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथासूचित अनुमोदित वार्षिकी संविदाओं के कारण देनदारी सूचित की गई है।

5 विदेशी सहायता

इस अनुबंध में बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय स्रोतों से मिली विदेशी सहायता के स्वरूप का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। वर्ष 2019-2020 तथा 2020-2021 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

	वास्तविक 2018-2019	बजट अनुमान 2019-2020	संशोधित अनुमान 2019-2020	बजट अनुमान 2020-2021
1. ऋण	50,609.45	44,673.00	57,016.00	57,557.00
2. घटाएं-राज्य परियोजनाओं हेतु विदेशी ऋण	14,351.41	12,262.05	17,972.88	15,547.35
क. निवल विदेशी ऋण (1-2)	36,258.04	32,410.95	39,043.12	42,009.65
ख. नकद अनुदान	833.20	650.00	361.00	400.00
ग. वस्तु अनुदान सहायता 229.99	356.00	613.00	412.00	
घ. जोड़ (क+ख+ग)	37,321.23	33,416.95	40,017.12	42,821.65
ङ ऋणों की वापसी-अदायगी	30,738.77	35,363.00	34,110.00	37,338.00
च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (घ-ङ)	6,582.46	-1,946.05	5,907.12	5,483.65
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	8,149.62	9,765.00	10,537.00	10,178.00
ज. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (च-छ)	-1,567.16	-11,711.05	-4,629.88	-4,694.35

(₹ करोड़ में)

विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा दी जा रही सहायता का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(क) बहुपक्षीय स्रोत

1. विश्व बैंक समूह

विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। भारत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आईबीआरडी तथा आईडीए के माध्यम से विश्व बैंक से निधियां प्राप्त करता रहा है।

(क) अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

भारत 1949 से आईबीआरडी से सहायता प्राप्त कर रहा है। आईबीआरडी ऋण, हालांकि गैर रियायती हैं, वाणिज्यिक संसाधनों हेतु अपेक्षाकृत अनुकूल शर्तों पर दिया जाता है। आईबीआरडी सॉवरेन ऋणों को मुख्यतया अवसंरचना परियोजनाओं और गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों और गैर ऋण सेवाओं के जरिए सम्पोषणीय विकास को बढ़ावा देकर गरीबी कम करना है।

आईबीआरडी की सहायता के जरिए चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं- जल क्षेत्र सुधार परियोजना, 'स्वच्छ भारत मिशन सहायता प्रचालन', रा-ट्रीय गंगा नदी परियोजना, दूसरी कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर और विद्युत क्षेत्र की परियोजना आदि हैं। आईबीआरडी मुख्यतः विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू और पीएसबी को भी सॉवरेन गारंटी ऋण प्रदान करता है।

(ख) अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक की रियायती शाखा है और बैंक के गरीबी कम करने के मिशन को सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब, भारत रियायती ऋणों के कार्यक्षेत्र से बाहर है। हमारे देश में नि-पादित की जा रही अधिकांश परियोजनाएं सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में हैं। वर्तमान में चल रही कुछ परियोजनाओं में रा-ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन, बिहार कोसी बेसिन विकास और बिहार ग्रामीण सड़क आदि।

2. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

एडीबी 1966 में स्थापित एक मुख्य क्षेत्रीय वित्तीय संस्था है और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। हमारे संसाधनों को विस्तृत करने के लिए 1986 में एडीबी से उधार लेना शुरू किया गया था।

एडीबी के प्रचालन अब विद्युत, परिवहन और शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त वित्तीय संस्थागत संभरणीय जीविकोपार्जन, कौशल विकास और बिहार न्यू गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट, विशाखापट्टनम, चेन्नै कार्यक्रम औद्योगिक गलियारा विकास तक फैल गए हैं। सरकारी खाते में एडीबी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं 'मध्य प्रदेश जिला कनेक्टिविटी क्षेत्र परियोजना', 'ग्रामीण कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम परियोजना-3', 'दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) सड़क कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम'।

एडीबी विशेष तौर पर विद्युत क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों को गारंटीकृत राजकीय ऋण भी प्रदान करता है।

3. यूरोपीय निवेश बैंक

यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) पूंजी निवेश के लिए ऋण मुहैया कराने के लिए रोम संधि के तहत 1958 में स्थापित किया गया था। ईआईबी 'लखनऊ मेट्रो रेल लाइन' को सहायता प्रदान कर रहा है।

4. न्यू डेवलेपमेंट बैंक (एनडीबी)

ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने शंघाई, चीन में न्यू डेवलेपमेंट बैंक की स्थापना की है। वर्तमान में, एनडीबी द्वारा आठ चालू परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा रही है।

5. एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी)

एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जो मुख्यतः ऊर्जा, परिवहन एवं दूरसंचार, ग्रामीण अवसंरचना और कृषि विकास के लिए ऋण देता है। वर्तमान में, एआईआईबी द्वारा प्रदान की गई सहायता से पांच परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

6. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी। आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के क्षेत्रों में 32 सरकारी परियोजनाओं को सहायता दी है।

वर्तमान में, आईएफएडी द्वारा सहायता प्राप्त कुल 18 परियोजनाएं क्रियान्वयन में हैं। वर्तमान में चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं-समेकित आजीविका सहायता परियोजना और झारखंड जनजातीय सुधार एवं आजीविका परियोजना।

7. वैश्विक निधि संगठन

वैश्विक निधि एड्स, तपेदिक और मलेरिया (जीएफएटीएम) से मुकाबला करने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय वित्तपोषण संगठन है जिसका उद्देश्य एचआईवी तथा एड्स, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना और प्रदान करना है। इस संगठन ने जनवरी 2002 में कार्य करना शुरू किया था। भारत में जीएफएटीएम से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है।

इस समय वैश्विक निधि की सहायता से निष्पादित की जा रही 3 परियोजनाएं हैं जो इस प्रकार हैं- वैश्विक निधि द्वारा सहायता प्राप्त एचआईवी एड्स नियंत्रण परियोजना 'पहुंच बढ़ाना और व्यापक देखभाल बढ़ाना', 'सपोर्ट सहायता और उपचार, गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना-3' और 'तपेदिक'।

(ख) द्विपक्षीय स्रोत

1. जापान

जापान 1958 से भारत को सरकारी विकास सहायता (ओडीए) प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापान की ओर से सरकारी विकास सहायता, ऋण, सहायता अनुदान और तकनीकी सहायता के रूप में जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। जेआईसीए परियोजनाएं परिवहन, विद्युत, सिंचाई, पर्यावरण और निवेश संवर्धन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में फैली हैं।

जेआईसीए सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- 'दिल्ली मास रैपिड परिवहन प्रणाली परियोजना', 'डेडिकेटेड मालभाड़ा (फ्रेट) कॉरिडोर परियोजना', 'कोलकाता पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना', 'चेन्नई मेट्रो परियोजना', 'बेंगलुरु जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना', 'बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना', 'अहमदाबाद मेट्रो परियोजना',।

2. जर्मनी

संघीय गणराज्य जर्मनी 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। जर्मनी द्वारा सहायता प्राप्त वित्तीय कार्यक्रमों का केएफडब्ल्यू, जर्मनी सरकार के विकास बैंक के माध्यम से और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का जीआईजेड के जरिये कार्यान्वयन किया जाता है। द्विपक्षीय

विकास सहयोग कार्यक्रम के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं-ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संपोषणीय प्रयोग, संपोषणीय आर्थिक विकास। केएफडब्ल्यू सहायता के माध्यम से चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं- 'तमिलनाडु जल उत्पादन और मांग प्रबंधन', 'शूगटुंग-कर्चम पनबिजली परियोजना-एचपी', हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश में 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंड्रा ट्रांसमिशन प्रणाली'।

3. रूसी परिसंघ

भारत और रूसी संघ (पहले यूएसएसआर) के बीच विकासात्मक सहयोग साठ के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना की यूनिट 1 और 2 का निर्माण नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए अंतर-सरकारी करार (आईजीए) के तहत किया गया है, जिसे जून, 1998 में संपूरक करार के जरिए संशोधित किया गया था। यूनिट सं. 3 और 4 निर्माणाधीन हैं।

कुडनकुलम में (यूनिट 5 और 6) अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए जुलाई, 2017 में तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के करार के प्रोटोकाल सं.2 पर हस्ताक्षर किए गए थे।

4. फ्रांस

फ्रांस सरकार भारत को 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रेंच एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट (एएफडी) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। भारत में एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट द्वारा वित्तपोषण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऊर्जा दक्षता नवीकरण ऊर्जा, शहरी अवसंरचना (सार्वजनिक परिवहन, जल) हैं। एएफडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- देवथाल चांजु और चांजु-III पन बिजली परियोजना, और बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना-II ।

**6. वर्ष 2020-21 में उन्मोचन के लिए देय बाजार ऋण प्रत्येक के सामने
इंगित किए गए बकाया शेष के साथ**

(₹ करोड़)

क्र.सं.	ऋण का नाम	परिपक्वता की तारीख	बकाया राशि
1.	6.65% सरकारी स्टॉक, 2020	09.04.2020	34787.48
2.	10.70 सरकारी स्टॉक, 2020	22.04.2020	6000.00
3.	7.80 सरकारी स्टॉक, 2020	03.05.2020	52295.93
4.	8.27% सरकारी स्टॉक, 2020	09.06.2020	60365.05
5.	8.12% सरकारी स्टॉक, 2020	10.12.2020	55581.92
6.	भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2020	21.12.2020	13000.00
7.	11.60% सरकारी स्टॉक, 2020	27.12.2020	5000.00
8.	7.00% सरकारी स्टॉक, 2021	21.01.2021	33000.00
9.	8.01% पीएलआई को जारी भारत सरकार के विशेष प्रतिभूतियां, 2021	31.03.2021	4000.00
10.	बकाया परिपक्व ऋणों के लिए	31.03.2021	100.00
11.	कुल अदायगी	264130.38	
12.	घटाएं: 2020-21 के बकाया स्टॉक से प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए 2019-20 में प्रावधान		25000.00
13.	वर्ष 2019-20 में किए जाने वाली अदायगी		239130.38
14.	सरकारी स्टॉक के परिवर्तन / पुनर्खरीद		
	(i) प्रतिभूतियों के परिवर्तन हेतु प्रावधान	270000.00	
	(ii) सरकारी स्टॉक की पुनर्खरीद हेतु प्रावधान	30000.00	
	जोड़ (13+14)		300000.00
			539130.38